Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६०, का २२वां दिवस [संख्या १४

बुधवार, दिनांक १६ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आबकारी एवं कर, स्वायत्त शासन, सहकारी, सिंचाई, राजस्थान केनाल, श्रम, पंचायत तथा सामुदायिक विकास विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ४००

श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित)

श्री रामचंद्र ।

झालावाड़ जिले में सेवा सहकारी समितियों को अलॉट की गई भूमि

४०१. श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :——

(१) झालावाड़ जिले में तहसीलवार कितनी भूमि पड़त पड़ी है ?

(२) १ अप्रेल, सन् ५९ से अब तक कितनी सेवा सहकारी समितियों को भूमि अलॉट की गई ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इन समितियों का भूमि पर कब्जा कराया जा चुका है ? यदि हां, तो कितनी समितियों को ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है अतः सम्बन्धित विभाग के पास भेज दिया गया है, वे इसका उत्तर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

Page No.2

जनाना अस्पताल कोटपूतली को उपयुक्त व्यवस्था हेतु प्रदत्त धनराशि

४०२. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि जनाना अस्पताल कोटपूतली को जब सरकार को सौंपा गया, तो उस समय चालीस हजार रुपये भी अस्पताल को सुचारु रूप से चलाने के लिये दिये गये थे ?

(ख) क्या आज तक वह पैसा जमा है ? यदि हां, तो वह अब किस काम में लाया जायगा और उस पर कुल ब्याज कितना जुड़ा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर दिनांक २०-२-५८ प्रश्न संख्या ७२६ के उत्तर में दिया जा चुका है ।

श्री रामकरणसिंह : उस समय उत्तर दिया था तो रुपयों के लिए कोई मालूम नहीं पड़ा । ४०.०००) रुपया जनता ने जमा कराये वे अब तक लापता हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जवाब दिया था कि रुपया जमा था । अस्पताल चल रहा है ।

श्री रामकरणसिंह : किसलिये रुपया जमा किया गया था ? जनता ने इसीलिए जमा किया था कि वहां पर एक्सरे प्लान्ट लगाया जाय जिससे कि रोगियों को सुविधा मिले और उनको ८०. ८५ मील दूर इसके लिए न जाना पड़े ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अस्पताल ठीक चले इसके लिए यह रुपया जमा कराने की बात थी । अस्पताल ठीक चल रहा है । जो काम करने का था वह किया गया ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उस रुपये का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : अस्पताल चल रहा है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह रुपया अस्पताल चलाने के लिए था, जो चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : यह पुराने जयपुर राज्य की बात है ।

श्री रामकरणसिंह : वह रुपया इसी लिये दिया गया था कि वहां के लोगों को ज्यादा सहूलियतें मिलें । ठिकाने को इसी वादे पर दिया गया था कि उनको दवाइयां उपलब्ध हो सकें अब वह राजस्थान गवर्नमेंट में आ गया है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसी शर्तें लिखित रूप में थीं क्या कि इस तरह से रुपये का उपयोग किया जायगा, सरकार कह रही है कि खर्चे के लिये थे ।

श्री रामकरणसिंह : क्या इस प्रकार की कन्डीशन्स रखी जांय, जो कुछ भी इस बारे में रेकॉर्ड मिले तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

Page No.3

श्री अध्यक्ष : जरूर रखिये, विचार करेंगे ।

प्रश्न संख्या ४०३

श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

जिला बोर्ड जयपुर के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान

४०४. **श्री रामकरणसिंह** (कोट-पुतली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सत्य है कि जिला बोर्ड, जयपुर में काम करनेवाले बहुत से कर्मचारियों को बोर्ड के टूट जाने पर भी उनका बकाया वेतन नहीं दिया गया है ?

(ख) क्या इनके वेतन भुगतान के लिये सरकार कोई तिथि तय करने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) जी हां ।

(ख) प्रत्येक कर्मचारी का रेकॉर्ड तैयार किया जा रहा है । उनको पेमेन्ट करने की निश्चित तिथि को तय करना संभव नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : क्या उनको जल्दी से जल्दी वेतन दिलाने की कोशिश करेंगे ?

श्री सम्पतराम : जल्दी से जल्दी भुगतान करने की व्यवस्था की जायगी ।

प्रश्न संख्या ४०५

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

तहसील कोटपुतली के नारेडा और बनेटी कस्बों में डिस्पेन्सरीज को फिर से चालू करना

४०६. **श्री रामकरणसिंह** (कोट-पुतली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि कोटपुतली तहसील के नारेडा और बनेटी कस्बों में राजस्थान बनने से पूर्व ठिकाने की ओर से ऐड-पोस्ट डिस्पेन्सरीज थीं और वे बन्द कर दी गई ?

(ख) यदि हां, तो क्यों तथा क्या सरकार अब उन्हें शीघ्र चालू करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) स्थानीय स्कूलों में ऐड–पोस्ट थे जो ठिकाने के विलीनीकरण के समय सरकार को नहीं संभलाये ।

(ख) योजना में प्रावधान नहीं है । वैसे विचार जारी है ।

श्री रामकरणसिंह : ठिकाने के समय में वहां पर इस प्रकार की सुविधा थी जहां काफी दूरी पर हॉस्पीटल पड़ते थे पहले ऐसी व्यवस्था थी उससे ज्यादा फेसीलिटी देना तो

(श्री रामकरणसिंह)

दूर रहा जो उनको सुविधा मिल रही थी वह कम क्यों कर दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ठिकाने के जमाने में स्कूल टीचर्स दवा बांटा करते थे। ठिकाना खत्म होगया। वहां कोई रेगुलर अस्पताल तो था नहीं और हमारे पास और ज्यादा खर्च करने का प्रावधान नहीं। जो भी फेसीलिटीज़ मिल रही हैं, वे मिलेंगी इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते।

श्री रामकरणसिंह : टीचर्स जो एनोटोमी कम्पाउन्डर का काम करते थे इस प्रकार से वहां का बजट इसके लिये अलग से था। जब इस प्रकार की सुविधा ठिकाने के समय दी जाती थी अब आप देने में क्यों हिचकिचाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्कूल के टीचर्स जो इस विषय में इलीट्रेट होते हैं उनके हाथ से दवा दिलाने की व्यवस्था को कोई भी ठीक नहीं कह सकता। और यह सही है कि जिस प्रकार की सुविधा थी उससे तो अधिक मिलनी चाहिये किन्तु हमारे पास प्रोविजन नहीं इसलिये अधिक कुछ नहीं कह सकता।

श्री रामकरणसिंह : इस प्रकार की व्यवस्था थी जो तीन-चार हज़ार की संख्या वाली आबादी को काफी सुविधा रहती थी। जब आप इस व्यवस्था को उचित नहीं समझते हैं तो कौनसी व्यवस्था उचित समझते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अधिक डिस्पेन्सरियां, अधिक औषधालय हों, यह तो हम भी चाहते हैं लेकिन फन्ड्स उपलब्ध नहीं हैं।

श्री रामकरणसिंह : ठिकाने के समय में जो सुविधा दी जाती थी वह सुविधा क्या आप नहीं देना चाहते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुविधा मिलनी चाहिये, इससे किसी को इन्कार नहीं है। लेकिन इसके लिये प्रावधान नहीं है इसलिये नहीं कर सकते। और जहां तक टीचर्स द्वारा दवा बांटने का सवाल है उससे तो हम किसी प्रकार इत्तफाक नहीं कर सकते। वैद्य और डॉक्टरों द्वारा वह बांटी जाती हो तो वह ठीक है।

चांदन से ट्यूब वैल द्वारा जैसलमेर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था

४०७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने चांदन से ट्यूब वैल द्वारा जैसलमेर पानी पहुंचाने की कोई योजना बनाई है तथा इसके लिये ६ लाख की धनराशि भी स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उप मंत्री, कृषि (श्री दौलतराम सारण): जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार की कोई योजना नहीं है ?

श्री दौलतराम सारण : आप अपना प्रश्न पढ़िये।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न यह था कि 'क्या सरकार ने चांदन से ट्यूब वैल द्वारा जैसलमेर पानी पहुंचाने की कोई योजना बनाई है, तथा इसके लिये ६ लाख की धनराशि भी स्वीकृत की गई है?'

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : ट्यूब वैल से नहीं तो क्या पाइप से पहुंचाने की कोई योजना है?

श्री दौलतराम सारण : जी नहीं।

कृषि मंत्री (नाथूराम मिर्धा) : मैं इस बारे में अर्ज करूं चांदन के पास एक हजार स्क्वायर मील एरिया ऐसा है जिओलोजिकल सर्वे का कहना है कि यहां काफी मात्रा में पानी मिल सकता है। उसके लिये वहां एक्सपेरीमैन्टल बौरिंग्ज चल रहे हैं और पांच, छः होल बोर हो चुके हैं, इससे वहां पानी भी काफी तादाद में निकला है। यहां से जैसलमेर पानी पहुंचाने का सवाल है यह वहां से २७ मील दूर पड़ता है। यह ठीक है कि वहां के लोगों को पीने के पानी की तकलीफ पड़ती है इसके लिये वहां से करीब ७-८ मील की दूरी पर बोरिंग चालू करने का विचार है जिससे वह जैसलमेर को वाटर सप्लाई कर सके और वह वहां से नजदीक भी रहेगा।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या इस प्रकार के ट्यूब वैल में जो पैसा लगता है वह भारत सरकार देती है या राजस्थान सरकार?

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले सारा भारत सरकार लगाती है कामयाबी होने पर राजस्थान सरकार को देना पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो फिर इसमें ६ लाख रुपये की आवश्यकता बतायी वह कैसे?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं है इसमें।

बारां के शफाखाने में मृत लड़के की कब्र को डॉक्टर द्वारा खुदवाया जाना

४०८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या बारां के शफाखाने में एक लड़के की मृत्यु हो जाने पर उसे दफना दिया गया तथा उसके साथ ही शफाखाने की रबड़ की एक श्वास नलिका भी दफना दी गई?

(ख) क्या यह सही है कि कुछ दिन बाद नलिका का ध्यान आने पर उस कब्र को हरिजन के द्वारा खुदवाया गया तथा उसमें से वह नलिका निकाली गई?

(ग) क्या यह सही है कि उक्त बालक के पिता ने डॉक्टर से बहुत प्रार्थना की कि आप कब्र को न खुदवायें तथा मुझ से नली के पैसे ले लें, परन्तु डॉक्टर ने वह प्रार्थना स्वीकार नहीं की?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री दयाकृष्ण विजय : जो उत्तर दिया गया है वह सरासर गलत है। उस बालक के पिता का स्टेटमेंट मैं पेश करने को तैयार हूं। इस प्रकार की घटना घटी है; उस बच्चे के पिता के रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उसकी कब्र खोदी गई; यह बनावटी घटना नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : आपको व्यक्तिगत जानकारी है क्या इसकी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस लड़के के बाप की चिट्ठी है मेरे पास आप केवल उड़ी हुई बातों का जिक्र कर रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मुझे इस सम्बन्ध में उस लड़के के बाप से नहीं किन्तु उनके बहुत नज़दीकी मिलनेवाले से सूचना मिली है जो विश्वस्त इन्फॉर्मेशन है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास लड़के के बाप की चिट्ठी है, इस तरह का कोई मामला नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने लड़के के बाप की चिट्ठी को लेने का कष्ट क्यों किया ? जब आपने कहा, घटना ही नहीं घटी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब सवाल आया तो हमने इन्क्वायरी की।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि यह चिट्ठी उन पर दबाव डाल कर लिखवाई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कहना गलत है, लड़के के बाप कोई सरकारी मुलाजिम नहीं सो हम दबा सकें।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : यह तो सही है कि कब्र में वह नलिका भी दफना दी गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह बीमार था उस समय में वह नलिका उनको प्रयोग में लाने के लिये दी थी जो उन्होंने वापिस लौटा दी।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को यह जानकारी है कि वह नलिका लड़के की लाश के साथ दफना दी गई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लड़के की बीमारी की हालत में वह प्रयोग में लाने के लिये दी गई थी जो बाद में लौटा दी गई।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : क्या यह सही है कि यह नली दफना दी गई थी और इसलिये वापिस कब्र खोद कर निकाली गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अस्पताल की लैंड में उसको थोड़े ही दफनाया गया जिससे वह कब्र खोदी जाकर निकाली जा सके। यह नलिका जब बीमारी ज्यादा होती है सांस लेने के लिए गले के पास में लगाते

Page No.7

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हैं, यह वह नली है जो उन्होंने वापिस लौटा दी।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): इस इन्स्ट्रूमेंट की क्या कीमत है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कीमत मुझे मालूम नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि रोगी के बाप ने यह स्टेटमेंट दिया है कि मेरे बच्चे की कब्र को हरिजन द्वारा खुदवाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके बाप की चिट्ठी है, उसमें लिखा है : मेरा बच्चा गुजर गया मैं स्वास नलिका वापिस भेज रहा हूं, बहुत एहसानमन्द हूं। इस प्रकार की चिट्ठी उसके बाप की है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : When the Hon'ble Member is prepared to prove his assertion, I think this matter should be enquired into.

जयपुर नगरपालिका को प्रदत्त ऋण व सहायता

४०१. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर नगरपालिका को प्रशासकीय व्यवस्था में लेने के पश्चात् राज्य सरकार ने उसे अब तक कितना धन कर्ज़ व सहायता के रूप में दिया और कितनी धन राशि और देने का विचार है ?

(ख) प्रशासकीय व्यवस्था से पूर्व निर्वाचित जयपुर नगरपालिका को राज्य सरकार ने कितना धन कर्ज़ व सहायता के रूप में दिया था ?

(ग) जयपुर नगरपालिका ने सरकार से प्राप्त धन को किन किन कामों में व्यय किया ? इसका पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखा जावे।

(घ) पालिका ने स्वचालित वाहन, कितने रुपये के, किस कम्पनी से, कितने मूल्य में खरीद किये हैं ? ब्यौरेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(ङ) क्या वाहनों की खरीद के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे? यदि हां, तो कब और किस माध्यम से? यदि नहीं, तो क्यों ?

(त) क्या सामान खरीद करने के लिये पालिकाओं के लिये राज्य सरकार द्वारा किन्हीं नियमों का पालन कराने के आदेश हैं ? यदि हां, तो वे क्या नियम हैं ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क) जयपुर नगरपालिका दिनांक १७।७।५८ से प्रशासकीय व्यवस्था में आई। इसके पश्चात् पालिका को राज्य सरकार से अब तक कोई कर्ज़ नहीं दिया गया। जो धनराशि की सहायता अब तक दी गई है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्र. सं.	धनराशि	बाबत
१.	१,४५,५६५) रु.	वार्षिक सहायता जो राज्य सरकार से मंजूर हुई। लेकिन इसमें से

Page No.8

(श्री सम्पतराम)

७२,७८२)५० न. पै. पुराने कर्जे पेटे तथा ऑडिट की फीस कट कर इस सम्बन्ध में सिर्फ ७२,७८२)५० न. पै. ही दिये गये।

२. १०,००,०००)रु. राजस्थान की राजधानी में इम्प्रूवमेंट कार्य के लिये विशेष सहायता, आबादी के आधार पर जैसी दूसरी पालिकाओं को दी जाती है।

३. १,५०,०००) रु. डवेलपमेंट के कार्य हेतु तथा स्ट्रीट लाइट, वाटर स्टेन्ड पोस्ट आदि के लिये। म्युनिसिपल कौंसिल की ओर से भी इतनी ही रकम खर्च करने के आदेश हैं।

४. ६३,०००) रु. चौकड़ियों की सड़क व नालियों आदि की मरम्मत के लिये पी. डब्ल्यू. डी. के बजट से।

(ख) प्रशासकीय व्यवस्था के पूर्व निर्वाचित जयपुर नगरपालिका को निम्नलिखित धन राशि सहायता एवं कर्ज के रूप में प्राप्त हुई है :—

क. सं.	धन राशि	दिनांक	बाबत
१.	५१,००० रु.	२५।१।५७	वार्षिक सहायता तथा
२.	३५,६०६) रु. १६ न. पै.	२६।३।५७	
	जु. १,४५,५६५ रु.		

वर्ष १६५७–५८

१.	१,४५,५६५ रु.	३१।३।५८	वार्षिक सहायता।
२.	८१,८०४)रु.	३१।३।५८	बढ़ी हुई मंहगाई भत्ते में केन्द्रीय सरकार का भाग सहायता के रूप में
३.	२४,०००)रु.	३१।३।५८	सहायता वास्ते खरीद व्हील बेरोज आदि। म्युनिसिपल कौंसिल को इतनी ही रकम खर्च करने के आदेश।

(ग) उपरोक्त १ में (क) वर्णित प्राप्त धन राशि के व्यय का व्यौरा निम्न प्रकार है :—

जिन जिन मदों में तीन लाख व दस लाख की रकम खर्च की जाने की स्वीकृति हुई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) व्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ङ) वाहनों की खरीद के लिये दो बार १५।८।५८ तथा १४।२।५६ को टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे और चैसिस खरीद करने

(श्री सम्पतराम)

के बाद चीफ सुपरिन्टेन्डेन्ट मोटर गैरेज, राजस्थान से जांच करवा कर फिटनैस सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाने के पश्चात् रकम का भुगतान किया गया है तथा जो चैसिस बैडफोर्ड व फारगो आदि खरीद किये गये हैं वह भारतीय सरकार के डाइरेक्टर जनरल सप्लाइज डिस्पोज़ल्स द्वारा निर्धारित दरों पर खरीदे हैं।

(च) इस प्रकार के कोई आदेश नहीं हैं। यह अवश्य है कि सरकार की सहायता में से या कर्ज में से कोई चीज़ खरीदी जाती है तो सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त जयपुर म्युनिसिपल एक्ट, १९४३ के अनुसार दस हज़ार या इससे अधिक मूल्य की कोई खरीद होती है तो उसकी भी सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाती है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : ये गाड़ियां कब खरीदी गई थीं और रकम का भुगतान कब किया गया ?

श्री सम्पतराम : यह लिखित तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि रकम का भुगतान कब किया गया और क्या इसके पहले कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से पहले तो रकम नहीं दी और फिर सर्टिफिकेट मिलने के बाद दी गई ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं, वह तो खरीद का एक प्रोसीजर है। इसके मुताबिक खरीदी गई और पेमेन्ट किया गया। अब निश्चित तारीखें मेरे पास नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस प्रकार की इतनी बड़ी धनराशि की सहायता दस लाख की क्या इस प्रकार की सहायता दूसरों को भी दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : बीकानेर को भी कोई सहायता दी गई है ? यह तो जयपुर का प्रश्न है। उनका कहना है कि क्या आपने सब को भी दी है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : दी है कइयों को।

श्री रामकिशोर व्यास : आपके बीकानेर को भी दी है।

कोटा सिंचाई बांध के निर्माण से ग्रसित व्यक्तियों को मुआवज़ा

४१०. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) कोटा सिंचाई बांध के निर्माण काल में कितने व्यक्ति मरे अथवा अपंग हुए ?

(ख) कितने ऐसे व्यक्तियों को अब तक कितना मुआवज़ा मिल चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) कोटा सिंचाई योजना के

(श्री दौलतराम सारण)

निर्माण काल में अब तक बांध पर ११ आदमी मरे, दो अपंग हुए व २४ को दीगर चोटें आई।

नहर के काम पर १७ आदमी मरे व एक अपंग हुआ।

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री दयाकृष्ण विजय : इस प्रकार से मृत्यु हो जाने पर या अपंग हो जाने पर कम्पेन्सेशन देने का क्या आधार है ?

सिंचाई मंत्री (भीखाभाई): इसके लिये एक कमिश्नर मुकर्रर है। उनके पास केस रेफर कर दिया जाता है, वे जो नियमों के अन्तर्गत अवार्ड देते हैं उसको सरकार मानती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : इसमें आपने कुल ३७ केस बताये जिनमें ११ मरे, दो अपंग हुए और २४ को दीगर चोटें आई क्या यही सही है ?

श्री भीखाभाई : यह जो लिखा है वह ठीक है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या इन सब के केसेज़ अवार्ड के लिये रेफर कर दिये गये हैं ?

श्री भीखाभाई : सबको कम्पेन्सेशन मिल भी गया है, केवल चार को बाकी हैं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जो मरे गये उन सबको क्या बराबर बराबर कम्पेन्सेशन मिला है ?

श्री भीखाभाई : सरकार तो यह तय करती नहीं। कमिश्नर अवार्ड देता है, उसके अनुसार सरकार पालन करती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : कौन कमिश्नर काम कर रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : यह अलग प्रश्न है।

श्री दयाकृष्ण विजय : अभी आपने ही बताया कि कमिश्नर हैं, तो मैं पूछ रहा हूं कौन हैं, तो यह तो इसी से सम्बन्धित है।

श्री भैरोंसिंह : मरे हैं जो उनको १०५ रुपया कम्पेन्सेशन दिया है और जिनके केवल चोटें आई उनको दो-दो और तीन-तीन हज़ार रुपया दिया गया है, यह कैसे ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह लेबर डिपार्टमेंट से डिटरमिन होता है under the works and compensation Act.

श्री भैरोंसिंह : तो क्या लेबर ने यह भी देखा है कि मरनेवाले १०५ और चोट आने वाले को तीन-तीन हजार तक दिया गया है और यह आपके लेबर कमिश्नर साहब ने किया है ? यह कैसे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से सवाल करेंगे तो बताऊंगा।

आप लेबर डिपार्टमेन्ट से पूछेंगे तो मालूम पड़ेगा।

श्री भैरोंसिंह : इसमें ही आप कह देते कि लेबर डिपार्टमेन्ट ने यह जबाब दिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने गलत सवाल किया। यह सवाल लेबर विभाग से करना था।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय ने इस सवाल को एडमिट किया है इसलिये मेरा निवेदन करना गलत नहीं है, सदस्य की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, फैक्टस पूछे गये हैं और अब आप जबाब दें।

श्री श्रीभानसिंह : यह एक महत्वपूर्ण मसला है। हर बार यहां मन्त्री की तरफ से यह जबाब दिया जाता रहा है कि यह मेरे डिपार्टमेंट से सम्बन्धित नहीं है, इसलिये जबाब नहीं दे सकता तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपकी यह सारी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है तो क्या यह आपकी रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं थी कि अगर यह आपके विभाग से सम्बन्धित प्रश्न था तो उसे आपको रेफर करके आपसे भी जबाब ले लिया जाता। It was the duty of the Irrigation Minister to take the information from Labour Department and then answer the question here.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कहना गलत है कि डिपार्टमेंट जबाब दे। पूछनेवाले को चाहिये कि जिस विभाग का यह सवाल है उसको पूछा जाय, उसको एड्रेस होना चाहिये, गलत एड्रेस हो तो मैं तो यह कह रहा था कि कम्पेन्सेशन डिटरमिन लेबर डिपार्टमेन्ट से होता है आप चाहें तो इसके बारे में सवाल पूछ लीजिये उनसे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा): गवर्नमेन्ट के कानून में मिनिमम कम्पेन्सेशन डेथ के लिये क्या है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो कानून में लिखा है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या प्रैस्क्राइब्ड है वह बताइये? What is the minimum compensation prescribed in the rules for death? Labour Minister is not replying this question.

श्री श्रीभानसिंह : Then what was the reason for violating the Rules, where compensation was given only for Rs. 105/-?

श्री अध्यक्ष : वह तो कानून बना है और जो कानून का प्रोसीजर बताया है उसके अनुसार मुकर्रर है। अगर उसमें आपत्ति है तो एक्ट में उसके लिये क्या प्रोविजन है, क्या स्थिति है उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जाय।

श्री भैरोंसिंह : सदस्य तो वह देखें ही पर अध्यक्ष, महोदय गवर्नमेन्ट भी तो देखे न कि एडीकेट कम्पेन्सेशन मिला है उसे या नहीं। यह उसका भी तो फर्ज़ है। लेबर डिपार्टमेन्ट इसको देखे कि कहीं कमिश्नर ने गलती तो नहीं की। मेरा यह कहना है कि विधान सभा के सदस्य ही यह प्रश्न उठावें यह उनका कोई ठेका नहीं है। सरकार का भी यह फर्ज़ है। जो मर गया उसको डेढ सौ और चोट आई उसको तीन हजार दिया जावे तो सरकार की भी यह ड्यूटी है कि इसको वह देखे।

Page No.12

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मरने वाले के पीछे वारिस होता है जो काम करने वाला है चाहे मर जावे उसको कुछ नहीं मिलता, ऐसी कोई व्यवस्था है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सवाल लेबर डिपार्टमेन्ट को एड्रेस किया जावे। I wil give you all the details.

श्री भैरोंसिंह : सिंचाई विभाग ने क्या इस बात की जानकारी की है कि उसके विभाग में काम करनेवाले कर्मचारी जो मर गये हैं उनको एडीकेट कम्पेन्सेशन मिला है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : केजुअल्टी इतनी हुई, उस पर इन्जरी इतनी आई फेटल-लगी या नॉन फेटल लगी ये सब बातें गवर्नमेन्ट के सिंचाई विभाग की तरफ से फौरन कमिश्नर को रेफर कर दी जाती हैं और वह जो अवार्ड देते हैं उसके अनुसार सरकार उनको मुआवजा दे देती है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो इज़ारे का सवाल है। जो मर गया उसके बारे में भी यह लिख दिया कि यह पांच पत्थर लगने से मर गया, दब कर मर गया। क्या ऐसी भी बातें डिपार्टमेन्ट देखता है ?

श्री भीखाभाई : ये तमाम फैक्ट्स कन्सीडर किये जाते हैं।

बीकानेर नगरपालिका को लॉ इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण

४११. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या लॉ इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत बीकानेर नगरपालिका को सन् १६५५ में ४ लाख का ऋण राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था ?

(२) यदि हां, तो इस रकम से कितने मकान, किन किन व्यक्तियों के बने ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : यह खूब है !

प्रश्न संख्या ४१२

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

राजस्थान नहर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की योजना

४१३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, राजस्थान कैनाल निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान नहर क्षेत्र में अब तक कौन कौन सी सड़कों के निर्माण हेतु योजना तैयार की गई है ?

(२) क्या उक्त सड़कों के अलॉइनमेन्ट में संबंधित स्थानीय जन प्रतिनिधियों की राय ली गई है ?

राजस्थान कैनाल मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (१) राजस्थान नहर क्षेत्र की सड़क निर्माण योजना अभी तैयार की जा रही है। जो सड़कें उक्त क्षेत्र में बनाई जाने वाली हैं उनके लिए अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(२) सड़कों के अलॉइनमेंट से संबंधित स्थानीय जन प्रतिनिधियों से राय लेने का प्रश्न इस समय नहीं उठता। इस प्रयोजन के लिए जब कोई संगठन कायम होगा तब इस बारे में विचार किया जायेगा।

श्री भीमसेन : यह जो सड़कें बनाई जा रही हैं इनके लिए जो स्थानीय जनता है उससे राय ली जायेगी या नहीं?

श्री रामचन्द्र चौधरी: अभी तक इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं बना जब बनेगा तब इसके बारे में सोचा जायेगा।

श्री भीमसेन : आपने यह बताया कि स्कीम तैयार की जा रही है तो जो तैयार की गई है उसमें जनता की राय ली है या नहीं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी तक तो प्लानिंग....

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय भी जनता की राय से कहां कार्य करते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी: अभी तक तो प्लानिंग डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर और राजस्थान कैनाल के ऑफिसर्स ही मिल कर उसको तयकर रहे हैं।

प्रश्न संख्या ४१४

श्री अध्यक्ष: श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

हनुमानगढ़ क्षेत्र में तीन साल से फसल खराब होने के बावजूद आबयाना कर तथा जमीन की कीमत की वसूली

४१५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ क्षेत्र के नाली एरिया में नाली आ जाने के कारण ३ वर्ष से फसल खराब हो रही है ?

(ख) क्या इस स्थिति में भी काश्तकारों से आबयाना कर तथा जमीन की कीमत वसूल की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : इसका उत्तर रेवेन्यू मिनिस्टर साहब देंगे क्योंकि उनके नाम से ही एड्रेस किया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : यह आपको कहने की क्या आवश्यकता थी ? इस बात की सूचना आपने कैसे दी ? या तो स्पीकर देते या फिर मुख्य मंत्री देते। आपको कष्ट करने का मौका कैसे मिला ?

श्री भीखाभाई : आपने ऊपर तो लिख दिया आर० एम० और नीचे लिख दिया सिंचाई मंत्री, तो मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि आपको उत्तर दूं।

श्री अध्यक्ष : क्या आपने उसको अब आर० एम० के पास भेज दिया है ?

श्री भीखाभाई : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : आर० एम० मैं लिखता भी नहीं हूं....

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जावाब देंगे।

प्रश्न संख्या ४१६

श्री बी० एन० जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

कोटा शहर में डिस्टिल्ड वाटर सप्लाई की व्यवस्था

४१७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या कोटा शहर में मिलावट तथा पानी की अशुद्धता के कारण होनेवाले रोगों में वृद्धि हुई है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार मिलावट को रोकने तथा सारे कोटा शहर में डिस्टिल्ड वाटर सप्लाई करने की व्यवस्था शीघ्र करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि बांध बन जाने के बाद वहां पानी इकट्ठा रहता है और इस वज़ह से लोगों को रोग हो जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने इसके लिए वाटर वर्क्स के इन्जीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि सारे शहर को डिस्टिल्ड वाटर दिया जा रहा है। इसके बारे में मैंने कल ही उनसे पूछा है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपके पास उत्तर वहां से आ गया और मैंने बातचीत की थी तो मुझे मालूम हुआ कि काफी मात्रा में वहां पानी इकट्ठा हो जाता है और उन्होंने वहां कहा था कि हमने शुद्धता के लिए काफी प्रबंध कर दिया है लेकिन जो पानी के साथ बह कर आता है उससे लोगों को गैस ट्रबल आदि हो जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लेटेस्ट मैंने कल ही उनसे पूछा है। उन्होंने कहा कि सारे कोटा शहर को डिस्टिल्ड वाटर दिया जा रहा है और उसमें कोई खराबी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

डिप्टी रजिस्ट्रार्स, सहकारी विभाग की नियुक्तियां

४१८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या मंत्री, सहकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राज्य में कितने डिप्टी रजिस्ट्रार्स हैं तथा इनमें से कितने कब कब से कन्फर्म्ड हैं ?

(ख) जिन डिप्टी रजिस्ट्रार्स का कन्फर्मेशन नहीं हुआ है वे इस पद पर कब कब से कार्य कर रहे हैं और वे किस किस पद के लिए पी० एस० सी० द्वारा एप्रूव्ड व कन्फर्म्ड हैं ?

Page No.15

(श्री भैरोंसिंह)

(ग) इन डिप्टी रजिस्ट्रार्स की इस विभाग में कब कब, किस किस पद पर नियुक्तियां हुई थी और इस विभाग से पूर्व वे किन्हीं अन्य विभागों में थे तो किस किस में तथा कब कब से ?

(घ) सहकारी विभाग में इनकी नियुक्ति सलेक्शन के द्वारा हुई थी या नहीं ? यदि हां, तो सलेक्शन किसके द्वारा, कब और किस प्रकार से किया गया है और सलेक्शन का विज्ञापन किस किस प्रकार से कराया गया ? कृपया उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर से संबंधित तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(ङ) राजस्थान के कुल डिप्टी रजिस्ट्रार्स में से ऐसे कौन कौन हैं जो विभाग से संबंधित ट्रेनिंग लिये हुए हैं और जो ट्रेण्ड नहीं हैं उनको किस किस योग्यता के कारण इस विभाग में नियुक्त कर रखा है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) राजस्थान के सहकारी विभाग में १२ उप रजिस्ट्रार पद पर हैं जिनमें से ६ विभाग में तथा ३ अन्य स्थानों पर डेपुटेशन पर हैं । इनमें से केवल एक दिनांक २८–४–५६ से कन्फर्म्ड हैं ।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) का उत्तर संलग्न सूची परिशिष्ट (क) में उपलब्ध है जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परशिष्ट ३ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में एक बात की जानकारी नहीं है जिसको मैं चाहता था । ये जितने भी डिप्टी रजिस्ट्रार्स हैं वे किस किस पोस्ट के ऊपर कन्फर्म्ड हैं और पी० एस० सी० के द्वारा एप्रूव्ड हैं । ऊपर के तो ठीक हैं लेकिन जो नीचे के ३ व्यक्ति हैं वे किन किन पोस्ट्स के अगेन्स्ट में कन्फर्म्ड हैं और एप्रूव्ड हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो मैंने करेक्शन कर दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : करेक्शन में भी नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप किस का जानना चाहते थे, यह श्री किशन और राधाकिशन के बारे में ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा है कि श्रीकिशन जो हैं वह सहायक एम्पलॉयमेन्ट ऑफिसर के पद पर १–११–५६ से कन्फर्म्ड हैं और राधाकिशन चौधरी पी० एस० सी० में अभी असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार का इन्टरव्यू हुआ था और उसका रिज़ल्ट अभी कॉम्युनिकेट हुआ है उसके बारे में वापिस क्वैरी करके पी० एस० सी० ने मांगा है और श्री गोविन्द कांत शर्मा का इन्टरव्यू पी० एस० सी० ने लिया था जिसका रिज़ल्ट अभी विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि ये जो व्यक्ति किसी भी पोस्ट पर कन्फर्म्ड नहीं हैं और किसी भी पोस्ट के लिए पी० एस० सी० के द्वारा एप्रूव्ड नहीं हैं ? क्या यह सही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को डिप्टी रजिस्ट्रार पोस्ट किया गया उनके साथ साथ ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार की पोस्ट पर कन्फर्म्ड थे और उनसे सीनियर और ट्रेन्ड थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनसे ज्यादा सीनियर, ट्रेन्ड और क्वालीफाइड होते तो इनको करने की जरूरत पेश नहीं आती।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह सही है कि इनसे ज्यादा क्वालीफाइड और ट्रेंड नहीं होने की वजह से इन टेम्प्रेरी हैंड्स को रखा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, यह सही है जो आप फर्मा रहे हैं।

प्रश्न संख्या ४१६

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

फैक्ट्रीज़ एक्ट के अन्तर्गत 'नवयुग प्रिन्टर्स' का रजिस्ट्रेशन व रिन्यूवल

४२०. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) फैक्ट्रीज़ एक्ट के अनुसार 'नवयुग प्रिन्टर्स' (प्रेस) का रजिस्ट्रेशन कब हुआ तथा उसके बाद इसका रिन्यूवल कब कब हुआ ?

(ख) क्या यह सही है कि इसका रजिस्ट्रेशन व रिन्यूवल निर्धारित समय पर नहीं हुआ ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) फैक्ट्रीज़ एक्ट के अन्तर्गत 'नवयुग प्रिन्टर्स' का रजिस्ट्रेशन दिनांक २४-६-५६ को हुआ।

(ख) फैक्ट्री के लाइसेन्स का रिन्यूवल निर्धारित समय पर नहीं हुआ। फैक्ट्री के मालिकों को समय समय पर नोटिस द्वारा रिन्यूवल की फीस जमा कराने के लिये लिखा गया है। फैक्ट्री मालिकों ने १६५६ व १६६० के रिन्यूवल की फीस समय पर जमा न कराने पर उनको यह फीस पेनल्टी सहित जमा कराने का नोटिस २८-१२-५६ को दिया गया था। इस पर भी जमा नहीं कराने पर कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि 'नवयुग प्रिन्टर्स ने' अपना काम १६५४ से शुरू कर दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह हमें नहीं मालूम पर हमारे यहां सन् ५७ में रजिस्ट्रेशन के लिए दर्ख्वास्त आई थी।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक यानि ५७ से पहले जो माननीय गृह मंत्रीजी कहते थे कि उनके छापने-

(श्री भैरोंसिंह)

वाले विज्ञापनों के लिए पत्रों को सहायता दी थी तो यह सहायता उन्होंने सन् ५७ से पहले ही दे दी थी ?

गृह मंत्री (श्री राम किशोर व्यास) : विज्ञापनों के लिए तो जो एप्रूव्ड लिस्ट में होता है उसी को दे देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह कहने की स्थिति में है कि 'नवयुग प्रिन्टर्स' ने सन् ५७ से पहले अपना काम करना प्रारम्भ नहीं किया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: 'नवयुग प्रिन्टर्स' तो एक प्रेस है और जो एक नवयुग अखबार है वह सन् ५० से चालू हुआ है। अब कोई भी अखबार किसी भी प्रेस में छप सकता है। उसको सहायता देते रहे हैं लेकिन प्रेस का रजिस्ट्रेशन ५७ में ही हुआ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन है कि क्या सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है कि सन् ५७ के पहले जिस दिन दर्ख्वास्त दी थी उस तारीख से 'नवयुग प्रिन्टर्स' नाम का कोई प्रेस नहीं था और इस प्रकार के प्रेस ने कोई कार्य नहीं किया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रजिस्ट्रेशन ५७ में हुआ और इसके पहले प्रेस था या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह जांच करेगी कि सन् ५७ में जो रजिस्ट्रेशन के लिए दर्ख्वास्त पेश की थी उस तारीख पहले ही काम करना शुरू कर दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं जानकारी करा लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि सन् ५४ में काम शुरू किया था और ५७ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। आप नोटिस देते रहे हैं और इस सब का कारण यही है कि वहां से आपके समाचार निकलते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे समाचार तो हिन्दुस्तान के सारे अखबारों में निकलते हैं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जोबनेर कृषि कॉलेज के लिए बिजली की व्यवस्था

४२१. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि जोबनेर कृषि कॉलेज में बिजली के लिए शीघ्र व्यवस्था करने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ?

(२) क्या इस योजना में कॉलेज के अलावा कस्बेवालों को भी बिजली दिये जाने की व्यवस्था है ?

उप मंत्री कृषि (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां, यह योजना सन् १९६० तक क्रियान्वित हो जाने की आशा है।

(२) जी नहीं।

Page No.18

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार खर्चे की दृष्टि से ठीक नहीं समझती कि वहां ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे कस्बेवालों को भी बिजली मिले ?

श्री दौलतराम सारण : जितना प्रावधान है और जितनी बिजली मिल सकती है उतनी दी जा सकती है।

डॉ० चन्द्रकला : प्रावधान तो सरकार करेगी और वह जो प्रावधान एक कॉलेज के लिए कर रही है तो क्या वह कस्बे वालों के लिए प्रावधान नहीं कर सकती ?

श्री अध्यक्ष : इसका संबंध बिजली विभाग से है। है न....

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भीमसेन।

तहसील कोलायत के क्षेत्र में सिंचाई हेतु बंधे हुए बांधों की देखभाल की व्यवस्था

४२२. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री सिंचाई विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील कोलायत, जिला बीकानेर में बीकानेर स्टेट के समय से कितने सिंचाई हेतु बांध बने हुये हैं और उनमें से प्रत्येक बांध की सिंचाई क्षमता कितनी थी और अब कितनी है ? इन बांधों से इस समय वास्तव में कितनी सिंचाई हो रही है ?

(२) क्या यह सही है कि बीकानेर स्टेट के वक्त उपरोक्त बांधों व कोलायत, गजनेर तालाबों की देखभाल हेतु एस० डी० ओ० की श्रेणी का अधिकार रहा करता था ?

(३) अब उपरोक्त बांधों की देखभाल हेतु क्या व्यवस्था है ? क्या उक्त तहसील में कोई अधिकारी नियुक्त है ?

(४) राजस्थान निर्माण के बाद उक्त बांधों की मरम्मत व विकास हेतु तथा नये बांधों के निर्माण हेतु कितना खर्चा किया गया ?

(५) लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु क्या कभी इस इलाके का सर्वेक्षण किया गया ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) सिंचाई विभाग के अधिकृत भाखरा क्षेत्र में १४ बांध हैं। ये बांध बीकानेर रियासत के समय भवन एवं पथ निर्माण विभाग, बीकानेर क्षेत्र के अधिकृत थे। इन बांधों की सिंचाई क्षमता आदि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जावेगी।

(३) जी हां, अब यह बांध ओवरसीयर व एस० डी० ओ०, पदमपुर के अधिकृत है और वह इन की देखभाल करते हैं।

(४) राजस्थान निर्माण के बाद उक्त बांधों की मरम्मत के लिए अब तक करीबन ५०,०००) रु. खर्च हुये हैं।

(श्री दौलतराम सारण)

(५) लघु सिंचाई की सर्वे इस क्षेत्र में कभी नहीं हुई क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है इसलिए कोई योजना सफल नहीं हो सकती। इसलिए सर्वे कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, बिना सर्वे के कैसे मालूम होगा कि उसमें वर्षा कम है ?

श्री दौलतराम सारण : वर्षा का एवरेज कम है।

श्री भीमसेन : वर्षा का एवरेज कम है लेकिन वहां पर १४ बान्ध ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उनसे सिंचाई होती है और वह इकॉनामिक हैं। अध्यक्ष महोदय, १४ बांध वहां पर सक्सेसफुली काम कर रहे हैं और वे इकॉनामिकली हैं और सरकार जबाब दे रही है कि सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं है!

सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : वे सक्सेसफुली और इकानामिकली चल रहे हैं यह माननीय सदस्य केवल अपने खयाल से ले सकते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : बारिश होने की वजह से सर्वे नहीं हो सकती यह कोई वैज्ञानिक दलील समझ में नहीं आती है। जहां बारिश रहती है वहां क्या सर्वे नहीं करते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मेरा मतलब यह है कि बांध बनाने के लिए पानी चाहिए और अगर पानी नहीं है तो बान्ध बनाने से क्या फायदा ?

श्री जनार्दनराय नागर : आंखों में अगर पानी है तो उसके लिए ही सर्वे कर ली जाय।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आप कहते हैं कि बारिश नहीं होती है तो कोलायत की लेक में पानी काफी तादाद में बाहर कैसे निकल जाता है ? उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है, ऐसी हालत में अगर बान्ध बनाये गये तो उस पानी का इस्तेमाल हो सकता है, तो क्या इसके लिए सर्वे करना ठीक समझते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : बिना पानी के क्या कर सकते हैं ? जो बान्ध बनाये गये हैं उन बान्धों में भी पर्याप्त पानी नहीं आता है। मैं खुद देख कर आया हूं कि कोलायत झील भी खाली रहती है। उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : कभी कभी पानी ओवरफ्लो भी हो जाता है।

श्री दौलतराम सारण : आप बतलाए कोई विशेष चीज तो जानकारी करा ली जायेगी।

श्री भीमसेन : यह सूचना जो माननीय मंत्री महोदय ने दी है कि कोलायत की झील खाली पड़ी है और सिंचाई नहीं होती है वह बिल्कुल गलत है।

श्री दौलतराम सारण : मैं हर साल कोलायत जाता हूं और वहां की कितनी कैपेसिटी है वह मैं अच्छी तरह से जानता हूं।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : दोनों में कौन गलत है, अध्यक्ष महोदय, इसका निर्णय हो जाय ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : कुछ कुछ दोनों ही होंगे ।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ४२३

श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम गहलोत ।

प्रान्त का सहकारी लैंड मोर्टगेज बैंक

४२४. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची): क्या सहकारी मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में सहकारी लैण्ड मोर्टगेज बैंक कब स्थापित हुआ और आज तक उन पर कितना कितना खर्चा हुआ ?

यह बैंक प्रत्येक जिले में कहां कहां स्थापित किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) आज तक इन बैंक्स द्वारा काश्तकारों को कितना ऋण किस किस जिले में दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(३) क्या यह सही है कि पाली जिले की सहकारी भूमि बन्धक बैंक को अभी तक इस वर्ष की सबसिडी नहीं दी गई है जिससे उसके कार्य संचालन में बाधाएं आ रही हैं ? यदि हां, तो क्यों, और अब कब तक दे दी जावेगी ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की अभी पूरी सूचना कलेक्ट नहीं हो पाई है ।

श्री अध्यक्ष : इसको अगले सप्ताह रख लिया जाय ।

तहसील कोटपुतली की कांसली ग्राम पंचायत द्वारा पक्के मकान बनाने पर अधिक टैक्स की वसूली

४२५. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(क) तहसील कोटपुतली की कांसली ग्राम पंचायत ने आज तक किस किस व्यक्ति से, किस हिसाब से पक्का मकान बनाने का (पट्टेट का) टैक्स वसूल किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(ख) इनमें हरिजन कौन कौन हैं तथा उनसे किस हिसाब से टैक्स वसूल किया गया ?

(ग) इनमें चालीस वर्षों से काबिज़ भूमि पर किस किस व्यक्ति ने पक्का मकान बनाने का पट्टा लिया है ?

Page No.21

(श्री रामकरणसिंह)

(घ) क्या कीमत पर ६।) रु० फी सदी टैक्स लेने का नियम है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त पंचायत ने नियम से अधिक टैक्स लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार रकम वापिस दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) हरिजन केवल तीन, श्री हरिदेव, अजीतपुरा कलां, श्री ओंकार, निवासी फतहपुरा एवं संडाराम हैं जिनसे पांच आने प्रति गज़ से कीमत वसूल कर पट्टा दिया गया है।

(ग) किसी ने नहीं।

(घ) जी हां। भूमि, जिस पर ४० साल से अधिक का कब्जा साबित होने पर आंकी गई कीमत का ६।) रु.प्रतिशत द्रव्य वसूल करने का आबादी भूमि विक्रय नियमों में प्रावधान है। नियम से अधिक टैक्स नहीं लिया गया। रकम वापिस दिलाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री रामकरणसिंह : आपने प्रश्न (ख) के जवाब में हरिजनों से पांच आने प्रति गज के हिसाब से पक्का मकान बनाने के लिए कीमत वसूल की है, क्या यह नियमों के विरुद्ध नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं है।

श्री रामकरणसिंह : जो लिस्ट दी है उसमें कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बुजुर्गों ने पक्के मकान बना रखे थे वह नष्ट होगये तो उन्हीं मकानों पर अब दूसरे मकान बनाये जा रहे हैं फिर उनसे कीमत लेने की क्या आवश्यकता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बात यह है कि नियम यह है कि ४० साल से अधिक कब्जा मुतवातिर जब तक नहीं हो तो वह लिया जायगा। यह साबित नहीं हुआ होगा कि ४० साल से ज्यादा मुतवातिर उनका कब्जा है। चालीस साल से नीचे का होगा इसलिए चार्ज किया गया होगा।

श्री रामकरणसिंह : आपने जवाब में कहा कि नियम के विरुद्ध कोई भी रकम वसूल नहीं की गई और मैं जानकारी देता हूं कि कुछ व्यक्ति हैं जिनके बुजुर्गों ने पक्के मकान बनाये थे वे नष्ट हो गये तो उनकी मरम्मत का काम शुरू किया था, तो भी उन पर टैक्स लगा दिया गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ४० साल से ज्यादा का कब्जा होना चाहिए, मुद्दे की बात यह है। फिर भी यदि पता लगता है कि यह गलत है और आप जानकारी दें तो एन्क्वायरी करवा सकता हूं।

श्री रामकरणसिंह : उनके फादर्स और फोर फादर्स ने पक्के मकान बनाये थे और उनकी मरम्मत की गई तो उनसे लिया गया। यह मैं जानकारी देता हूं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ४० साल से ऊपर का कब्जा होना चाहिए था फोर फादर्स तो २० साल के भी हो सकते हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : फोर फादर्स २० साल के अन्दर कैसे होते हैं ?

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : फादर ने ले लिया हो तो हो सकता है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : २० साल के फोर फादर्स लीगल होते हैं या इललीगल होते हैं ?

श्री रामकरणसिंह : आपने फर्माया कि फोर फादर्स २० साल के होते हैं तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि पक्के मकान बनाये हरिजनों और दूसरे कुछ लोगों ने, उनका सालों से कब्जा होता है, उसके होते हुए भी ५ आने लिये गये हैं तो क्या नियम के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सैकड़ों सालों से कब्जा है तो आप जानकारी दें, तो मैं एन्क्वायरी करवाऊंगा ।

श्री रामकरणसिंह : जानकारी दे रहा हूं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप लिखकर जानकारी दे दें कि ४० साल के पहले से जिनका कब्जा था उनसे ५ आने वसूल किया गया है।

श्री गोकलचन्द जाटव (लछमनगढ़) : हरिजनों को मकान के लिए ७५०) रु० की सहायता दी जाती है और यहां पर टैक्स भी मांफ करने का नियम नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ४० साल का सब के लिए है और हरिजनों के लिए रियायत भी हो सकती है।

श्रीमती विमला देवी और श्री जगन्नाथ का दौसा म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के रूप में मनोनयन का रद्द किया जाना

४२६. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) :

Will the Local Self Minister be pleased to state:—

1. Is it correct that nearly 2 years back the Government cancelled the nomination of Shrimati Vimla Devi and Jagannath to Dausa Municipal Board and nominated Shri Bhoma and Mohana in their place?

2. Is it correct that Shrimati Vimla Devi and others made a writ petition to High Court against this action of the Government?

3. Is it correct that the High Court allowed the writ petition and declared the Government's action as ultra vires? If so, on what date?

4. Is it correct that the Government has not yet communicated the decision of the High Court to the Chairman, Dausa Municipality asking him to allow Shrimati Vimla Devi and Jagannath to attend the meeting of the Municipal Board?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम)

1. Yes.

Page No.23

(श्री सम्पतराम)

2. Yes.

3. Yes, on 4-1-60.

4. No.

श्री पी. के. चौधरी : Why 'No'? Why the Chairman has not been notified?

श्री सम्पतराम : No, the Chairman has been notified of the decision of the High Court.

श्री पी. के. चौधरी : आपने विमला देवी और जगन्नाथ का नाम कैन्सिल क्यों किया था और किस कानून के मातहत किया था?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : That was in pursuance of a Judgment of the High Court, that the nominations were cancelled.

श्री पी. के. चौधरी : उनका नोमीनेशन कैन्सिल किया गया था, वह किस कारण से और किस कानून के मातहत किया गया था?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ था कि सब्सीक्वेन्टली जो नोमीनेशन हुए हैं वे वेलिड नहीं हैं। ये सब्सीक्वेन्ट नोमीनेशन्स थे। उनको करने के पहिले जो नोमीनेशन हुए थे उनको वेलिड करार दे दिया था। उसकी रिट दुबारा हाईकोर्ट में गई हुई है, उसका क्या हुआ यह मेरे पास नहीं है। उसके पहिले यह हुआ था।

श्री पी. के. चौधरी : दुबारा का आपने बताया है। क्वेश्चन के रिप्लाई में 'हां' कहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह चेअरमैन को कॉम्युनिकेट कर दिया है। चेअरमैन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।

श्री. पी के. चौधरी : दुबारा हाईकोर्ट का फैसला नहीं है रिट के ऊपर। पहले की चर्चा करते होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला हुआ है। लेकिन पहिले वाला नोमीनेशन कैन्सिल क्यों किया था?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह हाई कोर्ट के फैसले के बिना पर किया था। मुझे याद है कि हाई कोर्ट का फैसला हुआ था गंगानगर के इलाके में किसी का नोमीनेशन गवर्नमेंट ने कैन्सिल किया था तो उस पर फैसला हुआ था कि गवर्नमेंट को नोमीनेशन में चेन्ज नहीं करना चाहिए और यह चेन्ज्ड नोमीनेशन था। दुबारा क्या हुआ यह मुझे मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि कैन्सलेशन हुआ, वह किस आधार पर हुआ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाई कोर्ट ने फैसला किया और इस केस के पहिले दो आदमी नोमीनेट हो गये थे, उसके बाद में नोमीनेशन चेन्ज हो गया।

श्री पी. के. चौधरी : स्पेसिफिकली किया गया है। विमला देवी और जगन्नाथ का नोमीनेशन क्यों किया गया था?

Page No.24

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीच में पहले हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक गलत था, इस लिए चेन्ज किया गया था।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : नोमीनेशन गलत होने की स्थिति में सरकार को कानून के अन्तर्गत क्या अधिकार है कि दुबारा नोमीनेशन करके पहिले वाले को कैन्सल कर दे ?

हाईकोर्ट का फैसला हो तो क्या गवर्नमेंट कर सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक जगह फैसला हुआ है तो दूसरी जगह भी लागू होगा, क्योंकि कानून वही है, कानून सब जगह एकसा है म्युनिसिपैलिटीज़ का।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय दोनों नोमीनेशन रिजेक्ट किये गये थे उस समय सरकार के सामने जो उन्होंने ऑर्डर दिया था, वह था ? हाईकोर्ट के फैसले के कारण से नोमीनेशन कैन्सिल किया जाता है, उस ऑर्डर का उल्लेख किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिल्कुल किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री पी. के. चौधरी : One question more Sir, हाईकोर्ट ने क्या फैसला किया, उसकी हाउस को जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी मैंने चाही थी क्वेश्चन न० ४ में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हाईकोर्ट का फैसला हुआ था वह चेअरमैन को इन्टीमेट कर दिया था। इस मामले में that is being implemented. What do you want more ?

श्री पी. के. चौधरी : आपके पास नहीं था तो इम्प्लीमेंट कैसे किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो पुरानी बात बता रहा हूं। At that time I was the Minister.

श्री पी. के. चौधरी : We want a reply from the present incumbent of the post.

श्री अध्यक्ष : वह तो उन्होंने कह दिया कि इम्प्लीमेन्ट कर दिया है।

श्री पी. के. चौधरी : कब किया ?

श्री सम्पतराम : २०. २. ६० को।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न आता है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले से कैन्सिल कर दिया। फिर आपने दो आदमियों को नोमिनेट किया, तो क्या फिर हाईकोर्ट ने उनको ल कर दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस बुनियाद पर नहीं किया....

श्री भैरोंसिंह : दूसरे आदमियों को नोमीनेट किया इसलिये उनके खिलाफ रिट लेकर गये और दुबारा हाईकोर्ट ने उनको कैंसल कर दिया, तो क्या हाईकोर्ट ने अपने पहले वाले फैसले को कैंसल करके उसके खिलाफ दूसरा फैसला दिया ?

Page No.25

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सबसीक्वेन्ट कोर्ट जजमेन्ट के बारे में मैं नहीं कह सकता।

श्री पी. के. चौधरी :Let the present Hon'ble Minister say it.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून म्युनिसिपैलिटी का सब जगह के लिये एक ही है, हाईकोर्ट ने जनरल प्रिन्सिपल को डिसाइड किया है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या हाईकोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेन्ट दिया, उसके लिये आप सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री मुरलीधर व्यास।

श्री पी. के. चौधरी : No, Sir, it should be done. When the High Court has given contradictory judgments, they should go in appeal against it.

श्री अध्यक्ष : Why should the Government feel impelled to do it ?

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट के सामने हाईकोर्ट के दोनों जजमेन्ट हैं, कौनसे को जायज मानेंगे ?

श्री अध्यक्ष : लेटेस्ट को मानेंगे।

श्री नरोत्तमलाल जोशी (झुन्झुनू) : Mr. Speaker, Sir, there is some confusion about this. The Judgment of the High Court is that once a member is nominated he cannot be removed by the Government by a subsequent nomination, and when these two persons were nominated once, it was wrong on the part of the Government to nominate two different persons. These members who have been previously nominated are as good members of the Municipal Board as elected members. So the question is, when these two persons were nominated by the Government, why other persons were nominated in their place and the nominations of these two persons cancelled ? There is no other judgment of the High Court as quoted by the Hon'ble Minister that the Government has every power to cancel the nomination of the members. Where is that udgement ?

I want to know specifically what prompted the Government to cancel the nominations of these two persons? That is my question and the sum and substance. The Hon'ble Minister should not confuse the real point in issue.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य को कन्फ्यूजन हुआ है। हाईकोर्ट ने फैसला किया उसके बिना पर नोमीनेशन कैंसिल किया गया, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कैंसिल नहीं किया है। सबसीक्वेन्ट नोमीनेशन नहीं होना चाहिये, जो पहले का था वही रहना चाहिये, उसके खिलाफ लोगों ने रिट पेश किया।

श्री पी. के. चौधरी : सबसीक्वेन्ट नोमीनेशन के सवाल को लिया, once a nomination has been made उसके बाद सबसीक्वेन्ट नोमीनेशन नहीं होना चाहिये। इसमें फ्रेश इलेक्शन हुआ था।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार बता सकती है कि विमलादेवी और जगन्नाथप्रसाद का नया एक्ट लागू होने के बाद नोमिनेशन हुआ था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नया एक्ट तो अब लागू हुआ है। उसमें नोमीनेशन का कायदा नहीं है।

राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन की मांगों पर निर्णय

४२७. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन, हनुमानगढ़, ने सरकार के सम्मुख क्या २ मांगें रखी व उन पर क्या क्या निर्णय दिया गया ?

(२) इस यूनियन को मान्यता दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) रजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट वर्कर्स, यूनियन, हनुमानगढ़, ने सरकार के समक्ष निम्न दो मुख्य मांगें प्रस्तुत कीं :

(१) फील्ड में कार्य करनेवाले श्रमिकों के समय की पबन्दी के विषय में।

(२) उनको मासिक वेतन देने में देरी नहीं करने के विषय में।

सुप्रिन्टेडिंग इंजीनियर, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, हनुमानगढ़, द्वारा एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर्स को आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :

(क) यह वांछनीय है कि कार्य-काल का समय श्रमिकों के लिये ८ घंटे नियत किया जाय। इसके अतिरिक्त काम लेने पर अतिरिक्त समय माना जावेगा।

(ख) यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक को हर माह का वेतन १० तारीख तक भुगतान कर दिया जावे, अन्यथा विलम्ब होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(२) नहीं, मान्यता के संबंध में कोई कानून प्रचलित नहीं है। परन्तु त्रिदलीय श्रम सम्मेलन के नियमों के आधार पर जो नीति तय हुई है उसके अनुसार मजदूर यूनियनों को मान्यता देते रहे हैं जो उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है। इस सम्बन्ध में विभागीय तौर से मान्यता दिलाने के बारे में पत्र व्यवहार जारी है।

श्री मुरलीधर व्यास: प्रश्न के नं.(२) के संबंध में मान्यता क्यों नहीं दी जा सकती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिपार्टमेंन्ट यूनियन को रजिस्टर करता है, उसमें गवर्नमेन्ट के आदेश का सवाल नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब फैसला ऐसा है कि कोई भी यूनियन रजिस्टर हो जाय, उसके बाद यदि १५—२० सदस्य होते हैं तो मैनेजमेन्ट को मान्य करना चाहिये और जब सरकार खुद मैनेजमेन्ट करती है और फैसला भी करती है और उस पर भी सरकार खुद मान्यता नहीं दे, तो इसका क्या कारण है ?

Page No.27

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मान्यता का कोई कानून नहीं है, the Labour Deprtmeut can pass any order that a certain union shoul be recognised. यह तो कोड ऑफ डिसिप्लिन का प्रोविजन है। हमने डिपार्टमेन्ट को कहा है कि मान्यता दी जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : कोड ऑफ डिसिप्लेन के अंदर भी मान्यता देनी चाहिये, ऐसा आदेश आपने डिपार्टमेन्ट को दिया है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसमें और भी डिमान्ड्स थीं ? दो के बारे में तो आपने कहा, उसके अतिरिक्त सीनियोरिटी के संबंध में और दूसरी सहूलियतों के संबंध में जो डिमान्ड्स थीं उनके संबंध में कोई फैसला हुआ है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेन डिमान्ड्स दो ही थीं, एक पेमेन्ट के बारे में और दूसरी ८ घंटे काम लेने के बारे में। मेन ये ही थीं।

मानपुरा (सिकराय) पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

४२८. श्री पी. के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Panchayat Minister be pleased to state :—

(1) Is it correct that a vote of no-confidence has been passed against the Up-Sarpanch, Manpura Panchayat (Sikrai) and the Collector has also upheld the motion of no-confidence as in order ?

(2) Is it correct that the Government has issued a stay order in this case ? If so, under which Section of the Panchayat Act this stay order has been issued.

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जी हां।

(२) जी हां। राजस्थान पंचायत एक्ट १९५३ की धारा ७६ के अन्तर्गत।

श्री पी. के. चौधरी : उस एक्ट की धारा ७६ में स्टे ऑर्डर के लिए क्या ऑथोरिटी दी है, पढ़ कर सुनाइये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब मैं किताब साथ में रखता हूँ। पढ़ कर सुना रहा हूं हिन्दी में सुनिये :

"७६. (१) राज्य सरकार मुख्य पंचायत ऑफिसर अथवा इस सम्बन्ध में शक्ति प्रदत्त किसी भी अन्य अधिकारी की आज्ञा के ठीक होने, उसकी वैधता अथवा उसके औचित्य के विषय में अपने आपको सन्तुष्ट करने के प्रयोजन के लिए संबन्धित लेख्य संग्रह को मंगा सकती है और ऐसा करते हुए यह निर्देश दे सकती है कि जब तक लेख्य संग्रह की जांच न हो जाय, ऐसी आज्ञा स्थगित रहे।

(२) लेख्य संग्रह की जांच करके, राज्य सरकार, जैसा भी वह उचित समझे मुख्य पंचायत ऑफिसर अथवा अन्य अधिकारी की आज्ञा को उलट सकती है, बदल सकती है अथवा उसमें सुधार कर सकती है।

Page No.28

श्री पी० के० चौधरी : पंचायत में नो कॉन्फीडेन्स प्रस्ताव आता है उसको रोकने का कहां है इसमें ?

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : इसके लिये अमेंडमेंट ला रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसमें सब कुछ आ जाता है।

श्री पी० के० चौधरी : You can stop the exeanion of an executive order but not the resolution of Panchayat.

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं, इसमें सारी बातें आ जाती हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : यह बात कोर्ट डिसाइड करेगा, हाउस नहो।

श्री पी० के० चौधरी : Then let it be decided by the Court. Why the stay order is issued by the Government ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह समझा जाय कि सरकार ने कानून के खिलाफ ऐसा आदेश दिया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसी बात नहीं है। इम्प्लीमेन्ट करने का आदेश चीफ पंचायत ऑफिसर देता है।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): तो उस सूरत में उसको इम्प्लीमेंट करने का आदेश होता है। चीफ पंचायत ऑफिसर ऑर्डर देता है। चीफ़ पंचायत ऑफिसर ऑर्डर दे, उसकी दफा ७६ के अधीन निगरानी होती है और दफा ७६ के तहत गवर्नमेंट को सुनने का राइट होता है। यह मैं क्लीअर कर चुका हूँ, and the order is perfectly legal.

श्री पी० के० चौधरी : The Government can stay the order of the Chief executive officer, लेकिन नोकॉन्फीडेन्स मोशन पर स्टे ऑर्डर नहीं कर सकते।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्टे कर सकते हैं। अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ। दफा १६ (३) में जो प्रोवीजन है, उसके अनुसार इस्तीफा नहीं देता है तो चीफ पंचायत ऑफिसर को और जे. सी. को राइट है कि ऑर्डर दे कि इस्तीफा दे दे। उस आर्डर के खिलाफ दफा ७६ में गवर्नमेंट को सुनने का अधिकार है। इसलिए स्टे कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह स्थिति पैदा हो गई थी कि सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया था, लेकिन उसने चार्ज नहीं दिया था।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फैक्ट्स मुझे मालूम नहीं हैं, लीगल पोज़ीशन मैंने आपको बताई।

श्री भैरोंसिंह : आपने जनरल फॉर्मूला तो बता दिया। क्या यह स्थिति है कि सरपंच के खिलाफ अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह स्थिति आई थी, जिसके कारण सरपंच ने चार्ज नहीं दिया और चीफ पंचायत ऑफिसर को ऑर्डर देना पड़ा कि चार्ज दिलाया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब डिस्प्यूट पैदा होती है तो ..

श्री भैरोंसिंह : मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं। आपने इस प्रकार के आदेश दिये तो क्या उसमें स्थिति पैदा हो गई थी कि सरपंच के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव पास हुआ तो उसने चार्ज नहीं दिया। चीफ पंचायत ऑफिसर को इन्टरफियर करते हुए ऑर्डर इश्यू करना पड़ा था।

श्री अध्यक्ष : विधि विभाग के पास भेज कर आप इसका निराकरण करा लें।

श्री भैरोंसिंह : तब तक स्टे ऑर्डर भी इश्यू न करें।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

नवयुग अथवा नवयुग प्रिन्टर्स के कर्मचारियों की तनख्वाह का भुगतान

४२६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सन् १६५८-५६ व ५६-६० में नवयुग में अथवा नवयुग प्रिन्टर्स (प्रेस) में कब कब हड़ताल रही और क्यों?

(ख) सन् १६५६-६० में किन किन व्यक्तियों को पत्र अथवा प्रेस की सेवा से मुक्त किया गया और क्यों?

(ग) इस प्रेस व पत्र के कर्मचारियों को सरकार की ओर से तनख्वाह चुकाने के सम्बन्ध में कब कब और क्या क्या आश्वासन दिये गये थे? इन आश्वासनों की पूर्ति हुई या नहीं? और अगर नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सन् १६५८-५६ में कोई हड़ताल नहीं हुई। सन् १६५६-६० में नवयुग डेली व नवयुग प्रिंटर्स में सम्पादकीय विभाग में ६ दिसम्बर से ३० दिसम्बर तक, कम्पोज़िंग विभाग में ६ दिसम्बर से ३० दिसम्बर तक तथा स्टाफ में १३ दिसम्बर से ३० दिसम्बर तक निम्न कारणों से हड़ताल हुई :

(१) मालिक प्रेस द्वारा सेवा मुक्त किये गये सर्व श्री सौभागमल जैन व ईश्वर मल बाफना को पुनः कार्य पर लेने के बारे में,

(२) माह नवम्बर के वेतन के चुकारे, वेतन सम्बन्धी आपस में किये गये समझौते को मालिकों द्वारा भंग किये जाने पर तथा

(३) सम्पादकीय विभाग के सदस्यों का हिसाब तय न किये जाने के कारण।

(ख) सन् १६५६-६० में दैनिक नवयुग के सम्पादकीय विभाग के दो सदस्य श्री ईश्वरमल बाफना व सौभागमल जैन को सेवा-मुक्त किया गया।

इनको सेवा-मुक्त करने का कारण यह था कि श्री ईश्वरमल से नवयुग डेली पेपर के अधिकारी ने यह जवाब मांगा कि आपका साप्ताहिक लोक जीवन से क्या सम्बन्ध है तथा दिनांक १०नवम्बर, १६५६ को अनुपस्थित रहने का क्या कारण है? श्री सौभाग मल जैन से पूछा कि आप एडिटोरियल बोर्ड

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

ऑफ फिल्म डाईरेक्टर अथवा अजन्ता प्रिन्टर्स में क्या काम करते हैं ? श्री ईश्वरमल बाफना व सौभागमल जैन ने तारीख ११ व १२ नवम्बर को जबाब देने के लिए इन्कार कर दिया, दिनांक १४ नवम्बर को नवयुग के अधिकारी ने माफी मांगने को कहा, परन्तु इन्होंने माफी नहीं मांगी, इस पर उनको चार्ज शीट दे दी गई। दिनांक २० नवम्बर को श्री जैन की इन्क्वायरी की गई और यूनियन की प्रार्थना पर श्री बाफना की छानबीन स्थगित कर दी गई। दिनांक २१ नवम्बर को श्री बाफना इन्क्वायरी में उपस्थित नहीं हुए, अतः मैनेजमेंट ने एक दफा फैसला देकर दिनांक २३ से श्री बाफना व जैन को उनकी सेवा से मुक्त कर दिया।

(३) सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया, अलबत्ता हड़तालियों को हड़ताल न तोड़ने व प्रेस की तालाबन्दी जारी रहने के कारण श्रम मंत्री ने दिनांक ३०-१२-५६ को प्रेस कर्मचारियों व सम्पादकीय विभाग के सदस्यों को यह आश्वासन दिया कि उनको बकाया तनख्वाह एक सप्ताह में अदा हो जायगी, अतः उन्हें काम पर चले जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप प्रेस का कार्य दिनांक ३१. १२. ५६ से पुनः चालू हो गया। इस आश्वासन की पूर्ति में देरी जरूर हुई, लेकिन पूरा हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : आश्वासन पूरा हो चुका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आश्वासन यह था कि नवम्बर तक की तनख्वाह का पेमेन्ट हो जायगा, वह हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : यह हड़ताल हुई और जिस समय आश्वासन दिया था, उसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि नवम्बर के माह तक का वेतन व बकाया का चुकारा हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात स्पष्ट थी कि नवम्बर माह की तनख्वाह एक सप्ताह में दे दी जायगी। इसमें देरी जरूर हुई है लेकिन नवम्बर तक की तनख्वाह मिल गई है, पेमेन्ट हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : यह इन्फोर्मेशन किसके द्वारा आई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : विभाग से जांच कराई है, डिप्टी लेबर कमिश्नर को कहा था। नवम्बर तक की तनख्वाह का पेमेन्ट हो चुका है। हड़ताल के पीरियड का कुछ बकाया है।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय हड़ताल हुई, उसके बाद आश्वासन दिया था। उस समय की तनख्वाह बाकी थी, उसका भुगतान हो चुका है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि नवम्बर तक की तनख्वाह का आश्वासन दिया था। दिसम्बर में हड़ताल हुई, उसका कारण था कि दो आदमियों को हटा दिया था, दूसरी बात थी कि तनख्वाह का पेमेन्ट नहीं हुआ था। उस समय नवम्बर माह तक की तनख्वाह के पेमेन्ट के लिए आश्वासन दिया था।

श्री भैरोंसिंह : आगे के लिए तनख्वाह के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून में ऐसा है कि प्रिन्टर्स को तनख्वाह नहीं मिलती है तो मजिस्ट्रेट को एप्रोच करना चाहिए। जो वर्किंग जनरलिस्ट्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती है तो लेबर कोर्ट को एप्रोच करना चाहिए। मैंने यह बता दिया था, लेकिन उन्होंने एप्रोच नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : डॉ चन्द्रकला।

जोबनेर विकास खंड का कार्यालय

४३०. **डॉ चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जोबनेर विकास खंड का कार्यालय कहां पर है, तथा उक्त कार्यालय को जोबनेर में न रख कर अन्यत्र रखने का क्या कारण है ?

(२) क्या यह सच है कि जोबनेर विकास खंड के कार्यालय के लिये सांभर में मकान बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो कितनी लागत का ? क्या यह राशि खर्च करके कार्यालय का भवन किसी और सुविधाजनक स्थान में नहीं बनाया जा सकता था ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जोबनेर विकास खंड का कार्यालय सांभर में है। कार्यालय को सांभर में रखने का कारण वहां पर आवागमन के अच्छे साधन तथा स्टाफ के लिये रहने हेतु पर्याप्त भवनों की उपलब्धि होना है।

(२) जी हां। कार्यालय भवन निर्माण के लिये १८,००० रु० की स्वीकृति है। निर्माण विभाग द्वारा साइट प्लान आदि निश्चित कर लिया गया है। सुविधाजनक स्थान होने के सम्बन्ध में भाग १ के उत्तर में कह दिया गया है।

डॉ **चन्द्रकला** : क्या सांभर में आवागमन के साधन व मकान की सुविधायें हैं, जो जोबनेर में नहीं हो सकतीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वहां पर रेल्वे के साधन नहीं हैं।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : जोबनेर के अन्दर आवागमन के साधन भी हैं, रेलवे स्टेशन भी है। सांभर जोबनेर से बहुत दूर पड़ता है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या इस सम्बन्ध में ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी ने सिफारिश की थी कि मुख्य कार्यालय कहां हो ?

श्री अध्यक्ष : ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी के द्वारा निर्णय किया गया होगा।

श्री पी० के० चौधरी : उनकी सिफारिश है या नहीं, यह पूछ रहा हूं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। १९५३ से यह हैड क्वाटर चला आ रहा है।

डॉ० चन्द्रकला : ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी ने कहां हैड क्वार्टर रखने की सिफारिश की थी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

Page No.32

श्री पी० के० चौधरी : आपके पास होनी चाहिए। इसका जवाब आपने दिया है सदन में एक दफा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब दिया था।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : यह तय होना चाहिए, जोबनेर में एग्रीकल्चर कॉलेज है, और कई बातें हैं। मकान की व्यवस्था मैं कर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी है।

(हिअर, हिअर)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सोचने की बात है, सोच कर फैसला किया जा सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : जी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह सोचने की बात है, सोच कर फैसला किया जा सकता है।

श्री पी० के० चौधरी : इसका जवाब मुख्य मंत्री जी ने खुद ने दिया था।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : साम्भर में हैड क्वाटर है, जोबनेर से यह १४ मील है।

प्रश्न संख्या ४३१

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४३२

श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४०३, श्री मूलचन्द डागा।

श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय।

प्रान्त में शराब बन्दी की योजना

४०३. श्री मूलचन्द डागा [(पाली) श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) द्वारा पूछा गया]: क्या आबकारी मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे :—

(क) राजस्थान में सन् १६५१ से लेकर क्रमशः १६५६ तक कितनी कितनी धनराशि की शराब की बिक्री हुई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि शराब की बिक्री प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इस बिक्री को कम करने का क्या उपाय सोच रही है ?

(ग) क्या सरकार शराब बन्दी का कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

आबकारी मन्त्री(श्री रामचन्द्र चौधरी) : (क) तालिका संलग्न है।

(ख) जी हां। शराब की बिक्री कम करने के लिये कई दुकानें बन्द की गई हैं

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

तथा समय समय पर शराब की कीमत भी बढ़ाई गई है जिससे कि इसका प्रयोग कम हो। इसके अतिरिक्त साल में ६ शुष्क दिवस मनाये जाते हैं।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : सरकार ने उपाय किया, उसका परिणाम भी देखा, जो उसके अनुकूल परिणाम आना चाहिये, वह आया क्या ?

श्री अध्यक्ष : परिणाम तो उल्टा आया।

(हंसी)

श्री रामचन्द्र चौधरी : शराब की दुकानें बन्द की हैं। लेकिन लोगों की आर्थिक हालत अच्छी हो गई है, इसलिये ज्यादा पीने लग गये हैं।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : शराब बन्दी की असफलता के बाद सरकार क्या सोचती है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : असफल नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला: अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि परिणाम उल्टा आया कि लोग ज्यादा पीने लगे हैं। मन्त्रीजी कहते हैं कि असफल नहीं है, इस विरोधाभास का क्या मतलब है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

एपेक्स मारकेटिंग सोसाइटीज़ द्वारा कपूर की खरीद और वितरण

४०५. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Co operative Minister be pleased to state:-

Is it correct that the Apex Marketing Societies of the State purchased campher from the State Trading Corporation of India for supplying the same to the various societies under it ? If so, what is the total quantity of campher purchased and at what rate and how it has been distributed through the various societies ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां, ३३०७ पौंड व्रॉस कपूर ३ रुपया २६ नये पैसे प्रति पौंड की दर से खरीदा गया। वह कपूर समितियों की मांग व स्टाक की स्थिति को देख कर दिया जायगा।

श्री पी० के० चौधरी : तीन हजार मन कपूर खरीदा, तो राजस्थान का सालाना कन्ज़म्प्शन कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मन नहीं, पौंड है।

श्री पी० के० चौधरी : राजस्थान का सालाना कन्जम्प्शन कितना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मन और पौंड में फर्क है। राजस्थान में कितनी खपत होती है, यह नहीं कहा जा सकता। वह कई गुना ज्यादा है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि उनकी रिपोर्ट में तीन हजार पौंड नहीं है, २७ हजार पौंड है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसकी रिपोर्ट में ? हमने जो खरीदा, वह बताया है ।

श्री पी० के० चौधरी : कोऑपरेटिव सोसाइटी की सालाना बजट रिपोर्ट है, उसमें २७ हजार पौंड है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : गलत छप गया होगा । खरीदा इतना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री बी. एन. जोशी ।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा ?

(अनुपस्थित)

श्री **तेजमल बापना** (बनेड़ा) : इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जाय ।

~~श्री तेजमल बापना~~ : ४३२ का जवाब मिलना चाहिये साहब ।

कपड़े की मिलों के मजदूरों के पगार का भुगतान

४३२. **श्री मूलचन्द डागा** [(पाली) श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) द्वारा पूछा गया] : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में कुल कितने कपड़े की मिलें चालू हालत में हैं तथा कितनी कपड़े की मिलें किन कारणों से बन्द पड़ी हैं ?

(ख) जो मिलें बन्द हो चुकी हैं, उनमें कितने मजदूरों की तनख्वाहें बाकी हैं ?

(ग) क्या सरकार उन मजदूरों को पगारें दिलाने की व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (ग) ६ मिलें चालू हैं तथा ५ मिलें आर्थिक संकट के कारण बन्द हैं ।

(क) बन्द मिलों में जहां जहां मजदूरों की तनख्वाहें बाकी हैं उनका ब्यौरा इस प्रकार है :

१. महाराजा किशनगढ़ मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़, लगभग २००० मजदूरों की जुलाई व अगस्त, १६५५ की तनख्वाह ।

२. मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा में १५०० मजदूरों की अक्टूबर व नवम्बर, १६५६ की तनख्वाह ।

(ग) कानूनी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री पी० के०चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के मज़दूरों

Page No.35

(श्री पी० के० चौधरी)

को मन्त्री महोदय आश्वासन देकर आये थे कि जल्दी से जल्दी तनख्वाह मिल जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह आश्वासन दिया था कि मिल जल्दी चालू करा दी जायेगी और तनख्वाह जरूर मिल जायगी। तनख्वाह मिलने के बारे में मजिस्ट्रेट के यहां अटेचमेंट की कार्यवाही हो रही है। गवर्नमेंट तनख्वाह कैसे दे सकती है ? मैंने यह आश्वासन दिया था कि मिल जल्दी चालू करवा दी जायेगी, मिल चालू हो जायेगी तो उनको तनख्वाह जरूर मिलेगी।

श्री पी० के० चौधरी : यह आश्वासन कब दिया था, किस तारीख को दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कई महीनों पहले दिया था। आश्वासन देने के बाद एक महीने की तनख्वाह तो मजदूरों को मिल भी गई है और बाकी तनख्वाह देने की कार्यवाही चल रही है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : मिल कब चालू करवा दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भारत सरकार से राजस्थान की लिखा-पढ़ी चल रही है।

श्री पी० के० चौधरी : मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स के अलावा किशनगढ़ मिल को और अन्य बन्द मिलों को चलाने के लिए क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो बहुत पुरानी बन्द हैं उनको तो स्क्रेप्स डिक्लेअर कर दिया है। इन दोनों को टेक ओवर करके चलाने की भारत सरकार से कार्यवाही हो रही है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मज़दूर नेताओं पर संकट आ गया है, वह कब तक दूर करेंगे ?

श्री पी० के० चौधरी : क्या उनको टेलीफोन करके चलाने को कहा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२. १२. म. प.

विधायी कार्य

राजस्थान पंचायत(संशोधन) विधेयक, १९६० (पुरः स्थापन)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (पंचायत मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६०, को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री महोदय अपना भाषण बहस के उत्तर में जारी करेंगे।

Page No.36

१२. १३. म. प.

आय व्ययक, ६०–६१ पर हुए वाद विवाद का सरकार की ओर से उत्तर

(पूर्व क्रम से)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : कल मेरा वक्तव्य समाप्त नहीं हुआ था।

(करतल–ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : इन थप्पियों से डरने वाले नहीं हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : भाषण तो कल शुरू हो गया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कल मेरा वक्तव्य समाप्त नहीं हुआ था, मैं फिर प्रारम्भ कर रहा हूं। कल मैं बता रहा था कि एक माननीय सदस्य ने सन् ५६ से लेकर अब तक प्रतिवर्ष बजट के आंकड़ों और बचत या घाटे में जो फर्क दिखाई दिया उस पर ध्यान दिलाते हुए यह नतीजा निकालना चाहा है कि या तो यह हमारी अयोग्यता का निर्दशन है या हम धोखा देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों बातें नहीं हैं, दोनों बातें गलत हैं। १९५६–५७ में १७० लाख का घाटा था, उनकी बजाय ३४५. २४ हो गया। मैं कल यह बता रहा था कि यह कोई अनुमानों के लगाने की गलती नहीं थी। आकस्मिक जो खर्चा आ गया उस साल में उसके कारण यह फर्क पड़ा है। जैसा कि मैंने अर्ज किया, अजमेर का इन्टीग्रेशन हुआ, उसकी वजह से १ करोड़ रुपया उस साल का आकस्मिक तौर पर खर्च करना पड़ा, हम पर जिम्मेदारी आ गई थी। दूसरा कारण यह था कि रेशनेलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स भी उसी साल में हुआ जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो अजमेर को ग्रान्ट इन एड मिला करती थी वह भी नहीं मिली। तो ये दो–तीन कारण ऐसे हुए कि इसके लिए हमको यह जिम्मेदारी लेनी पड़ी और इस साल १७० लाख का घाटा था वह ३४७ लाख हो गया। अगर इसका हिसाब लगाया जाय तो इसमें अनुमान लगाने की गलती नहीं हुई है।

इसी तरह १९५७–५८ में इसका उलटा हुआ। २८० लाख का घाटा माना था, वहां ६३ लाख का रह गया। इसका मुख्य कारण यह है कि शुरू में फाइनेन्स कमिशन के सामने हमारा क्लेम पेश था और उन्होंने इन्टेरिम रिकमन्डेशन १ करोड़ के ऊपर की थी, उसका क्रेडिट लिया, पर फिर फाइनेलाइजेशन होकर हमको करीब २।।–३ करोड़ रुपया मिला, इससे जो घाटा ज्यादा था वह कम हो गया।

मुख्य कारण तो इसमें यह है और सेन्ट्रल टेक्सेज़ के बारे में जो कुछ फाइनेन्स कमिशन से मिलने वाला था इस साल में मिला, इससे भी फर्क पड़ गया।

सन् १९५८–५९ में भी ३ लाख की बचत मानी थी, उसमें १९७ लाख का घाटा रहा, इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले सालों में अनाज की सप्लाई की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ली थी, इसमें करीब एक करोड़ का घाटा हुआ उसका जमा-खर्च पिछली साल में करना पड़ा, दूसरे १९२ हजार का यूनिवर्सिटी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

का जमा करना था। इसके अलावा जयपुर की बाईजीलाल का १० लाख रुपया था।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : यह किस्सा क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोई बाईजी-लाल का किस्सा है।

श्री जनार्दनराय नागर : कौन से बाईजीलाल ?

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जयपुर महाराज की लड़की।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो इस प्रकार से १३० लाख और ५० हजार के करीब यह रकम हो जाती है। यह हिसाब लगाया जाय तो मालूम पड़ेगा कि यह फर्क पड़ा है वह विभाग के मिस्केल्कुलेशन के कारण से नहीं हुआ है, आकस्मिक रूप से रुपया खर्च हो गया और उसकी जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ी।

अब इसके बाद में मैं माननीय अध्यक्ष, ऋण के प्रश्न को लेता हूं। इसके बारे में मैंने अपने भाषण में यह आश्वासन दिया, आशा व्यक्त की कि ऐसी कोई चिन्ता की बात नहीं है। पर कुछ माननीय सदस्यों को ऐसा लगा कि उनके लिये यह चिन्ता की बात है। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जो ऋण के मामले में माननीय सदस्य ने आंकड़े दिये हैं किसी ने कुछ और किसी ने कुछ दिये हैं, ग्रॉस फिगर्स व यहां किसी ने रेवेन्यू पेमेंट को नहीं जोड़ा है, इसलिये भिन्न भिन्न आंकड़े हैं। जो सही आंकड़े हैं, वे मैं पेश कर रहा हूं और मेरे भाषण में भी वे आंकड़े दिये गये हैं। ३१ मार्च, १९६०, को हमारे टोटल एसेट्स १ अरब ४५ करोड़ ६ लाख २७ थे उसके अगेन्स्ट में हमारी लाइबिलिटीज़ १ अरब २८ करोड़ ८५ लाख ४१ थी, यानी यह रकम हमको देनी थी भिन्न भिन्न प्रकार से।

श्री भैरोंसिंह : ४८ करोड़ हैं या २८ करोड़।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसका सार यह निकलता है कि १६ करोड़ एसेट्स हमारे पास ज्यादा हैं और यह बताया गया है कि.......

श्री भैरोंसिंह : एक अरब ४८ करोड़ हैं या २८ करोड़ हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक अरब २८ करोड़ हमारी लाइबिलिटीज़ हैं और १ अरब ४५ करोड़ हमारे एसेट्स हैं। इसलिये एसेट्स ज्यादा हैं। अब यह भी बताया गया कि यह एसेट्स ज्यादा कैसे हैं। पिछले समय जब हमने सरकार की ओर से लोन के लिये स्टेटमेंट तैयार किया था उस वक्त रिज़र्व बैंक को आंकड़े देने पड़े थे और जो आंकड़े हमने रिजर्व बैंक को दिये उसमें चार महीनों का हिसाब और जोड़ कर अंदाज लगा लिया है। जो आंकड़ों का स्टेटमेंट दिया वह मेरे पास है और जिसे मंजूर किया है। इसलिये हमको इसमें दिक्कत अदायगी में होने वाली है उसके लिये चिन्ता की बात नहीं है। अदायगी की सूरत में यह बताया गया कि ३ करोड़ या ३॥ करोड़ असेट्स....

Page No.38

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : ये असेट्स कैसे हैं, प्रोडक्टिव हैं या नॉन प्रोडक्टिव ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नॉन प्रोडक्टिव तो नहीं होते । प्रोडक्टिव से हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या उसमें बिल्डिंग्स, चेअर्स और दूसरा फर्निचर आदि शामिल नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे चीजें इसमें शामिल हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं भी यह चाहता हूं कि मुझे बोलने दिया जावे । माननीय सदस्य धीरज रखें ।

श्री अध्यक्ष : फिर भी कोई शंका रहे तो बाद में पूछ सकते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : बजट का मामला है, समझने की कोशिश करें भाई ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो असेट्स आपने पूछे हैं उसमें :—

केपिटल है ६६ करोड़ ८८ लाख
लोन्स एन्ड एडवान्सेज २१ सौ ३० करोड़
इन्वेस्टमेंट इन स्माल सेविंग एन्ड पोस्टल सर्टिफिकेट्स १३ करोड़ ७ लाख

श्री पी. के. चौधरी : केपिटल में........

श्री अध्यक्ष : Please don't interrupt him. Let him have his own say in his own way.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : Construction of nevigation, embankments etc. 80 lacs.

Capital outlay on industrial development ...31 l.

Capital outlay on multipurpose river schemes etc. 40 crores 28 lacs.

Capital account of civil works outiside Revenue account 19 crores ..

Capital autlay on local schemes 2 crores 12L.

Capital account on other works outside revanue account 61 lacs.

Capital outlay on road, water transport schemes outside revenue account 57

इस प्रकार से असेट्स की पोज़ीशन है, जिसको देखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को कोई खास चिन्ता करने का प्रयोजन नहीं है ।

(हंसी)

सरकार को तो कम से कम चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है ।

अब इसके बाद मैं, अध्यक्ष महोदय, इस आपत्ति का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि यहां पर जो यह कहा गया है कि वित्त कमिशन गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के सामने रेल्वे आदि के मामले को ठीक तरह से नहीं रखा और उसकी पैरवी ठीक तरह से नहीं की गई जिससे यह रेल्वे वगैरह के खजाने में जो रकम मिलनी चाहिये नहीं मिल सकी और इस कारण हमारी सरकार घाटे में

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

रही। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर उनको समय मिल जावे और वे उस मेमोरेन्डम को पढ़े जो राज्य सरकार की तरफ से गवर्नमेंट को इस बारे में पेश किया गया था........

एक माननीय सदस्य : यह बहुत बड़ा है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसका पेज मैं आपको बता देता हूं। वह है १४ पेज। वैसे तो इसमें १२२, १२३ पेज हैं। माननीय सदस्य जो जोधनेर से आने वाले हैं, वे तो अध्ययनशील हैं सब पढ़ लेंगे और जो नहीं पढ़ सकते हैं वे इसके पेज १४ को पढ़ेंगे तो उनको मालूम होगा कि किस युक्ति-संगत तरीके से और फोर्स के साथ अपने केस को रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि और स्टेट्स के मुकाबले में राजस्थान सरकार फायदे में रही है।

रेल्वे के बारे में यह कहा जाता है कि इसका असेट्स का मुआवज़ा हमें नहीं मिला, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय पोलिटिकल इन्टीग्रेशन के बाद आर्थिक इन्टीग्रेशन का प्रश्न पैदा हुआ था तो उसके लिये उसूल तय किया कि जो विषय सेन्टरल गवर्नमेंट के अधीन रखे जावेंगे तो उसके खर्चे की लाइबिलिटी और असेटस की जिम्मेदारी सेन्टर गवर्नमेंट की होगी और जो विषय राज्य सरकार के अधीन रखे उसकी लाइबिलिटोज़ और असेट्स उनके जिम्मे रहेंगे। इसके मुताबिक रेल्वे, पोस्ट ऑफिस आदि सेन्ट्रल सब्जेक्ट्स माने गये और उनके अनुसार उसके खर्चे और आमदनी सेन्टर के जिम्मे चली गई और इस आधार पर सारी राज्य सरकारों का फैसला किया गया। यह कम्पेन्सेशन का प्रश्न सारे भारत के राज्यों के लिये था और इसलिये पूर्वोक्त के कारण से वह कम्पेन्सेशन का प्रश्न नहीं उठा। इसके अलावा मैं यह कहूंगा कि इसके फलस्वरूप उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया और कहा कि हम घाटे के जिम्मेदार हैं। रेलवे राजस्थान में चलती है और इसमें कोई परिवर्तन हुआ हो ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैं आपको माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि राज्य की इन्कम टैक्स के बारे में कई राज्यों का, उन्होंने कहा कि जितना राज्य की इन्कम टैक्स के मामलों में आय होती है उसके आधार पर बंटवारा किया जाय। मगर एक्चुअल आय में हम घाटे में रहते थे क्योंकि हमारे यहां आय कम है। इसलिये हमने इस बात पर जोर दिया कि पोपुलेशन के हिसाब से हमें दिया जावे और वह मन्जूर किया गया और आज हमें उस प्रपोर्शन से इन्कम टैक्स का मुआवज़ा मिलता है और पोपुलेशन के हिसाब से मुआवजा लेने में हम फायदे में रहे हैं।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि रेलवे और दूसरे मामलों में अपनी राज्य सरकार ने काफी कार्यवाही की है और आज मैं बताना चाहता हूं कि फाइनेन्स कमिशन के पहले ३ या ३॥ करोड़ रुपया हमको शेअर का मिलता था। हमने पैरवी की, उसके फलस्वरूप हमको ४ करोड़ रुपया ज्यादा मिलता है और आज ३॥ करोड़ के बजाय

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

७-७॥ करोड़ रुपया मिलता है। साथ ही जैसे फौज़ थी वह आरमी (Army) सेन्ट्रल सब्जेक्ट हो गया। यदि हमारे यहां हमारे राज्य को आरमी रखनी पड़ती तो दो-तीन करोड़ रुपया इस पर भी खर्च करना ही पड़ता। इस खर्च की जिम्मेदारी से बच गये। वह चीज़ अलग है।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर जो कुछ आपत्ति उठाई गई कि जो ७४ लाख की आय घटी थी हमने उसकी पूर्ति करने के लिए कर का प्रस्ताव अभी रखा है, उसमें सरकार को लेकर काफी माननीय सदस्यों ने, मतभेद कहिये या विरोध कहिये, प्रदर्शित किया। चूंकि इस सम्बन्ध में एक बिल पेश हुआ है इसलिये जब इस पर चर्चा होगी तब ही इसकी चर्चा करना अधिक मुनासिब होगा। लेकिन मैं एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लिया गया था उसमें कई प्रकार की कठिनाइयां सरकार को और जिन पर कर का भार पड़ता था उनको होती थीं। इसलिये इसका हमने तरीका बदला और अब यह किया कि पचास रुपया जो लगान सालाना देता है उससे अन्नी रुपया लिया जाय। दर असल, जिसकी पचास रुपया साल का लगान है कम से कम उसकी आमदनी १,५००) या २,०००) होगी, तो यह ३ रु० २ आना पचास रुपये पर नहीं लिया जा रहा है किन्तु जो आमदनी १,५००) या २,०००) की होगी उस पर यह आवेगा। अब तक जो पचास रुपया साल का लगान देता था लेकिन यह पर्सेन्टेज किस पर पड़ा? पचास रुपये पर नहीं किन्तु १,५००) या २,०००) की जो आमदनी होगी उस पर पड़ेगा। उस पन्द्रह सौ या दो हज़ार की आमदनी में से यह लेंगे। यह बहुत नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): इसके माने तो यह हुए कि एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से यह टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: कम से कम उसकी १,५००) या २,०००) तो आमदनी मानेंगे। जो खेतिहर हैं, किसान हैं, १,५००) २,०००) तक कमाता है, पैदावार उसके घर में आती है, उससे ३ रु० २ आना लिया जाय तो मैं यह नहीं मानता कि यह किसी को अखरना चाहिये।

दूसरी यह दलील दी गई कि किसान पर कर का भार अधिक नहीं पड़ना चाहिये। यह मैं स्वीकार करता हूं कि कर का भार उन्हीं पर पड़ना चाहिये जो कि कर के भार को उठा सकें। माननीय सदस्य ने उदाहरण दिया कि पहले कर का भार डाला जाता था तो उसके लिए सूर्य का उदाहरण दिया जाता था, जैसे सूर्य किरणों के द्वारा देता है और लेता भी है। हमने भी, हमारी राज्य सरकार ने वही नीति अपनाई है।

(हीयर-हीयर)

सूर्य जब तपता है तो वह समुद्र में से ही नहीं लेता है किन्तु छोटी बड़ी नदियों में से भी लेता है और यदि आपके गांव के पास कोई गड्ढा है तो उसमें से भी लेता है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आदमी के शरीर में से भी खींचता है।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसमें से भी खींचता है ?

श्री चन्दनमल वैद : तो आप किसान के शरीर में से भी खींच रहे हैं क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पचास रु० की छूट रखी है । उससे नीचे वालों से नहीं लेना चाहते । उस उदाहरण से तो यह भी नहीं होता । आज छूट दी है। छूट देने की नीति को मैं पसन्द नहीं करता हूं। मेरा वश चले तो मैं यह चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति वे जिस किसी राज्य से लाभ उठाता है तो वह राज्य के विकास के लिये शक्तिभर उसमें कॉन्ट्रिब्यूट करें । इसमें नागरिक की भावना की आवश्यकता है। जब कर का भार लेते हैं तो लेते ही चौंक जाते हैं। बहुत कम जगह यह माना जाता है कि यह अच्छी चीज़ है, लेकिन कर का नाम लेते ही भार पड़ा, जैसे किसी ने चांटा मार दिया। जो विकास की योजनायें बनायेंगे उनका बहुत बड़ा आधार उन्हीं करों पर तो होगा। कर कैसे रहे ? उसकी प्रणाली ऐसी रहे कि जिससे कम से कम लोगों को कष्ट हो । लेकिन कर–आरोपण की प्रथा है इसको बढ़ाना चाहिये, इसको तो स्वागत योग्य बना देना चाहिए। यह होना चाहिये कि हमसे कर लीजिये, लेकिन विकास का काम नहीं रुकना चाहिये। लेकिन मैं देखता हूं कि कर लगाते हैं तो ऐसा ख्याल होता है कि क्यों लगाते हैं, नहीं लगाये जाने चाहिये। राजा–महाराजा का सवाल होता, पैसा खींच कर विदेश चला जा रहा है, वहां जमा हो रहा है तो मैं मानता। लेकिन यह तो आपका खजाना है, विकास के काम हैं। करों का भार पड़ता है तो क्या नाक-भौं सिकोड़ना चाहिये ? इसलिये मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह जरूर देखा जाय कि जो कर लगाये गये हैं वे उचित हैं या अनुचित। मैं इससे सहमत हूं कि कर की प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि जिससे कम से कम कष्ट हो। कर लगाने में सरकार की नीति किसी को कष्ट देने की नहीं है। सरकार किसी को कष्ट देने के लिए नहीं बनी है। उसकी यह नीति है कि अधिक से अधिक सुविधा जहां तक हो सके दी जावे।

करों की चोरी भी होती है। सदन का भी यह दायित्व है कि कर की चोरी न होने दे।

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : सदन की या एडमिनिस्ट्रेशन की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सदन के माननीय सदस्यों की, यह मैं मानता हूं।

डॉ० चन्द्रकला : एडमिनिस्ट्रेशन की है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सदन का ही एक अंग एडमिनिस्ट्रेशन है। हर बात सदन में आती है। हर छोटी बात सदन में आनी चाहिये, कल ही एक माननीय सदस्य ने कहा था इस विषय में। मैं इसको मानता हूं। सारे राज्य की भलाई–बुराई की जिम्मेदारी सदन की है, यह मैं मानता हूं। आज एक पार्टी के हाथ में सरकार है। यदि बात सदन

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

में न आवे तो फिर ऑपोज़िशन का कोई महत्व ही नहीं है। जब महत्व है तो मीठा २ गप्प और कड़वा २ थू, यह नहीं हो सकता है। करों की चोरी को रोकने के लिए माननीय सदस्यों का सहयोग होना चाहिये, मिलना चाहिये सरकार को और ऐसा मानस बनाना चाहिये कि करों की लोग चोरी न करें। यह कहा गया कि यदि करों की चोरी न हो तो कम कर लगाये जा सकते हैं, मैं इसको मानता हूं। तो क्या आप चाहते हैं कि केवल पुलिस के बल पर ही प्रजातन्त्र में करों की चोरी को रोक दिया जाय? यदि यह चाहते हैं तो प्रजातन्त्र नहीं चल सकता। करों की चोरी को मिटाने के लिए लोगों को, माननीय सदस्यों को वातावरण बनाना पड़ेगा। इसमें एजुकेशन की जरूरत है। इस एजुकेशन में सदन की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं यह नहीं मानता। यदि माननीय सदस्य मानते हैं तो....

एक माननीय सदस्य : आप भी तो हैं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं यहां हूं। इस समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं। मैं सदस्य की हैसियत से नहीं बोल रहा हूं लेकिन सरकार के एक मन्त्री की हैसियत से बोल रहा हूं। सदस्य हूं, मैं मानता हूं। यदि इस प्रकार से कर-आरोपण किया जाय तो उसका स्वागत होना चाहिये और मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह प्रार्थना भी करना चाहता हूं।

बजट के वित्तीय पक्ष के सम्बन्ध में जो आपत्तियां पेश की गई उनका मैं निवारण कर चुका हूं। कुछ बातें अवान्तर में आ गई, उन पर भी मैं रोशनी डाल देना चाहता हूं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में यह जो कुछ कहा गया उसमें कुछ भ्रम सा है, जहां तक उनकी छंटनी करने का सवाल है यह तो पहले भी निवेदन किया जा चुका है कि उनकी छंटनी नहीं कर रहे है। सिर्फ ये लोग जहां जरूरत से ज्यादा हैं उनको उन जगहों से हटाकर (जिनको अभी सरप्लस माना है) जहां जरूरत होगी उनको लगाया जायगा। एक यह भी बात कही गई कि बड़े बड़े ऑफिसर्स में कमी क्यों नहीं की जाती और इस बारे में कलेक्टर, कमिश्नर और तहसीलदारों तक का ज़िक्र आया, इनमें कटौती की जा सकती है इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान हर चीज़ की तरफ है, ज्यादा आमदनी कहां कहां से हो सकती है और कैसे हो सकती है, इस तरफ भी ध्यान है और कहां कहां से बचत हो सकती है इस तरफ भी है और वाजिब तौर पर खर्चा किया जाय इस तरफ भी है। इसके लिये इकोनोमिकल कमेटी बिठायी गई है। जहां तक कमिश्नर्स की जगहों के कमी करने का सवाल है मैं यह बता देना चाहता हूँ यह सवाल मंत्री-मंडल के सामने भी आया था इस पर चर्चा भी हुई थी और करीब करीब हम इस नतीजे पर पहुंच गये थे कि कमिश्नर्स की संस्था का अब प्रयोजन नहीं रहा। लेकिन दूसरा पक्ष भी सामने आया उसमें कुछ वजन है। कल माल मंत्री जी ने कह दिया था कि अभी तक हम क्यों कमिश्नर्स को रख रहे हैं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह तो

(श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा)

माल मंत्री की राय थी, वित्त मंत्री जी की राय क्या है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माल मंत्री जी ने सरकार की तरफ से कहा था, व्यक्तिगत रूप से नहीं । मेरी यह राय है कि जितनी भी हम बचत कर सकें करनी चाहिये ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था । उदयपुर, जयपुर व जोधपुर, जहां की पोपुलेशन ५०-६० लाख के करीब है वहां पर भी एक कमिश्नर और बीकानेर, कोटा जहां कि १४ लाख की पोपुलेशन है तीन ही डिस्ट्रिक्टस हैं वहां पर भी एक कमिश्नर; इसका हिसाब लगाया आपने कि पर केपिटा कितना एक्सपेन्डीचर पड़ता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इन कमिश्नर्स के मामले में हमने काफी सोचा है। अभी तक इनकी आवश्यकता है, ऐसा हमने महसूस किया है । इतना ही मैं इस समय इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं ।

सरचार्ज के बारे में भी यह कहा गया, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य की तरफ से और जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या की ओर से कि सरचार्ज की असमान दरें हैं । जब तक लैन्ड रेवेन्यू की दरें समान नहीं हो जातीं तब तक सरचार्ज लगाने से यह होगा कि जो ज्यादा देते हैं लगान उन पर सरचार्ज ज्यादा पड़ेगा और जो लगान कम देते हैं उन पर कम; उनका कहना ठीक है । लेकिन कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, जो सुझाव दिया है वह इन सब बातों को ध्यान में रखने के बाद दिया गया । हम कोशिश कर रहे हैं कि लगान की जो भिन्न दरें हैं उनको समान किया जाय । जब तक समान दरें नहीं हो जातीं तो वैसी हालत में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा ही । लेकिन केवल इसी वजह से सरचार्ज का विरोध किया जाय, यह मैं ठीक नहीं मानता ।

अध्यापकों के आवास गृह के लिये भी कहा गया । इसके साथ साथ एक मजेदार बात भी कही गई थी ब्लैंक चैक वाली यानी मैं आंखें मीच कर दस्तखत करता हूं यह उनका कहना था । इसके मायने यह नहीं कि मैं आंख मीचकर दस्तखत कर देता हूं यदि ऐसा होता तो माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे यह जगह नहीं देते और मुझे एक माननीय सदस्य ने इस बात पर बधाई भी दी कि मैं तीन-चार साल से इस पर टिका हुआ हूं....

श्री पी० के० चौधरी : यह जगह तो माननीय नेता ने दी है ।

श्री भैरोंसिंह : हार्मलैस होने के कारण रखा है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, शायद माननीय सदस्यों को उससे लाभ मिलेगा । दो पद्धतियां हैं एक तो विश्वास रख कर चलने की और दूसरी अविश्वास रख कर चलने की । आज तक मैंने इस उम्र तक, ६७ साल की उम्र तक जो भी और जिस जिस क्षेत्र में प्रयोग किये हैं उन प्रयोगों के बावजूद मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूं कि अविश्वास रखने की बनिस्बत जो विश्वास रख कर चलते हैं वह सही मायने में ठीक रहते हैं, जो भी अविश्वास रख कर चले हैं वे हमेशा परेशान

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

रहे हैं । जिन अधिकारियों से, मित्रों से, साथियों से सम्पर्क रहा है उन पर मैं विश्वास रख कर ही चला हूं और मैं इसको सर्वत्र मानता हूं ।

दूसरी बात यह है कि जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं, हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट हैं, सेक्रेटरीज़ हैं वे इतने विश्वासनीय हैं कि मैं यदि आंख मीचकर भी दस्तखत कर देता हूं तो भी कोई बात नहीं, उनके लिये यह गौरव की बात है कि उनमें योग्यता के साथ साथ ईमानदारी है । अपने बॉस द्वारा आंख मीचकर दस्तखत कर देना केवल उनकी योग्यता और ईमानदारी है, साथ ही जिन जिन अधिकारियों ने काम किया है उन्होंने यह जान लिया है कि मैं गहराई में नहीं जाता हूं तो स्वंय जाकर देख लेते हैं तो इस बात का भी उन पर यह असर पड़ा है कि किसी भी समय उनका कान न पकड़ लिया जाय, इसलिये वे ज्यादा गहराई में जाते हैं । इस तरह से यह बोझा भी मेरे लिये कम हुआ ।

श्री पी० के० चौधरी : आप उनके कान भी पकड़ते हैं क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आज मैं आप से कह सकता हूं, जिन ऑफिसर्स के साथ मैं काम करता हूँ जरूरत पड़ने पर अगर मैं आंख मीच कर भी दस्तखत कर देता हूँ; हालांकि करता नहीं, फिर तो भी मेरे लिये घबराने की चीज़ नहीं है । यह एक मजेदार बात थी इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया ।

कोर्ट फीस ज्यादा है, इस संबन्ध में भी कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया । न्याय का सिद्धान्त है और कुछ मान्यताओं का भी सवाल है जिनको बड़े बड़े नाम से कहा जाता है, मान्यतायें अपनी जगह सही होती हैं । लेकिन स्वतंत्र मान्यतायें भी रखने का और निर्माण करने का हमको अधिकार है । न्याय महंगा नहीं होना चाहिये, यह बात ज़रूर है, इस पर विचार करना चाहिये लेकिन जो यह मान्यता चल रही है उसका एक दूसरा पक्ष भी है जिस चीज़ को हम महंगा बना देते हैं तो उस ओर लोगों का ध्यान कम जाता है यह भी एक मान्यता है लेकिन मैं इस मान्यता का मानने वाला नहीं मैं इस बात को मानता हूँ कि न्याय महंगा नहीं बनना चाहिये, अन्य राज्यों की अपेक्षा मैं समझता हूं, हमारी कोर्ट फीस है वह प्रति व्यक्ति एक दो प्रान्तों को छोड़कर ज्यादा नहीं है । इसके अलावा अगर ज्यादा टैक्स भी लगा देते हैं तो यह ठीक होगा, लोग अदालतों में नहीं जायेंगे और पंचायतों के जरिये अपने घर में ही निपट लेंगे, उस हिसाब से भी ज्यादा लगाना ठीक है । जैसे शराब के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाते हैं वह इसलिये कि लोग उसको कम से कम पीयें । आप इस पहलू को माने या न मानें ।

श्री पी० के० चौधरी : कौनसा पहलू न्यायसर है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : विकेन्द्रीकरण के बारे में भी कहा गया कि टैक्स तो हम लगाते हैं और पंचायतों को, जिला परिषदों को छूट दे दी वह चाहे जैसे उस पैसे को खर्च करें । मेरा निवेदन है कि ऐसी बात नहीं है उन पर भी टैक्स है । ऑडिट उनका होता है, ऑडिट एक्ट के मुताबिक यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी रहती है तो उसके लिये पैनल्टी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

आदि का प्रॉवीजन है, इसके अलावा डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट भी देखभाल करता है। जहां हमें विकेन्द्रीकरण योजना को सफल करना है तो वहां हमें विश्वास रखकर भी चलना होगा सहूलियतें देनी होंगी वहां टैक्स भी रखने होंगे। यह नया प्रयोग है इसमें हम इतना उनको जकड़ भी नहीं सकते कि उनको हिलने डुलने ही न दें। लेकिन अब मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है, और आज भी ऐसा लगता है कि फाइनेन्स में बहुत जकड़ बन्दियां हैं और इसके बावजूद भी ये खबरें हमें सुनने को मिलती ही रहती हैं कि फलां जगह गबन हुआ। यह हुआ, वह हुआ। अब इसमें भी ढिलाई करते हैं तो फिर तो भगवान् मालिक है। तो इस तरह हमें काम करने का अवसर भी देना पड़ता है और कड़ाई भी जरूरत होने पर करनी पड़ती है। तो ये दोनों बातें इसमें हैं। मैं ही टैक्स लगाऊं और मैं ही खर्च करूं दूसरा नहीं कर सकता, यह उचित नहीं है। मैं इस सिद्धान्त को पसन्द नहीं करता। चालीस करोड़ भारतवासी टैक्स लगावें और वे ही खर्च करें, यह तो कोई बात नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जिस तरह और ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट पर पी० ए० सी० बहस कर सकती है, जांच कर सकती है इस प्रकार इनकी ऑडिट रिपोर्ट पर भी और इनके अकॉउन्ट्स की भी यह कमेटी जांच और बहस कर सकती है या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं बताऊंगा यह शायद नही कर सकेगी। इसमें दूसरे टैक्स हैं। लेकिन लोकल ऑडिट जो है उसका नियन्त्रण है। पर वह इस पी० ए० सी० के नियन्त्रण में नहीं है।

विकेन्द्रीकरण के बारे में कहा गया। कानून ठीक नहीं है, खामियां हैं इसमें। आज ही संशोधन विधेयक पेश किया है उसमें कोशिश की गई है कि अबतक जो अनुभव हुए हैं उसके अनुसार उसमें सहूलियतें पैदा हों।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय माननीय वित्तमन्त्री महोदय ने अभी फर्माया कि लोकल ऑडिट के ये नियन्त्रण में होंगी और लोकल ऑडिट को पी० ए० सी० एग्ज़ामिन नहीं कर सकती है, यह किस नियम के तहत में है ?

श्री अध्यक्ष : इस वहस में इस समय आने से कोई मतलब नहीं है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सवाल तो यह है कि चैक है या नहीं ? पैसे का दुरुपयोग न हो इसके लिये क्या साधन निर्माण किये हैं, मैंने इसके लिये यह निवेदन किया कि मेरा तो मत यह है। अब नियम क्या हैं, यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्रीजी का मतलब यह है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इसका हवाला नहीं आवेगा, इसलिये पी० ए० सी० इसको कैसे देख सकेगी ?

श्री भैरोंसिंह : लोकल ऑडिट होगा और उस पर पी० ए० सी० इन्टरफियर नहीं कर सकेगी। इस पोज़ीशन का स्पष्टीकरण मांगा है माननीय सदस्य ने।

श्री अध्यक्ष : ए० जी० की रिपोर्ट में नहीं आने से क्या स्थिति रहेगी, यह देखने की बात है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष ने जो स्पष्टीकरण किया है वह ही ठीक है । मुझे इसमें भी कोई ऐतराज नहीं है ।

श्री चन्दनमल वैद : उधर से कहा गया है, इसलिये मान लिया है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हाउस में तो सब एक ही हैं । एक दूसरे को सहयोग देते हैं । ऐसे वाटर टाइट क्यों बनाते हैं सब को भाई ।

तो प्रधान के लिए कुछ देने की बात कही गई । मैं मानता हूं उसको काफी काम काज में उलझे रहना पड़ता है इसलिए १५०) मासिक देने का हमने तय किया है और इस बजट में प्रावधान भी रक्खा है । हालांकि यह प्रश्न अलग है कि इलेक्टेड को इस तरह देना उचित होगा या नहीं, इसके क्या इम्प्लीकेशन्स होंगे, पंचों को क्यों नहीं दिया जावे । कई चीजें इसमें हैं, पर आज की जो व्यवस्था है उसमें कुछ न कुछ उनको देना चाहिये और यह दिया जावेगा । इसका समर्थन करता हूं ।

सवाई मानसिंह अस्पताल में 'बड़ी भीड़' की बात कही गई । इस बजट में ज्यादा स्टाफ के लिए ज्यादा धनराशि का प्रोविज़न है ।

मन्दिर के पुजारियों के बारे में कहा गया । मुझे बड़ी खुशी होती कि मैं माननीय सदस्य की इच्छा पूर्ति करने के लिये आज ही इस पर अनाउन्स कर सकता परन्तु आज नहीं कर पाया । वित्त विभाग के सामने कई प्रश्न आते हैं परन्तु हम कोशिश करते हैं कि राज्य के नियमों को और यहां की वित्तीय स्थिति को देखते हुए जहां तक हो सके सुविधा दी जावे ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) **:** राज्य कर्मचारियों को मंहगाई मिलती है, इनको भी श्रम मिलना चाहिये, बस इतना सा प्रश्न है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं माननीय सदस्य से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि वे दो बातों को मद्देनज़र रखते हुए चलें; एक राज्य के नियमों को और दूसरे राज्य की वित्तीय स्थिति को । इससे आगे पीछे वे न दौड़ें । हमने आज कर्जा काफी कर लिया है पहले ही, उसकी भी हमें चिन्ता है ।

श्री जनार्दनराय नागर : राज्य के सभी कर्मचारियों को मंहगाई मिलती है । पुजारियों को भी मंहगाई मिलनी चाहिये ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : खाली एकेडेमिक प्रश्न नहीं है । इसका वित्तीय प्रभाव भी है ।

श्री जनार्दनराय नागर : राज्य के नौकर को मंहगाई देने का सवाल है । इनको ५६ से मंहगाई नहीं मिल रही है उनको वह दी जानी चाहिये बस इतना सा सवाल है ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) **:** मन्दिर से पत्तल मिल जाती है ।

श्री अध्यक्ष : पत्तल पूड़ी अभी जो मिलती है उसको मान लिया जावे कि डीयरनैस अलाउन्स है ।

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : दो रोटी और एक कड़ी का दोना मिलता है।

श्री अध्यक्ष : उसकी तादाद बढ़ा दी जायेगी।

(हंसी)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सहानुभूति के साथ इस पर विचार हो रहा है।

अब मैं समझता हूं ज्यादा समय लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं है और करीब इस बजट से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण विषयों के बारे में उठाई गई आपत्तियों का मैंने समाधान करने का प्रयत्न किया है। अब मैं आशा रखता हूं कि माननीय सदस्य जिस प्रकार से हमेशा इस सदन में सहयोग देते रहे हैं, अनेक रूपों में आगे भी ऐसा ही नहीं बल्कि इससे अधिक देने की कृपा करेंगे। अगर कई बातें उनकी न मानी जावें राज्य की ओर से तो यह ख्याल करने की जरूरत नहीं है कि उनकी कोई उपेक्षा की गई है। मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूँ कि हर बात पर विचार किया जाता है। अब इधर बैठने वालों की उधर बैठने वालों की जिम्मेदारियों से भिन्न जिम्मेदारियां हैं। दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं इसलिये हमें अपनी जिम्मेदारियों के दृष्टिकोण से सब बातों पर विचार करना होता है। उस स्थिति में जो निर्णय हमें करने पड़ते हैं उनमें उनकी बातों पर अगर हम अमल नहीं कर पावें तो यह इसका आशय नहीं, हमने उनकी बातों की उपेक्षा की है, हम बराबर उन पर विचार करते हैं। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल इस बजट का स्वागत बहुत अच्छा हुआ, यह कहना तो शायद अतिशयोक्ति होगी हालांकि यह आपकी भावना है पर कम से कम आपत्तियां इस बार की गई, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, के बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): On a point of order, Sir. अध्यक्ष महोदय, अब तक की व्यवस्था और परम्परा के अनुसार और नियमों के अनुसार बजट प्रस्तुत करने के बाद अन्तिम भाषण वित्तमन्त्री का होता है और वित्तमन्त्री के भाषण के पश्चात् और किसी का भाषण नहीं होता। इसके बाद तो अनुदानों की मांगों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे नियमों में है और इसी प्रकार की व्यवस्था और परम्परा चली आई है।

माननीय मुख्य मंत्री जी भाषण दे रहे हैं। मैं समझता हूं, यह भाषण व्यवस्था और नियमों के प्रतिकूल है, इसलिए उनसे नियम की व्यवस्था के अनुसार भाषण न देने के लिये कहा जावेगा। अगर उनका भाषण दिलाना जरूरी ही हो तो सामान्य नियमों को रिलेक्स करने के बाद इस प्रकार की आज्ञा प्रदान की जा सकती है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष जी, वैसे सदन में ऐतराज हो तो मैं किसी नियम को भंग स्वयं नहीं करना चाहता। लेकिन जैसा कि मैं निवेदन करके आपसे गया था कि कल एक विशेष परिस्थिति थी, धौलपुर में प्रधान

Page No.48

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मन्त्रीजी एक पुल का उद्घाटन करने की दृष्टि से आये हुए थे, इसलिये मुझे वहां जाना पड़ा। इसलिए आपने कल भाषण शुरू कर दिया था, इसके बाद मुझे इजाजत देना उचित समझा और सदन में किसी को भी ऐतराज न हो तो मैं अपनी बात कहना चाहूंगा और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर उनको मेरे कहने पर कोई ऐतराज है तो कोई बात नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपकी इच्छा या नियम के विरुद्ध बोलने खड़ा होऊं। इसको भी छोड़ने को मैं तत्पर रहूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं चाहूंगा कि उनका भाषण हो। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, अपनी ओर से व्यवस्था कर दें कि चूंकि कुछ इस प्रकार से स्पेशल सर्कम्सटान्सेज थे इसलिये इस प्रकार की आज्ञा प्रदान की जाती है। उनका भाषण सुनने की मेरी भी इच्छा है, उनका भाषण न हो, इस प्रकार की मेरी इच्छा कतई नहीं है। पर नियम और व्यवस्थाओं के विपरीत न हो, ताकि भविष्य में गलत परम्परा का डर रहे। इतना सा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : इसमें रूल्स रिलेक्स करने की आवश्यकता नहीं है। इतना छोटा-मोटा हेरफेर जैसा बिज़नैस एडवाइज़री कमेटी में तय किया गया था किया जा सकता है और इस परिस्थिति में जैसा कि मुख्य मंत्रीजी ने बताया उसी को ध्यान में रखते हुये एक घन्टे का समय रखा गया था। क्योंकि माननीय सदस्य चाहेंगे कि वह उत्तर दें और जो बिज़नैस एडवाइजरी कमेटी ने व्यवस्था की है तो रूल्स के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता और मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी का भाषण अब होगा।

१.१ म. प.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन माननीय वित्त मन्त्रीजी जिन प्रश्नों पर प्रकाश डाल चुके हैं उनके ऊपर संक्षेप में अगर मैं कहूं तो उसके लिये मैं समझता हूं कि अनुचित नहीं होगा। इससे पहले तो मैं इस प्रश्न के बारे में कि जो कल सदन में चर्चा में आया था कि जब प्लानिंग कमीशन के सामने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये शुरू में ५.२ करोड़ रखा और उसके बाद में अजमेर राज्य के मिलने पर ६ करोड़ का जो हमारा रिवाइज्ड टार्गेट था उसके अगेन्स्ट १३.५ करोड़ हम रिसोर्सेज़ रेज़ कर रहे हैं। मुझे यह निवेदन करना है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में विशेष जिम्मेदारियां राज्य सरकार पर आती गई उन पर हम थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे तो बहुत स्पष्ट हो जायेगा। उदाहरण के तौर पर रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स का असर हुआ इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उसका टोटल फाईव ईयर प्लान में करीब ५ करोड़ रुपये के आसपास पड़ता है। इसी प्रकार से जो हमने १० रुपये की मंहगाई २५० रुपये तक के वेतन प्राप्त करने वालों के बारे में तय की उसके अन्दर केन्द्र से जो अनुपात में सहायता मिलती है उसके अलावा जो राज्य सरकार का शेयर होगा वह इस पांच साल के पीरियड में करीब ३।। करोड़ रुपये के आसपास आयेगा। तीसरे अजमेर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के इन्टीग्रेशन की वजह से करीब ७।। करोड़ के आसपास की और विशेष जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर आई। जिस समय प्लान फॉरमुलेट किया और जिस समय ५ करोड़ के आसपास के रिसोर्सेज़ के बारे में बात की थी उसके बाद जो जिम्मेदारियां बढ़ीं उनका मैं जिक्र कर रहा हूं और साथ ही जैसा कि सदन को विदित है कि कुछ नॉन-प्लान्ड एक्सपेन्डीचर भी हमें यहां पर करने पड़ते हैं जिनके बारे में हम पहले से नहीं सोच सकते। वह इस बजट में भी हुये हैं और पहले भी हुए हैं और उन सब का अन्दाज़ लगायें तो ४० लाख के आसपास हर साल इसके अन्दर नॉन-प्लान्ड एक्सपेन्डीचर के अन्दर वज़न आता है जिसका टोटल कमीटेड एक्सपेन्डीचर और सब मिलाकर अन्दाज़ा किया जाये तो पांच साल में ५-६ करोड़ के आसपास की जिम्मेदारी और बढ़ी। तो इन सब का २२ करोड़ रुपये के आसपास इस सेकिण्ड फाईव ईयर के पीरियड के बीच में जो प्रपोज़ल सन् १९५५ में सेकिण्ड फाईव ईयर प्लान के लिए बनाये थे उस समय में जिन चीजों का समावेश नहीं किया था वह अतिरिक्त जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर आई। मैं समझता हूं कि इसको देखने से माननीय सदस्यों को स्पष्ट हो जायगा कि यह ऐसी चीज है कि जिसके बारे में आम तौर से माननीय सदस्यों की राय रही है जैसे रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स, मंहगाई में बढ़ोत्तरी, अजमेर का इन्टीग्रेशन और जैसा मैंने कहा कि नॉन प्लान्ड एक्सपेन्डीचर में भी हर साल कुछ न कुछ प्रोवाइड करना होता है। अब इसके अगेन्स्ट सेकिण्ड फाईव ईयर पीरियड में हम कह सकते हैं कि फाइनेन्स कमीशन की वज़ह से जो प्लान बनाया उस समय जिस चीज की क्रेडिट नहीं ली थी वह फाइनेन्स कमीशन के डिसीज़न की वज़ह से राज्य सरकार को अतिरिक्त आय हुई और वह करीब करीब जैसी फाइनेन्स कमीशन ने रिपोर्ट दी उससे अन्दाजा होता है कि १७।। करोड़ के आसपास राज्य सरकार को अतिरिक्त आय होगी। उनके ऊपर विचार करने के साथ साथ यह भी देखना है कि जब सेकिण्ड फाइव ईयर प्लान बनाया था तो उसको इस फोरकास्ट के साथ स्टार्ट किया था कि ५. २ करोड़ का डेफिसिट होगा रेवेन्यू साइड में। यानी जो रेवेन्यू रिसोर्सेज़ को प्लान में कन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ५. २ करोड़ का डेफिसिट होता था। मतलब, डेफिसिट बजट के साथ सेकिण्ड फाईव ईयर प्लान को शुरू किया था और दूसरी तरफ २२ करोड़ का एडीशनल खर्चा है और फाइनेन्स कमीशन से १७।। करोड़ के आसपास जैसा निवेदन किया वह हमें प्राप्त हुआ और वह रिफ्लेक्ट होता है। हमने जो प्लान के लिए कन्ट्रीब्यूट किया अलग अलग साल के अन्दर, उसमें भी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं कि पहली साल में यानी १९५६-५७ में रेवेन्यू साइड के अन्दर १.८ था और टोटल लोन्स एण्ड पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन जिसके अगेन्स्ट उसको मिलाकर ३. ८ का टोटल कन्ट्रीब्यूशन प्लान का था, फर्स्ट ईयर में १९५६-५७ में। १९५७-५८ में रेवेन्यू साइड में १. १ करोड़ किया लेकिन टोटल कन्ट्रीब्यूशन ३.४ करोड़ का हुआ। फिर १९५८-५९ के अन्दर वह बढ़ा हमारे इन्टरनल एफर्ट्स और लोन्स दोनों को मिलाकर रेवेन्यू साइड में १.८ कन्ट्रीब्यूट हुआ और टोटल ८.४ कन्ट्रीब्यूट किया। १९५९-६०

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के अन्दर रेवेन्यू साइड पर ४.६ कन्ट्रीब्यूट किया और टोटल १०.६ करोड़ कन्ट्रीब्यूट किया और १९६०-६१ में ६.४ रेवेन्यू साइड पर और टोटल १३.२ करोड़ किया जिसको हम डिसकस कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सब मिलाकर सारे प्लान पीरियड के अन्दर हम कन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं वह रेवेन्यू साइड के ऊपर करीब करीब १२ करोड़ रुपये रेवेन्यू रिसोर्सेज़ से और कैपीटल रिसोर्सेज़ जिसको हम बैलेन्स कहेंगे और इसमें एग्जेक्टली लोन्स वगैरह के फिगर्स नहीं दिए हैं, टोटल कन्ट्रीब्यूशन करीब करीब ४०.७ करोड़ के आसपास आते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि अगर हम दूसरे लोन्स वगैरह को फ्लोट नहीं करते तो उसका परिणाम यह होता कि जो प्लान हम चाहते थे कि हमारे यह प्लान बनें तो हम प्लान को इतना इम्प्लीमेन्ट नहीं कर सकते थे, दूसरे यह भी हो सकता था कि अजमेर के विलीनीकरण से जो हमारे ऊपर एडीशनल बर्डन आया उसके लिए हम मना कर देते या रेशनलाइजेशन ऑफ पे स्केल्स को नहीं करते या जो मंहगाई में हमने बढ़ोत्तरी की वह नहीं करते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह भी आवश्यक चीजें थीं, जिनको हमें करना पड़ा और साथ साथ में यह मानते थे कि इन सब जिम्मेदारियों के साथ राजस्थान को बराबर बनाये रखना है और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगी उसके अन्दर भी हमें अपना पूरा हिस्सा अदा करना है, जिससे यह राज्य मजबूत बनेगा। तो यह जरूर होगा कि हमें अतिरिक्त भार उठाना ही होगा।

यहां पर सरचार्ज के बारे में चर्चा हुई थी मैं निवेदन करूं कि एक बार सब माननीय सदस्यों से आशा करके चलता हूं कि हमारे सामने जो आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति का आखिरी वर्ष है जिसका बजट हम यहां पर डिसकस कर रहे हैं। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैं ऐसा मानता हूँ कि राजस्थान के आगे को जो नींव हैं, जिसको हम नींव कहें जिससे हम आगे तेजी से बढ़ सकते हैं उसके बारे में एफर्ट करने का प्रश्न आता है। तो उन सब दृष्टियों से इस सदन को एकमत से इस बात का अनुभव करना पड़ेगा कि हम सारे भारत के विकास के अन्दर इस चर्चा के अन्दर या इस सवाल के ऊपर हमारे यहां रीज़न्स को नहीं बढ़ाया जाय उसके बजाय आम वातावरण यह पैदा करें और कुछ भार हर एक पर जो वज़न उठा सकता है उसके अनुसार तैयारी होनी चाहिए और उस तैयारी के अन्दर जैसा कि, माननीय अध्यक्ष, सदस्यों को सब को मालूम है कि यह जो किया जा रहा है वह आखिर इस बात के लिए किया जा रहा है हमारा आर्थिक स्तर सारे राजस्थान के लोगों का ऊंचा उठेगा। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो कुछ वज़न डाला जाता है तो आज हमारे यहां पर, पर–केपिटा आमदनी हम कहें, जब स्टेट की टोटल आमदनी जो है उसके अन्दर सुधार होता है और यहां की आमदनी ज्यादा बढ़ती है तो आमदनी का कुछ हिस्सा वापिस उपयोग किया जाता है उन रिसोर्सेज़ के अन्दर जिससे आगे विकास के अन्दर वह काम में आये, और काम में आने के बाद फिर अपना आर्थिक स्तर बढ़े। तो जो आज देते हैं और वापिस लिया जाता है तो मैं समझता हूं कि आम तौर पर जो जीवन स्तर के अन्दर में सुधार हुआ है और

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

जो कार्यक्रम बहुत सा लिया गया है उन कार्यक्रमों की वजह से आम लोगों को लाभ पहुंचा है, उनमें से कुछ हिस्सा वापिस लेकर राज्य के विकास के अन्दर लगाया जाता है और हरएक इकोनोमिक डवेलपमेंट के अन्दर आवश्यक होगा कि मेम्बर्स इस तरह से अलग नहीं रह सकता है। उस दृष्टि से हमें इस पर विचार करना होगा। आज जो सरचार्ज लगाने का फैसला किया है. यह सरचार्ज मेरी ऐसी मान्यता है कि यह राजस्थान के, आम तौर से जो खेती करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर है। खेती के अन्दर जो काम करते हैं उनको ज़मीन की भी आमदनी है, पशु की भी आमदनी है और और प्रकार की भी इनकम हो सकती है, लेकिन हमारे यहां पर हम किसान की जो टोटल इन्कम है उसको टैक्स नहीं कर रहे हैं। जो कुछ लैण्ड रेवेन्यू है उसके अन्दर ५०) रु० के नीचे तक को छोड़कर और साथ ही साथ जैसा कि आपने देखा होगा बिल में कि जहां पर वैल इर्रिगेटेड लैण्ड है, कुओं से सींचित ज़मीन है उस ज़मीन के लिए उसको १।३ माना है, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ खर्च ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए यदि चाही ज़मीन का लगान ६) रु० होगा तो इसके केलक्यूलेशन के लिए उसको ३) रु० समझा जायगा और ५०) रु० केलक्यूलेट करने के अन्दर इस प्रकार से सरचार्ज लगाने के बारे में तय किया गया है जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत कोई नहीं पड़ने वाली है। एक सीमित तादाद पर यह पड़ेगा, और मेरी ऐसी मान्यता है कि उन लोगों पर पड़ेगा जो कि ५०) रु० का लगान देते हैं तो ५०) रु० पर ३ रु० २ आ० के करीब आयेगा। उतना अगर राज्य के कोष में देते हैं तो मैं समझता हूं अनुचित नहीं होगा और न इस प्रकार से होगा कि जिसका वज़न नहीं उठाया जा सके। इस खयाल को रख कर इसको रखा गया है। वैसे आम तौर से यह हम मानकर चलते हैं कि टैक्स नहीं लगे तो बहुत अच्छा हो। हम यहां पर खड़े होकर कह सकें कि इस टैक्स को छोड़ दिया तो वह बहुत अच्छा मालूम हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इन योजनाओं को कुछ चलाया जाय, और इन योजनाओं को ठीक तरह से चलाने में मैं निवेदन करूंगा कि जैसा कि आपने अपने भाषण में बताया था कि इस वर्ष का यह बजट बड़ा है। हम अपनी तरफ से अधिक करने को तैयार नहीं होते तो २ करोड़ के आसपास का प्लान कम हो जाता है, क्योंकि हमारे एफर्ट्स के साथ सेन्ट्रल गवर्नमेंट और प्लानिंग कमीशन ने अपनी तरफ से देना तय किया है, और उस तरह से अपने एफर्ट्स के द्वारा आगे बढ़ने में कामयाब हुए है। हमें इस लक्ष्य को सामने रखकर चलना है। आखिर तीसरी पंच वर्षीय योजना को करना चाहते हैं। जब हम टैक्सेशन पर विचार करें तो इस लक्ष्य को नहीं भूलें कि द्वितीय पंच-वर्षीय योजना की समाप्ति होने वाली है, परन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना को सामने रखकर चलें तो इस वक्त रिसोर्सेज़ की क्या पोजीशन होगी उस पर काफी निर्भर करने वाला है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में राजस्थान के लिए कितना बड़ा आकर बना है वह कुछ ही दिनों के अन्दर आप लोगों के समक्ष आने वाला है। डवेलपमेंट कोन्सिल के अन्दर तीसरी पंचवर्षीय योजना

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के बारे में जो चर्चाएं होने वाली हैं उन चर्चाओं से सारी एक तस्वीर सामने आयेगी। मैं यह आशा करके चलता हूं कि माननीय सदस्य उसका थोड़ा अध्ययन कर सकें तो अन्दाज किया जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी हम पर भी और दूसरों पर भी यदि हम चाहते हैं कि तेजी से विकास हो तो, आने वाली है, और जिम्मेदारी उठाये बिना आगे नहीं बढ़ सकते है। इसलिए विशेष तौर से इस प्रश्न के बारे में मैंने यह सारी बातें आपके सामने रखी हैं।

दूसरा, मुझे एक और निवेदन करना है। यहां पर यह चर्चाएं उठाई जाती हैं, यद्यपि बीच बीच में उठकर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है कि हमने क्लास फोर्थ सर्वेन्टस और मिनिस्टीरियल सर्विसेज़ के बारे में जो कटौती करने की बात कही है, वह गरीब आदमियों पर कटौती की जा रही है, यह उचित नहीं है और तरह से कटौती की जानी चाहिए थी, इसमें क्यों कम किये जाने चाहिएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आम तौर से भारत के अन्य हिस्सों में और केन्द्रीय सरकार में भी और यहां पर भी, पार्लियामेंट में और दूसरे सदनों में इस बात की काफी चर्चा रही है कि हमने जो कर वगैरह लगाये हैं उनका बहुत सा हिस्सा हमारे करों का प्रोडक्शन की तरफ न जाकर सर्विसेज़ के अन्दर चला जाता है और स्टाफ काफ़ी बढ़ जाता है, और स्टाफ बढ़ने की वजह से खर्च बहुत होता है। आज यह प्रस्ताव सामने रखकर हम लोग करना चाहते हैं कि कमी की जाय तो उसमें रिट्रेन्चमेंट किसी का नहीं है। सवाल यह है कि अगले वर्षों के अन्दर जो हमारा विस्तार होगा उसमें माना था कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अन्दर हजारों क्लास फोर्थ एम्प्लॉयड होने वाले हैं उनका एडजस्टमेंट इन्हीं में से किया जाय और नई भरती नहीं करें। उसी तरह से मिनिस्टीरियल सर्विसेज़ का जो है उनमें से एडजस्टमेंट करके भरती करके तनख्वाह में जो बहुत ज्यादा जाता है उसमें बचत की जाय। उसका परिणाम यह होता है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि एम्प्लॉइज़ की स्थिति के अन्दर सुधार हो लेकिन तादाद बढ़ जाती है तो सब पर उसका असर पड़ता है। उसके बजाय उपयुक्त यह हो सकता है कि आवश्यक तादाद हो और उस तादाद के जरिये यह प्रयत्न किया जाय, उनको उचित रुपया दिया जाय और साथ ही साथ काम भी ठीक तरह से चले। इसलिए तादाद को कम करने का और रिट्रेन्चमेंट करने का सवाल नहीं है, और अगर क्लास फोर्थ और मिनिस्टोरियल सर्विसेज़ को और अधिक बढ़ाकर उनकी स्थिति को दयनीय बनाना चाहते हैं तो बहुत सही आधार नहीं है। वह होता है प्लान की वज़ह से। एम्प्लायमेंट का विस्तार होता है तो प्लान के अन्दर इकोनोमिक डेवलपमेंट के अन्दर जितना रुपया ज्यादा से ज्यादा डाल सकें, इकोनोमिक डेवलपमेंट का मतलब सोशल सर्विसेज़ को भी इन्डाइरेक्टली मैं मानता हूं। सोशियल सर्विसेज़ को हम अलग करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इन्डाइरेक्टली उनका भी असर होता है। मिनिस्टीरियल सर्विसेज़ को ज्यादा बढ़ाने के बजाय टीचर्स ज्यादा एम्प्लायड हों तो ज्यादा उपयुक्त होगा। उसी प्रकार से क्लास फोर्थ के बजाय कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी को

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बढायें जिसमें उनको लगाया जाय तो इसका परिणाम देश के निर्माण में होता है और उनकी शक्ति का भी उचित उपयोग होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां चर्चाओं के दौरान में जो बातें इस सम्बन्ध में आई उनकी जानकारी के लिए मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्सेशन का अपन कई बार जिक्र करते हैं। इस पर हमने इस बात की कोशिश की सन् ५९-६० में जो अलग अलग टैक्सेज़ राज्यों के बजट में थे उनके अन्दर टैक्सेज़ की क्या स्थिति है? पर-केपिटा टैक्सेशन किस प्रकार से हो रहा है और राजस्थान में उसका कम्पेरिज़न किस प्रकार से करते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि केवल अलग से टोटल टैक्सेज़ की रेवेन्यू को हम अपने सामने लें तो सारे अलग अलग राज्यों को मिलाकर, केन्द्र का नहीं, तो एवरेज सारे भारतवर्ष का करीब १६.१५ पर-केपिटा टैक्सेशन आता है। इसके अन्दर राजस्थान का १४.३९ के करीब आता है। अब जो हमारा टैक्सेशन है उसके मुकाबले में इस वक्त जिनका हमसे कम है भारतवर्ष के अन्दर उनमें आते हैं यू० पी०, मध्यप्रदेश, बिहार और उड़ीसा। ये चार राज्य ऐसे हैं जिनके अन्दर पर-केपिटा टैक्सेशन हमसे कम है। बाकी सब राज्य भारतवर्ष में वे हैं जिनमें हम लोगों से टैक्सेशन ज्यादा है। जो फिगर्स मैंने दिये हैं उनमें जम्मू और काश्मीर शामिल नहीं है क्योंकि उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। अब इसमें आप कभी कभी पे स्केल्स और दूसरी चीज़ों की चर्चा में पड़ते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जो पे कमीशन की रिपोर्ट निकली है उसमें जो फिगर्स क्लास वन, टू, थ्री और फोर के निकले हैं, उनका मुकाबला हमसे करें तो हम करीब ७ राज्यों से, यह कहूं तो उचित होगा कि टोटल एवरेज जो है उसमें हमारी स्थिति इनसे बैटर है। अब सारी क्लासेज़, वन, टू, थ्री और फोर का टोटल एक्सपेन्डिचर वर्क आउट किया जाय तो वही रिफलेक्शन होता है। हमारे टैक्सेशन का भी करीब करीब वही आता है। पे स्केल्स के अन्दर भी जिनसे हमारा मुकाबला है उनमें यू० पी०, मध्यप्रदेश, बिहार, मद्रास आते हैं। इन राज्यों के मुकाबले में हमारा ज्यादा है मद्रास के बराबर है वहां भी पर-केपिटा एक्सपेन्डिचर रिफलेक्ट होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि टैक्सेशन के विरोध में दलील देते हैं....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : पर-केपिटा इन्कम कितनी बढ़ी है और उसकी तुलना में कितना टैक्स पर-केपिटा बढ़ा है, यह भी बता दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस बारे में अलग अलग स्टेट्स के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अगर होते तो मैं जरूर बताता। आप इससे जो डिराइव करना चाहते हैं उससे एडवान्टेज नहीं होगा।....

श्री भैरोंसिंह : यह तो बतावें तो पता चले।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वे अवेलेबल नहीं हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि आज जो हमारे यहां कुल मिलाकर

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

स्थिति है वह दोनों तरफ से एकसी रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरी तरफ तेजी से बढ़ें, ऑल इण्डिया लेवल पर या बॉम्बे, पंजाब या बंगाल के लेवल पर जावें तो उसकी जिम्मेदारियां भी आती हैं। एक पक्ष की तरफ सोचने से हल नहीं निकलता, इससे तो प्लान को बन्द करके दूसरी तरफ सोचना पड़ेगा। इसलिए निवेदन करना है कि इस प्रश्न को पूरी गहराई से देखा जाय तो उचित होगा।

दूसरी, अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा दौरान बहस आई, बीकानेर के माननीय सदस्य ने यह बात कही कि बीकानेर में खर्चा कम किया जाता है और उदयपुर में खर्चा बहुत ज्यादा किया जाता है। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करूं कि ५८–५६ में, उन्होंने पर-केपिटा फिगर्स दिये थे, मैं उस समय यहां उपस्थित नहीं था फिर भी मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि ५८–५६ में वहां जो पर-केपिटा....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : बीकानेर डिविजन का या जिले का ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बीकानेर डिवीजन का या जिले का ६.५७ था और उदयपुर का ६-७५ था कुछ अधिक था और ५६–६० में बीकानेर में ६.८६ था और उदयपुर में ७.६४ था....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उल्टा पढ़ रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उल्टा नहीं, सही है।

श्री भैरोंसिंह : बीकानेर की पोपुलेशन कम है इसलिए पर–केपिटा ज्यादा आयेगा और उदयपुर की ज्यादा है इसलिए पर–केपिटा कम आयेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यही तो मैं कहना चाहता था।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे पास जो इन्फर्मेशन है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपका तात्पर्य क्या यह है कि एरिया के लिहाज़ से हो, तब तो कम है लेकिन पर–केपिटा व्यक्ति पर होता है....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप शान्त रहें तो ज्यादा ठीक रहेगा। यदि कोई बात गलत हो तो यह तो फैक्ट्स और फिगर्स की बात है। दोनों जगहों के बीच में अन्तर है। स्पष्ट है कि जहां पर बहुतसी चीज़ों की दिक्कत होती होगी जिस एग्ज़ाम्पल को आपने सिलेक्ट किया बीकानेर उदयपुर की तुलना करने के लिए, उसके बारे में निवेदन यह है कि बीकानेर का पर-केपिटा एक्सपेन्डिचर ५८–५६ और ५६–६० का उदयपुर से ज्यादा है। आपने कहा कि फिगर्स एस्टिमेट्स में दिखाये जाते हैं लेकिन एक्च्युअल में फर्क पड़ता है। उसके लिये निवेदन करना है कि ५८–५६ के एक्च्युअल बेसिस के ऊपर ६६.२३ पर्सेन्ट खर्च हुआ और बीकानेर में ११०.६ खर्च हुआ। इसी प्रकार आपने बाड़मेर और जैसलमेर का

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

बताया, बाड़मेर में १३३.६ और जैसलमेर में १०६ खर्च हुआ। ये मैं एक्च्युअल फिगर्स पेश कर रहा हूं, कोई जबानी बात नहीं है। आप जैसा कहते हैं वैसी बात नहीं है। लेकिन निवेदन करने की बात यह है, मैं समझता हूं, सारे माननीय सदस्य जानते हैं और खास कर के बीकानेर के माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं कि जो फिगर्स दिये हैं उनमें भाखरा से आनेवाली बिजली का खर्चा शामिल नहीं है जो करोड़ों रुपयों का है। इसको जोड़ने के बाद बीकानेर का खर्चा पर-केपिटा कहीं ज्यादा हो जायगा दूसरों के मुकाबले में।

दूसरी चीज़ मुझे यह भी निवेदन करनी है कि इन तीन वर्षों में जो भाखरा पर खर्च हुआ है वह ७ करोड़ के करीब आता है इससे बीकानेर का पर-केपिटा कितना आना चाहिये, इसका अन्दाज माननीय सदस्य स्वयं कर सकते हैं। राजस्थान केनाल पर १५०.२०० करोड़ रुपये खर्च होंगे उसका असर बीकानेर पर क्या पड़ेगा, इसका भी अन्दाजा वे कर सकते हैं। लेकिन हमने इस बात को माना है कि अभी बीकानेर में पानी व्यास का आ सकता है। वहां के पर-केपिटा को लेकर उदयपुर में यह कहूं कि बीकानेर में खर्चा पर-केपिटा २०० रुपया पहुंचता है इसलिये वहां पानी नहीं आना चाहिये तो यह उचित बात नहीं होगी, उपयुक्त बात नहीं होगी। राजस्थान में किसी भी जगह लाभ पहुँच सके वहां पहुँचाना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करूं कि भाखरा को सारा राजस्थान कांट्रिब्यूट कर रहा है। राजस्थान केनाल पर १५०.२०० करोड़ रुपयों का खर्चा होगा, उसके लिये भी सारा राजस्थान कांट्रिब्यूट करेगा। बीकानेर, गंगानगर, कोटा और बूंदी जिले को चम्बल, भाखरा और राजस्थान केनाल से विशेष तौर से लाभ होगा। इन दो-तीन योजनाओं के लिये लौन्स रेज़ करने होंगे और कुछ चीजों को काट कर भी खर्चा करना होगा। इस पर भी यदि माननीय सदस्य पर-केपिटा की बात करें तो खेद की बात है।....

श्री मुरलीधर व्यास : आपके फिगर्स गलत हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सदन समझ सकता है, मैं गलत हूं या सही।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़। आप मुख्य मन्त्रीजी को बोलने दें। इसमें बहस की बात नहीं है। सरकारी आंकड़े दिये जाते हैं उनको चैलेन्ज करने के लिये जब तक ऑथोरिटेटिव बात नहीं है तब तक चैलेन्ज करना ठीक नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : है मेरे पास।

श्री अध्यक्ष : बहस के बाद कह सकते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक-दो प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, सदन में चर्चा के दौरान में आये उनके सम्बन्ध में सरसरी तौर पर ज़िक्र करना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि राजस्थान केनाल के लिये व्यास डेम जल्दी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से जल्दी शुरू होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि व्यास डेम के बारे में सरकार पूरे तौर से उत्सुक है और जागरूक भी है और समय समय पर हम इस बात पर जोर देते रहे हैं कि व्यायस डेम की शुरुआत जल्दी से जल्दी होनी चाहिये क्योंकि राजस्थान केनाल का पेरेनियल इर्रिगेशन से वह जुड़ा हुआ है। इस बात को हम मानते हैं और हमने पहले भी और अभी भारत सरकार की इर्रिगेशन मिनिस्टरी के सामने रखी है और आशा करते हैं कि ६०-६१ वर्ष में व्यास डेम पर काम शुरू हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मुख्य मन्त्री मुझे इन्टरप्शन के लिये माफ करेंगे। क्या यह सही है कि पंजाब सरकार इस बात की कोशिश करती जा रही है कि व्यास के ऊपर जो डेम बनने वाला है उसमें डिले की जाय, क्योंकि जिस जगह पर डेम है उससे जो पानी आयेगा उसमें से ८० प्रतिशत राजस्थान को मिलेगा और २० प्रतिशत पंजाब को मिलने वाला है। इसलिये पंजाब सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि इसमें डिले हो और सुकेत स्थान है, वहां डेम बनाना चाहती है। पंजाब सरकार इस तरह डिले करना चाहती है कि राजस्थान सरकार उस स्थान के बजाय सुकेत को स्वीकार कर ले।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं, ऐसी बात नहीं है। इस पर चर्चा हो चुकी है। भारत सरकार की एक्सपर्ट कमेटी इस बात को देख रही है कि जल्दी से जल्दी इस पानी का उपयोग, व्यास वाटर का बेस्ट यूटीलाइजेशन कैसे हो सकता है। इस दृष्टि से सारी बातों को सोच कर यह अनुभव करें कि इसमें दिक्कत आयेगी, ऐसा मान कर चलने का कोई कारण नहीं है।

फर्टीलाइज़र प्लान्ट के बारे में यहां पर प्रश्न आया। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने अपनी स्पीच में इसका ज़िक्र किया था कि फर्टीलाइज़र प्लान्ट पब्लिक सेक्टर में राजस्थान के अन्दर जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। मैं समझता हूं, यह उचित बात है और इसके लिये हमारी तरफ से जिस-जिस स्तर पर जोर दिया जा सकता है दिये जाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही, माननीय अध्यक्षजी, एक कमेटी भी फर्टीलाइज़र फैक्टरी यहां जल्दी से जल्दी लगाने के बारे में और उस पर विचार करने के लिए और कार्यवाही करने के लिये राजस्थान में बनाई है, जिससे फर्टीलाइज़र फैक्टरी के बारे में आगे कार्यवाही कर सकें और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर फर्टीलाइज़र फैक्टरी यहां बने और राजस्थान में फर्टीलाइज़र पैदा होने लगे, उसके बारे में कार्यवाही की जाय।

और दूसरे विवादों में पड़ूं, मैं समझता हूं, यह उचित नहीं है, इस दृष्टि से भी कि कल मैं उपस्थित नहीं था तथा सदन का ज्यादा समय न लूं, इसलिए मैं इन शब्दों के साथ....एक बात और निवेदन कर दूं। दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि मैंने यह कहा था कि किसी चीज़ के बारे में माननीय सदस्यों की शिकायत हो तो सदन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के बाहर कह दें तो उपयुक्त हो, बजाय यहां कहने के। श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है और यह हमारा अधिकार है, हम सदन में कह सकते हैं। मैं अधिकार की दृष्टि से नहीं कहता कि अधिकार है या नहीं। अधिकार स्पष्ट है और उस अधिकार का उपयोग सदन के माननीय सदस्य करें तो उसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता। मेरे कहने का तात्पर्य स्पष्ट था कि जहां एक चीज के लिए राजस्थान के अन्दर वातावरण बने, मैंने विशेष तौर से कहा था कि जो ऑफिसर इनीशियेटिव लेकर काम करते हैं, उनका क्रिटिसिज्म की वजह से डिमोरेलाइजेशन न हो। इस वजह से अच्छा हो कि जो ऐसे उदाहरण हों, वे बाहर कहे जायं तो उनके बारे में कार्यवाही हो सकती है, वह सरकार कर सके। इस प्रकार की चर्चाओं से जो इनीशियेटिव डिसीजन लेते हैं, उनके अन्दर कमजोरी आ जाती है। मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण से मैंने कहा था। ऐसी बात नहीं थी कि उनका अधिकार नहीं है। सदन के माननीय सदस्य जो कहना चाहते हैं, उनको निश्चित तौर से अधिकार है कहने का, वे राजस्थान की बात कह सकते हैं। मेरा वैसा कहना, मैं समझता हूं, उचित था क्योंकि मैं देखता हूं कि कई बार कई प्रकार के असर सदन के बाहर हुआ करते हैं। मैं समझता हूं अब मेरे कहने के बाद स्पष्टता हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और एजुकेशन के विषय में, क्योंकि अभी आगे डिमान्ड आ रही है, इसलिए अभी उसकी चर्चा में न जाकर डिमान्ड के समय अर्ज कर दूंगा।

(करतल–ध्वनि)

१.३३ म.प.

अनुदानों की मांगों ६०-६१ पर मतदान

श्री अध्यक्ष : बजट पर सामान्य वाद-विवाद समाप्त हुआ। अब अनुदान की मांगों पर बहस व मतदान होगा।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि पहली जो मांग है, शिक्षा के बारे में, उसमें बहुत कट मोशस हैं, ६६ कट मोशस हैं, इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि संक्षेप में बोलें और यह मान लिया जायगा कि आपने उन्हें मूव कर दिया है, इसलिए जो कुछ कहना है वह निश्चित् तौर से अपने भाषण में थोड़े समय में कह दें।

मुख्य मंत्री जी मांग मूव करेंगे।

मांग संख्या १५-शिक्षा

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९,८७,३१,००० रु० तक की धन राशि प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[उपरोक्त मांग पर निम्न सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

[मांग सं० १५

डॉ० बहादुरसिंह :

१. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में एक रुपये की कटौती करदी जाय (प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों के अभाव पर बहस करने के लिए)

२. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (धौलपुर में डिग्री कॉलेज खोलने पर बहस करने के लिये)

३. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (धौलपुर एस. टी. सी. टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल की अव्यवस्था पर बहस करने के लिये)

४. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (धौलपुर के स्कूल भवनों की स्थिति पर बहस करने के लिये)

२०. ए. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (ग्राम तसीगों के शहीद विद्यालय को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का स्तर देने पर बहस करने हेतु)

श्री फतहसिंह :

१३. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय [गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल ब्यावर में नियम के विरूद्ध अधिक एक्टिविटी फीस (Activity Fee) लिये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु]

21. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the action of the Government in stopping the special pay of Rs. 15/- p.m of the Head Teachers of Primary Schools in Ajmer District).

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

१५. मांग सं. १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (आदर्शनगर में सरकारी विद्यालय अभी तक भी चालू नहीं किये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु)

१६. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (अल्प वेतनिक अध्यापकों की वेतन-शृंखला में समुचित वृद्धि किये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु)

१७. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (नगरपालिका परिषद क्षेत्रों में चलने वाले सरकारी स्कूलों को नगरपालिकाओं के सुपुर्द करने के लिए प्रश्न पर विचार करने हेतु)

१८. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण बोर्ड द्वारा कागज की खरीद में की गई अनियमितता पर विचार करने हेतु)

१९. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (जयपुर में इन्जीनियुरिंग कॉलेज खोलने के प्रश्न पर विचार करने हेतु)

७२. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (विश्वविद्यालय को दी जाने वाली राशि के औचित्य पर विचार करने हेतु)

Page No.59

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

७३. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७– शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (वर्तमान शिक्षा प्रणाली के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बेकारी के कारण विद्यार्थियों में व्याप्त अनिश्चितता, व ध्येयवादहीनता पर विचार करने हेतु)

श्री मुरलीधर व्यास :

२२. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर में अनिवार्य पाठशालाओं की स्थिति पर विचार करने के लिये)

५३. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७– शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (कॉलेजों के प्रोफेसर्स व हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स के प्रोमशन्स में पक्षपात पर प्रकाश डालने के लिये)

श्रीमती गंगादेवी डाटा :

२३. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७- शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (रामगढ़ हाई स्कूल की बिल्डिंग पर बहस करने हेतु)

२७. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७– शिक्षा में १) रु० की कटौती कर दी जाय (मालाखेडा माध्यमिक-शाला का उच्चतर माध्यमिक–शाला में परिवर्तन करने पर बहस करने हेतु)

श्री पी० के० चौधरी :

24. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re.1/- [to discuss failure of the Government. to give grants and aid to Adarsh Bal Vidyapith (Montissori School) Renwal]

25. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(to disuss the failure of the Government to make any upward revision of the pay scales of Secondary School teachers).

46. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the progress of women's education in the State).

47. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re.1/- (To discuss the failure of the Govt. to establish an institute for research in Higher Mathematics in Jaipur)

48. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to start a degree college at Sambhar).

49. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to raise the High Schools at Phulera and Sambhar to Higher Secondary Standard).

50. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re.1/-(To discuss the failure of the Government to raise the Girls' Middle School at Sambhar to Higher Secondary School).

Page No.60

68. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to Start Commerce Classes in the Higher Secondary School at Bhaislana, Tehsil Phulera).

69. Demand No. XV, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the question of making adequate arrangements with the University to conduct research in particular subject)

79. That the Demand No. XV, Major head 37-Education be reduced by Re. 1/-(To discuss the question of establishing special chairs in Rajasthan University to conduct and guide research work in various branches of Science).

80. That the Demand No. XV Major head 37- Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the irrational location of schools in the State.)

81. That the Demand No. XV Major head 37- Education be reduced by Re. 1/- (To discuss the question of conducting a survey of vocational training needs and emplyment opportunities to women in the State.)

श्री भीमसेन :

मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा में एक रुपये की कटौती की जाय (बीकानेर शहर में पोलीटैक्निक संस्था खोलने पर बहस करने के लिये)

२६. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (नापासर हाई स्कूल में दो बड़े कमरों का निर्माण करके स्थानाभाव को दूर करने की ओर ध्यान आकर्षित करने पर बहस करने हेतु)

४०. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (कस्बा लूणकरणसर में स्थान के अभाव को दूर करने हेतु २ बड़े कमरों की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करने पर बहस करने हेतु)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :

२८. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (तकनी—की तथा प्राविधिक शिक्षा का विस्तार करने पर बहस करने हेतु)

२६. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (संस्कृत शिक्षा के सर्वांगीण विकास पर विचार करने हेतु)

३०. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (बहु-उद्देशीय उच्च शालाओं की वर्तमान स्थिति पर विचार करने हेतु)

३१. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (बुनियादी शिक्षा में आवश्यक सुधार करने पर विचार करने हेतु)

७६. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन स्तर सुधारने के लिये बजट में दी हुई धन राशि की कमी पर बहस करने हेतु)

डॉ० चन्द्रकला :

३२. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षितों की बेकारी की समस्या पर विचार करने हेतु)

३३. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (संस्कृत की शिक्षा के प्रति सरकार की नीति पर विचार करने हेतु)

३४. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (गांवों में शिक्षा–व्यवस्था पूर्णतया पंचायतों के हाथ में हो इस विषय पर विचार करने हेतु)

३५. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं की रीति–नीति में परिवर्तन व सुधार पर विचार करने हेतु)

३६. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राजस्थान कला संस्थान, जयपुर, के सम्बन्ध में सरकार की उपेक्षा पर विचार करने हेतु)

३७. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (बधिर, मूक एवं अंधों के विद्यालय पर विचार करने हेतु)

३८. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पाठय पुस्तकों की राष्ट्रीय–करण योजना पर विचार करने हेतु)]

३९. मांग सं० १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य में चालू बुनियादी प्रशिक्षणों के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे कुछ कटौती के प्रस्ताव हैं। मेरा जो पहला कटौती का प्रस्ताव है वह प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों के अभाव के सम्बन्ध में है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जब "स्कूल चलो" अन्दोलन चलाया तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा, लेकिन उस प्रभाव के साथ साथ जो सबसे खटकने वाली बात हुई वह यह हुई कि जहां पर पहले तीन विद्यार्थी थे अब वहां पर १०० विद्यार्थी हो गये लेकिन अध्यापकों की संख्या आज भी एक और दो है। ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी थी, मेरी समझ में नहीं आया कि किस प्रकार वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगे! इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा दिलाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि जहां विद्यार्थियों की संख्या स्कूलों में इतनी हो गई है वहां आप पूरे राइट अधिकारी को दे दें कि उस स्कूल के अन्दर तत्काल ऐसे अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिये, जिनकी आवश्यकता है।

Page No.62

(डॉ० बहादुरसिंह)

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके द्वारा धौलपुर में डिग्री कॉलेज खोलने की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि धौलपुर की यह मांग बहुत पुरानी है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी जब कभी धौलपुर पधारते हैं, तो मैं समझता हूं, यह मांग उनके सामने हमेशा आती है। धौलपुर के अन्दर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा की सरकार के द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है लेकिन उच्च शिक्षा के लिये धौलपुर में व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण वहां के करीब डेढ़ सौ, पौने दो सौ विद्यार्थियों को काफी पैसा खर्च करके उच्च शिक्षा के लिये बाहर जाना पड़ता है। धौलपुर के नागरिकों की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये बाहर भेज सकें। मैं इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा मुख्य मन्त्री से, आपके द्वारा, यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम धौलपुर में, जो भूतपूर्व राज्य की राजधानी है, उच्च शिक्षा के लिए तृतीय वर्षीय डिग्री कोर्स प्रारम्भ कर सकते हैं। इसके लिए स्थान पर्याप्त है और वे इस सम्बन्ध में काफी देख चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली कदम उठायें जिससे वहां के नागरिकों की उच्च शिक्षा के लिये अच्छी व्यवस्था हो सके।

अब मैं आपका ध्यान अपने तीसरे कटौती प्रस्ताव की ओर खींचना चाहता हूँ। धौलपुर में आपने एस. टी. सी. टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रारम्भ की है, मैं उसकी व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धौलपुर में एस. टी. सी. टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल का तीसरा वर्ष है लेकिन न तो उसमें फर्नीचर है और न विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है। इसके साथ ही जो रुपया स्वीकृत किया गया है, बिल्डिंग के लिये २० हजार स्वीकृत किया गया था गत वर्ष, उसको व्यय नहीं किया गया, उसके परिणाम स्वरूप बड़ी अव्यवस्था है। वहां शिक्षण प्राप्त करते हैं, उनके सामने बड़ी दिक्कतें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एस. टी. सी. टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल प्रारम्भ कर रखा है वहां इतने अभाव हैं, इतनी चीजों की कमी हो रही है जिससे जो विद्यार्थी जाते हैं वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिये उनको असुविधा होती है, उसको दूर करने के लिये आपके द्वारा जो रुपया स्वीकृत किया गया है, उसको शीघ्र से शीघ्र व्यय कराने की व्यवस्था करें। इससे मैं समझता हूं कि उनके अभाव पूरे हो सकते हैं और शिकायत दूर हो सकती है।

अब मैं धौलपुर के स्कूल भवनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह मानी हुई बात है कि धौलपुर राज्य के अन्दर भवनों की संख्या अपर्याप्त थी, राज्य सरकार ने हायर सेकेन्डरी स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बनाई। लेकिन कुछ बिल्डिंग्ज़ ऐसी हैं, जैसे गर्ल्स हाई स्कूल की बिल्डिंग है, इसका जो अहाता है, उसके बारे में पिछली दफा कुछ कहा गया था। उस समय यह आश्वासन मिला था कि उस अहाते को जल्दी ठीक करा दिया जायगा। मुझे दुःख है कि उस सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया गया है। गर्ल्स स्कूल ऐसी जगह है, जहां कम्पाउन्ड वाल की अत्यन्त आवश्यकता

(डॉ० बहादुरसिंह)

रहती है। इसी तरह आपके द्वारा जो बस दी हुई है, उसके लिए भी मैंने सदन में कहा था। मुझे बताया गया था कि हम इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसी तरह से पचगाय में मिडिल स्कूल की बिल्डिंग नागरिकों ने बनाई और यह बिल्डिंग सरकार को दान कर दी। सरकार ने उसके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के लिए भी लिखाना चाहा, उसको भी लिख कर दे दिया गया। लेकिन अब तक न एजुकेशन डिपार्टमेंट ने और न पी. डब्लू. डी. विभाग ने इस बिल्डिंग को सम्हाला है। ऐसी स्थिति में जो बिल्डिंग नई बनी हुई है, उसकी देखभाल न की गई तो वह खराब हो सकती है।

इस तरह से एक नहीं और भी बिल्डिंगें हैं। प्राथमिक शाला की बिल्डिंग धौलपुर में है, उसको थोड़ा सा रुपया लगा कर यदि रिपेअर करा दिया जाता तो आज जो यह १० हज़ार रुपये की बिल्डिंग बेकार हुई है वह बेकार नहीं होती।

तो इस तरह जो बिल्डिंगें हैं जिनमें प्राथमिक शालाएं चल रही हैं, उनकी हालत खराब है। पिछले वर्ष शहर में एक प्राथमिक शाला थी, मेरे खयाल से एक बहुत बड़े जागीरदार साहब का मकान था, उसमें थी, उस मकान पर थोड़ा सा रुपया खर्च करके उसकी मरम्मत करवाई जाती तो बड़ा सुविधा-जनक रहता, पर आज उसके विद्यार्थी बाहर हैं क्योंकि बिल्डिंग काफी गिर चुकी है। अगर उसमें थोड़ा सा रुपया खर्च करके थोड़ा रिपेअर करा दिया जाय और पत्थरों को हटा दिया जाय तो वह पत्थर भी दूसरी जगह काम में आ सकता है और वह बिल्डिंग भी काम में आ सकती है, क्योंकि भवन काफी बड़ा था।

अब मैं हायर सैकन्डरी स्कूल के भवन के बारे में निवेदन करूंगा कि जितने नये कमरे बनाये वे तो उपयुक्त हैं, पर पुरानी बिल्डिंग को थोड़ा सा रिपेअर करा दें तो वह काफी उपयुक्त होगी। इन भवनों की दशा को देखने से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एजूकेशन डिपार्टमेंट और पी.डब्लू.डी के कार्यों में आपस में समन्वय नहीं है। पिछले दिनों ऐसा प्रतीत हुआ कि शिक्षा विभाग अपने भवनों को पी.डब्लू.डी. से अलग करना चाहता है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो तो उस हालत में अन्तरिम काल में पी.डब्लू.-डी. को इन भवनों के रिपेअर्स वगैरह की समुचित व्यवस्था करनी चाहिये।

तसीमा विद्यालय के बारे में मेरा एक कटौती प्रस्ताव है। तसीमा धौलपुर में एक बहुत इम्पोर्टेन्ट जगह है, वहां राज्य सरकार से संघर्ष करते हुए दो बलिदान हुए थे, और उन शहीदों की यादगार में यह तसीमा का शहीद विद्यालय बनाया गया। धौलपुर में मत्स्य का शासन था तो इस विद्यालय की नींव रखते हुए तत्कालीन मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इसको माध्यमिक विद्यालय का स्थान देंगे। तसीमा उप तहसील है, इसकी लैंड रेवेन्यू धौलपुर सब-डिविजन और दूसरी तहसीलों से ज्यादा है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : On a Point of order, Sir, I would like to know whether it is proper for an

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

Hon'ble Member to communicate with other members who are technically not on the floor of the House. I find the Hon'ble Minister is communicating with other Hon'ble Member.

श्री अध्यक्ष : If they don't disturb the House, I don't think we should take notice of it.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : That may be so. I only wanted to know the rule.

श्री अध्यक्ष ; That is true. You are correct.

डॉ० बहादुरसिंह : तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो वहां पर शहीद विद्यालय है उसको हायर सैकन्डरी स्कूल में परिणत करते हैं तो साथ में, उसके आस-पास में मिडिल स्कूलें हैं, उनके लिये भी वह पर्याप्त होगा। तसीमा शहीद विद्यालय चार-पांच मिडिल स्कूलों के बीच में आ जाता है; इसको हाई स्कूल में परिणत कर दें तो पर्याप्त साधन गरीब विद्यार्थियों को, जो धौलपुर नहीं जा सकते, जो पैसे नहीं दे सकते, वे गरीब विद्यार्थी वहां शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ग्रामीण जीवन में रह कर अपने को उन्नतिशील बना सकते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस वक्त हायर सैकन्डरी स्कूल्स बनाने के प्रश्न सामने आये, तसीमा शहीद विद्यालय को हायर सैकन्डरी स्कूल में परिणत किया जाय, एक तो वह शहीदों का स्मारक है और दूसरे वह इन्टीरियर में है, इस कारण आस पास के विद्यार्थियों को बड़ी सुविधा होगी।

अपने कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के साथ साथ धौलपुर में डिग्री कॉलेज के सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, निवेदन करूंगा और आशा करूंगा कि वे अपना सहानुभूतिपूर्ण रवैया प्रकट करेंगे।

एक माननीय सदस्य : दूसरों से आशा नहीं करते ?

डॉ० बहादुरसिंह : क्योंकि वे शिक्षा मंत्री भी हैं, मैं मुख्य मंत्री महोदय से ही आशा करूंगा कि वे इस पर साहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात !

(अनुपस्थित)

श्री विद्यासागर !

(अनुपस्थित)

श्री फतहसिंह !

मेजर फतहसिंह (भीम) : श्रीमान्, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, एक है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल ब्यावर में नियम के विरुद्ध अधिक एक्टिविटी फीस ली जाती है, इस सम्बन्ध में और दूसरा है भूतपूर्व अजमेर राज्य के हैड टीचर्स, प्राइमरी स्कूल्स, की स्पेशल पे थी उसको बन्द कर दी गई है, उसके सम्बन्ध में।

श्रीमान्, पिछले ५ वर्षों में राजस्थान को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिली है, इसके लिये तो मैं आम तौर से सारे कांग्रेस सदस्यों को और खास तौर से मुख्य मन्त्रीजी को बधाई और धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं यह

(मेजर फतहसिंह)

कहने में भी संकोच नहीं करूंगा कि इस सरकार ने हमको पिछले ५ वर्षों में एक अयोग्य, पक्षपातपूर्ण और स्वेच्छाचारी शासन दिया है।

मुझे दुःख है कि एक साधारण समस्या को बार बार इस सदन में एजीटेट करना पड़ता है। जहां तक ब्यावर की गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल में अधिक फीस वसूल की जाती है, इसका सम्बन्ध है, यह दो—तीन बार प्रश्नों के रूप में इस सदन के समक्ष उपस्थित हो चुका है और मेरा यह दुर्भाग्य है कि मुझे, क्योंकि इस गलती को दुरुस्त नहीं किया गया, कटौती प्रस्ताव के रूप में, अब की बार इस सदन के समक्ष लाना पड़ा है।

१९५७ के जुलाई में राजस्थान की समस्त शिक्षण संस्थाओं में फीस की वृद्धि की गई, विद्यार्थियों के आन्दोलन हुये और फिर सरकार ने कुछ आदेश जारी किये। आगे चल कर क्या फीस ली जानी चाहिये, इसका आधार बना। इन आदेशों का इस ब्यावर की हायर सैकन्डरी स्कूल में उल्लंघन किया जा रहा है यह जान बूझ कर उल्लंघन किया जा रहा है, इसमें बड़े—बड़े अधिकारियों का हाथ है। इसमें डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन का हाथ है, डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन का हाथ है, एडीश्नल डाइरेक्टर का हाथ है और जिस ढंग से हमारी सरकार ने काम किया है उससे भी उनको इस नियम का उल्लंघन करने में स्थानीय हैड मिस्ट्रेस को प्रोत्साहन मिला है। श्रीमानजी, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं संक्षेप में ही कहूंगा और यह बताऊंगा कि क्या फीस ली जानी चाहिये और क्या नहीं ली जानी चाहिए। जहां लड़कियों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है केवल एक्टीविटीज़ फीस ली जाती है, उसके लिए सरकार का जो अन्तिम आदेश निकला है वह है: Circular No. EDB/ASCS(D)/1430-/5/58 dated 17th February, 1958 from the Director of Education, Rajasthan, Bikaner, to all Heads of departments. इसके पैरा दो में यह अच्छी तरह से लिखा है, "No tuition fees is to be charged upto class VIII. Activity fee is to be charged on old rates." ८वीं कक्षा तक ओल्ड रेट से फीस ली जानी चाहिये। उसके ऊपर ९वीं से ११वीं तक क्या लिया जाना चाहिए, उसके सम्बन्ध में लिखा है :

"Heads of the institutions, vide circular No....were empowered to determine the rates of activity fees with the concurrence of the students' unions and the heads of institutions can use their discretion for the classes IX to XI only" इसलिए श्रीमानजी, मैं आपको और आपके मार्फत सदन के सारे सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि यह सारा प्रश्न दो बातों में विभक्त किया जा सकता है, एक तो यह कि ८ वीं तक की लड़कियों से क्या फीस ली जाए तथा ९ वीं से ११ वीं कक्षा तक की छात्राओं से क्या फीस ली जानी चाहिए। जहां तक ८ वीं कक्षा तक की छात्राओं का प्रश्न है वह तो साफ है कि ओल्ड रेट से उनसे फीस ली जानी चाहिये। अब ओल्ड रेट में क्या है, उसके लिए पिछले अधिवेशन में उप शिक्षा मंत्री

(मेजर फतहसिंह)

ने बताया कि ओल्ड स्टेट का मतलब यह है कि जो जुलाई ५७ से पहले ली जाती थी। अब मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस स्कूल में ८वीं कक्षा तक की छात्राओं से ओल्ड रेट से फीस न लेकर नई रेट से ली जाती है और जिससे इन छात्राओं के माता-पिताओं पर १८॥ रु० प्रति वर्ष अधिक एक्टीविटीज़ के देने पड़ते हैं और ओल्ड रेट्स क्या हैं वे राजस्थान के एज्युकेशन कोड में बताई गई हैं। इस तरह से इससे १८॥ रुपयों का अन्तर पड़ता है। ८ वीं कक्षा के लिये गेम्स फीस ६ आना प्रति माह ली जाती है जब कि ओल्ड रेट दो रुपये सालाना है। इस तरह २॥ रुपये अधिक देने पड़ते हैं। लाइब्रेरी फीस अप टु ८ वीं कक्षा कुछ नहीं है और उनसे १ रुपया पर एनम के हिसाब से वसूल किया जाता है। यह एक रुपया ज्यादा लिया जाता है। इसी तरह से रीडिंग रूम चार्जेज़ ओल्ड रेट से १ रु० है मगर २) रु० लिये जाते है। इसमें भी एक रुपया अधिक। मैगज़ीन फीस ८ वीं तक एज्युकेशन कोड में लिखा है, "कुछ नही ली जानी चाहिये" मगर यहां पर एक रुपया पर एनम लिया जाता है। यानी एक रुपया यह भी अधिक। इसी तरह से एन्टरटेनमेंट फीस ओल्ड कुछ नहीं वह नई १) रु० वसूल करते हैं। यह भी एक रुपया अधिक है। हैन्डीक्रेफ़्टस के लिये पुरानी रेट में कुछ नहीं है मगर यहां पर ८ आना प्रति माह के हिसाब से लिया जाता है और यह भी ६) रुपये अधिक। कॉशन मनी ८ वीं कक्षा तक कुछ नहीं है पर यहां पर ५) रु० लिये जाते हैं। इस तरह से हिसाब लगाने पर १८॥) रु० प्रति वर्ष ८ वीं कक्षा तक की छात्राओं से अधिक फीस ली जाती है।

अब ९ वीं से ११ वीं कक्षा तक के लिये जिस सरक्यूलर का ज़िक्र किया गया है उसमें यह साफ लिखा है कि उन छात्राओं से क्या एक्टीविटीज़ फीस ली जावे, उसके लिए साफ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि हैड ऑफ एज्युकेशन उसको छात्राओं से कन्सल्ट करके उनकी राय से तय करेंगे। इस सबन्ध में मैं शिक्षण संस्थाओं और अधिकारियों व शासन पर आरोप लगाता हूं कि जहां तक ९ वीं से ११ वीं कक्षा को छात्राओं पर फीस का सवाल है वह उनसे डिसकस करके तय नही किया गया है। इसमें छात्राओं की यूनियन कन्करेन्स से या छात्राओं की कोई राय नहीं ली गई। "और यह आर्बीट्रेरी एक्शन है। मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछली बार सदन में ५—६ महीने पहले फीस के संबन्ध में प्रश्न का नोटिस दिया, उसके बाद में खाना पूरी की गई और उसके बाद में यूनियन के प्रेसिडेन्ट से कोरे कागज़ पर उस पर दबाव डाल कर और उसको डरा धमका कर दस्तखत कराये गये। यह तो आपका आर्बीट्रेरी डिस्क्रीशन है। अगर ऐसा है तो यह बड़े एतराज के योग्य है।

श्रीमानजी, जब लोगों के बच्चों से अधिक फीस ली जाने लगी तो लोगों ने, छात्राओं के माता-पिताओं ने इस संबन्ध में संबन्धित अधिकारियों को आवेदन-पत्र दिये। उन्होंने सदन के कई सदस्यों को पत्र लिखे। डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, एडीश्नल डाइरेक्टर और दूसरे अधिकारियों को पत्र लिखे और जहां तक मैं समझता हूं, हमारे शिक्षा मंत्री वगैरह को भी पत्र लिखे होंगे' इतना ही नहीं हुआ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जो शिक्षा

(मेजर फतहसिंह)

कहने में भी संकोच नहीं करूंगा कि इस सरकार ने हमको पिछले ५ वर्षों में एक अयोग्य, पक्षपातपूर्ण और स्वेच्छाचारी शासन दिया है।

मुझे दुःख है कि एक-साधारण समस्या को बार बार इस सदन में एजीटेट करना पड़ता है। जहां तक ब्यावर की गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सैकन्डरी स्कूल में अधिक फीस वसूल की जाती है, इसका सम्बन्ध है, यह दो—तीन बार प्रश्नों के रूप में इस सदन के समक्ष उपस्थित हो चुका है और मेरा यह दुर्भाग्य है कि मुझे, क्योंकि इस गलती को दुरुस्त नहीं किया गया, कटौती प्रस्ताव के रूप में, अब की बार इस सदन के समक्ष लाना पड़ा है।

१९५७ के जुलाई में राजस्थान की समस्त शिक्षण संस्थाओं में फीस की वृद्धि की गई, विद्यार्थियों के आन्दोलन हुये और फिर सरकार ने कुछ आदेश जारी किये। आगे चल कर क्या फीस ली जानी चाहिये, इसका आधार बना। इन आदेशों का इस ब्यावर की हायर सैकन्डरी स्कूल में उल्लंघन किया जा रहा है यह जान बूझ कर उल्लंघन किया जा रहा है, इसमें बड़े—बड़े अधिकारियों का हाथ है। इसमें डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन का हाथ है, डिप्टी डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन का हाथ है, एडीशनल डाइरेक्टर का हाथ है और जिस ढंग से हमारी सरकार ने काम किया है उससे भी उनको इस नियम का उल्लंघन करने में स्थानीय हैड मिस्ट्रेस को प्रोत्साहन मिला है। श्रीमानजी, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं संक्षेप में ही कहूंगा और यह बताऊंगा कि क्या फीस ली जानी चाहिये और क्या नहीं ली जानी चाहिए। जहां लड़कियों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है केवल एक्टीविटीज़ फीस ली जाती है, उनके लिए सरकार का जो अन्तिम आदेश निकला है वह है: Circular No. EDB/ASCS(D)/1430-/5/58 dated 17th February, 1958 from the Director of Education, Rajasthan, Bikaner, to all Heads of departments. इसके पैरा दो में यह अच्छी तरह से लिखा है, "No tuition fees is to be charged upto class VIII. Activity fee is to be charged on old rates." ८वीं कक्षा तक ओल्ड रेट से फीस ली जानी चाहिये। उसके ऊपर ९वीं से ११वीं तक क्या लिया जाना चाहिए, उसके सम्बन्ध में लिखा है :

"Heads of the institutions, vide circular No....were empowered to determine the rates of activity fees with the concurrence of the students' unions and the heads of institutions can use their discretion for the classes IX to XI only" इसलिए श्रीमानजी, मैं आपको और आपके मार्फत सदन के सारे सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि यह सारा प्रश्न दो बातों में विभक्त किया जा सकता है, एक तो यह कि ८ वीं तक की लड़कियों से क्या फीस ली जाए तथा ९ वीं से ११ वीं कक्षा तक की छात्राओं से क्या फीस ली जानी चाहिए। जहां तक ८ वीं कक्षा तक की छात्राओं का प्रश्न है वह तो साफ है कि ओल्ड रेट से उनसे फीस ली जानी चाहिये। अब ओल्ड रेट में क्या है, उसके लिए पिछले अधिवेशन में उप शिक्षा मंत्री

(मेजर फतहसिंह)

ने बताया कि ओल्ड स्टेट का मतलब यह है कि जो जुलाई ५७ से पहले ली जाती थी। अब मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस स्कूल में ८वीं कक्षा तक की छात्राओं से ओल्ड रेट से फीस न लेकर नई रेट से ली जाती है और जिससे इन छात्राओं के माता-पिताओं पर १८॥ रु० प्रति वर्ष अधिक एक्टीविटीज़ के देने पड़ते हैं और ओल्ड रेट्स क्या हैं वे राजस्थान के एज्युकेशन कोड में बताई गई हैं। इस तरह से इससे १८॥ रुपयों का अन्तर पड़ता है। ८ वीं कक्षा के लिये गेम्स फीस ६ आना प्रति माह ली जाती है जब कि ओल्ड रेट दो रुपये सालाना है। इस तरह २॥ रुपये अधिक देने पड़ते हैं। लाइब्रेरी फीस अप टु ८ वीं कक्षा कुछ नहीं है और उनसे १ रुपया पर एनम के हिसाब से वसूल किया जाता है। यह एक रुपया ज्यादा लिया जाता है। इसी तरह से रीडिंग रूम चार्जेज़ ओल्ड रेट से १ रु० है मगर २) रु० लिये जाते है। इसमें भी एक रुपया अधिक। मैग्ज़ीन फीस ८ वीं तक एज्युकेशन कोड में लिखा है, "कुछ नही ली जानी चाहिये" मगर यहां पर एक रुपया पर एनम लिया जाता है। यानी एक रुपया यह भी अधिक। इसी तरह से एन्टरटेनमेंट फीस ओल्ड कुछ नहीं वह नई १) रु० वसूल करते हैं। यह भी एक रुपया अधिक है। हैन्डीक्रेफ्टस के लिये पुरानी रेट में कुछ नहीं है मगर यहां पर ८ आना प्रति माह के हिसाब से लिया जाता है और यह भी ६) रुपये अधिक। कॉशन मनी ८ वीं कक्षा तक कुछ नहीं है पर यहां पर ५) रु० लिये जाते हैं। इस तरह से हिसाब लगाने पर १८॥) रु० प्रति वर्ष ८ वीं कक्षा तक की छात्राओं से अधिक फीस ली जाती है।

अब ९ वीं से ११ वीं कक्षा तक के लिये जिस सरक्यूलर का ज़िक्र किया गया है उसमें यह साफ लिखा है कि उन छात्राओं से क्या एक्टीविटीज़ फीस ली जावे, उसके लिए साफ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि हैड ऑफ एज्युकेशन उसको छात्राओं से कन्सल्ट करके उनकी राय से तय करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं शिक्षण संस्थाओं और अधिकारियों व शासन पर आरोप लगाता हूं कि जहां तक ९ वी से ११ वीं कक्षा की छात्राओं पर फीस का सवाल है वह उनसे डिसकस करके तय नहीं किया गया है। इसमें छात्राओं की यूनियन कन्फरेन्स से या छात्राओं की कोई राय नहीं ली गई। और यह ऑर्बीट्रेरी एक्शन है। मैं यह निवेदन करूंगा कि पिछली बार सदन में ५–६ महीने पहले फीस के संबन्ध में प्रश्न का नोटिस दिया, उसके बाद में खाना पूरी की गई और उसके बाद में यूनियन के प्रेसिडेन्ट से कोरे कागज़ पर उस पर दबाव डाल कर और उसको डरा धमका कर दस्तखत कराये गये। यह तो आपका ऑर्बीट्रेरी डिस्क्रीशन है। अगर ऐसा है तो यह बड़े एतराज के योग्य है।

श्रीमानजी, जब लोगों के बच्चों से अधिक फीस ली जाने लगी तो लोगों ने, छात्राओं के माता-पिताओं ने इस संबन्ध में संबन्धित अधिकारियों को आवेदन-पत्र दिये। उन्होंने सदन के कई सदस्यों को पत्र लिखे। डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन, एडीश्नल डाइरेक्टर और दूसरे अधिकारियों को पत्र लिखे और जहां तक मैं समझता हूं, हमारे शिक्षा मंत्री वगैरह को भी पत्र लिखे होंगे' इतना ही नहीं हुआ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जो शिक्षा

Page No.69

(मेजर फतहसिंह)

मंत्री भी हैं, जब मैं यह कहूँ कि शिक्षा की फीस के बारे में तीन बार जब आप व्यावर पधारे तब आपको आवेदन-पत्र दिया। सबसे पहले जब आप वूल फेडरेशन में भाग लेने गये तब लिखित रूप में शिकायत की गई। दूसरी बार जब वहां व्यावर के कांग्रेसी सदस्य ने अपने पौत्र के जन्म के उपलक्ष में भोज दिया उसमे आप उपस्थित हुए, तब वहां की जनता ने प्रार्थनापत्र दिये। तीसरी बार जब आप व्यावर म्युनिसिपैलिटी में मानपत्र लेने गये उस वक्त भी प्रार्थनापत्र दिये। लेकिन मैं समझ नहीं सका कि उनका क्या प्रभाव हुआ। श्रीमानजी, एक तरफ तो हमारी सरकार आज यह चाहती है कि शिक्षा का प्रचार हो और खास करके हमारे मुख्य मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं यह चाहते हैं कि लड़कियों में शिक्षा ज्यादा से ज्यादा फैले, लेकिन जो रवैया इस स्कूल में अख्त्यार किया जा रहा है उससे लड़कियों को निराशा ही होनी चाहिये। दूसरी संस्थाओं में, मैं जब इसका नाम लेता हूं तो इसका आशय लड़कियों की स्कूल से है, नियम से फीस ली जाती है और यहां पर नियम को तोड़ कर फीस ली जाती है। यह हुआ क्यों इसका मैं आपको बेसिस बताता हूं। पहले हमारे यहां व्यावर में श्रीमती शर्मा हैड मिस्ट्रेस थीं जो बहुत भली हैड मिस्ट्रेस थीं। उसके समय में बिल्कुल नियम के अनुसार फीस वसूल की जाती थी। लेकिन जब यह नई हैड मिस्ट्रेस दिसम्बर या जनवरी ५६ में आई तो उसने देखा कि यह हायर सैकन्डरी हाल ही में हुआ है, आमदनी बढ़ाने के लिये फीस वसूल करना शुरू कर दिया। इसमें डाइरेक्टर और एडीशनल डाइरेक्टर ने भी प्रोत्साहन दिया और कहा कि तुम नई रेट्स से फीस वसूल करो। यहां से यह गलती हुई है।

इसलिये मेरा जहां तक इस प्रस्ताव का संबन्ध है मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा और उचित तो यह होगा कि इस बात की मांग करूंगा कि वे इस संबन्ध में दो कदम उठावें। एक तो यह कि सबसे पहले जो गलती हुई है उसको दुरुस्त करावें और आदेश जारी करें कि अधिक फीस जो वसूल की है वह रिफन्ड की जावे। और इस मिथ्या विवाद में हमारे शासन के अधिकारियों को नहीं पड़ना चाहिये।

दूसरी मांग करने के पहले मुझे एक घटना याद आ जाती है और इस घटना का जिक्र करने के बाद में वह मांग करूंगा।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

१. ४६ म. प.

पांडव और कौरव दोनों युद्ध के लिए अपनी अपनी अलग अलग सेना इकट्ठी करके लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिये तैयार हैं। कृष्ण पांडवों की ओर से राजदूत बन कर गये और उन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह देते हुए यह कहा कि हे राजन् समस्त कुल की भलाई के लिये एक पुरुष को, एक गांव के हित के लिये एक कुल को, जन पद की भलाई के लिये एक गांव को और आत्म कल्याण के लिये समस्त भूमंडल को त्याग दें। अर्थात् तुम्हें भी कौरवों के हित के लिये दुर्योधन का परित्याग करके उसको बन्दी बना लेना चाहिये यानी धृतराष्ट्र को कृष्ण ने सलाह दी कि

(मेजर फतहसिंह)

दुर्योधन तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र है, राजा है, उसका भी तुम त्याग करो, उसको भी बन्दी बनाओ। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, मांग करूंगा कि जिन अधिकारियों ने स्वेच्छाचारी व्यवहार किया है, जानबूझ कर गलती की है और वे अधिकारी चाहे एडीशनल डाइरेक्टर हों डायरेक्टर एजुकेशन हों, जिन्होंने उस हैड मिस्ट्रेस के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही नहीं की, जिन्होंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया, उनके प्रति एक्शन लेने के लिए तैयार होवें, इससे राज्य का कल्याण होगा, शासन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है अजमेर जिले के जो प्राइमरी स्कूल्स के हैड टीचर्स हैं उनको १५) रु. स्पेशल पे मिलती थी वह बन्द कर दी गई उसके संबंध में है। श्रीमन्, यह जो १५) रु. की स्पेशल पे थी और उन प्राथमिक पाठशालाओं के हैडमास्टर्स को मिलती थी, यह सन् १९५० से मिलती आ रही है और यह पे उनकी पेन्शन में शुमार होती थी, जो कुछ अनुपात आता था उसके अनुसार पेन्शन में शुमार की जाती थी। लेकिन अभी हाल ही में पांच छः महीने से स्पेशल पे बन्द कर दी गई। सन् ५८ तक की स्पेशल पे उनको दे दी गई। इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूँगा कि १ नवम्बर १९५६ को अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ। यह कानूनी आधार पर विलय हुआ था। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में प्रोविज़न है, मुझे सेक्शन पूरा याद नहीं है शायद सेक्शन ११५ है, उसके अनुसार जो कुछ अलाउन्स अजमेर राज्य के कर्मचारियों को उस वक्त मिलता था वह बदस्तूर मिलता रहेगा। ऐसी सूरत में उनकी १५) रु. महीने की स्पेशल पे बन्द कर देना उचित नहीं है। राजस्थान होने के बाद उन प्राइमरी स्कूलों के हैडमास्टर्स को जो भी पेन्शन पर गये उनकी पेन्शन में भी १५) रु. की स्पेशल पे शामिल हुई है। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हैड मास्टर्स की जो यह समस्या है इस पर भी विचार करें। श्रीमन्, इसी सम्बन्ध में एक बात और बता दूँ कि जो एडेड स्कूल के हैडमास्टर्स हैं जिन एडेड स्कूल्स को सरकार की ओर से ६० पर्सेन्ट एड मिलती है, उन प्राइमरी स्कूलों के हैडमास्टर्स को भी १५) रु. माह की स्पेशल पे मिल रही है जब कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स के हैडमास्टर्स की स्पेशल पे बन्द कर दी गई है। इतना ही कह कर मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे द्वारा उठायी गई आपत्तियों को दुरुस्त करें और शीघ्रातिशीघ्र दूर करने की कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(२.२ म० प०)

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३७–शिक्षा के सम्बन्ध में मेरे ६ कटौती प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव जयपुर में आदर्श नगर बस्ती में सरकारी स्कूल प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी जो अभी उस इलाके का दौरा करके आये हैं उनको यह बात शायद ज्ञात

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

होगी कि आदर्श नगर की बस्ती में सन् ५७ में जब आम चुनाव हुए थे तो वहां पर दो स्कूल खोलने की दृष्टि से दो भवनों का शिलान्यास किया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, भवन तो बन गये हैं लेकिन लगभग ३ साल पूरे होने को आये अब तक उसमें स्कूल प्रारम्भ नहीं हुए हैं। दो भवन बने हैं, एक लड़कियों की शिक्षा के लिए और एक लड़कों की शिक्षा के लिए। जहां तक मेरी जानकारी है लड़कियों का स्कूल प्रारम्भ किया जा चुका है लेकिन लड़कों का स्कूल अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक लड़कियों के स्कूल का सवाल है उस आदर्श नगर बस्ती में लड़कियों के लिए प्राइमरी या छोटी कक्षाओं तक के स्कूलों की आवश्यकता नहीं जितनी कि हायर सैकन्डरी या इससे ऊपर हायर स्कूलों की लड़कियों के लिए आवश्यकता है। छोटी लड़कियों की शिक्षा की दृष्टि से अन्यान्य स्कूल उस बस्ती में चलते हैं। उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहां तक लड़कियों के स्कूल का ताल्लुक है, इमारत तो वहां पर बन ही चुकी है, उसी भवन में छोटे स्कूल, प्राइमरी स्कूल के स्थान पर हायर सैकन्डरी स्कूल को चलाने का विचार करें और इसके लिए आवश्यक कदम उठायें। जहां तक लड़कों के स्कूल का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि लड़कों का स्कूल प्रारम्भ हो जाना चाहिये था। इस प्रकार की धारणा है कि आम चुनावों के समय शिलान्यास कर दिया जाय, तीन वर्ष समाप्त हो जाय, इमारत बन जाय और इमारत बन जाने के बाद भी स्कूल प्रारम्भ न हो यह अच्छी बात हमारे लिए नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि तुरंत उस भवन में आवश्यक योजना थी उस योजना के अनुसार स्कूल प्रारम्भ हो जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैंने इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा जो कि सदन के सामने प्रस्तुत है रखी है वह है, जयपुर में इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने के सम्बन्ध में। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। यह बात सही है कि यहां पर मेडीकल कॉलेज है, यह बात भी सही है कि यहां पर एजुकेशन की दृष्टि से हायर कॉलेजेज़ भी हैं, यहां पर युनिवर्सिटी की सीट है, यहां पर युनिवर्सिटी शिक्षा की व्यवस्था है। लेकिन मैं समझता हूं जहां तक टेक्निकल एजुकेशन का सवाल है, जोधपुर में इन्जीनियरिंग कॉलेज है, पोलिटेक्निक के लिए इन्स्टिट्यूट है, उदयपुर में भी पोलिटेक्निक के लिए इन्स्टिट्यूट है और राजस्थान के अन्यान्य भागों में इस प्रकार की और योजनायें हैं। राजस्थान सरकार की शिक्षा नीति में कई भागों में इन्जीनियरिंग स्कूल खोलने के लिए प्रस्ताव रखा था और उसको कार्यान्वित भी किया। जयपुर में एक हायर सैकन्डरी इन्जीनियरिंग सेक्शन खोल दिया। एक इन्जीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन की ब्रान्च खोली जाकर उसके लिए डाइरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन अलग बनाया जाकर इस प्रकार की जगह २ व्यवस्था की जावे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर की आबादी भी बहुत बढ़ती जा रही है। इन्जीनियरिंग की शिक्षा के लिए पिलानी जा सकते हैं, जोधपुर जा सकते हैं लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के इस पूर्वी भाग में इस प्रकार के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इन्जीनियरिंग कॉलेज की अत्यन्त आवश्यकता है हिन्दुस्तान की विकास योजनाओं की दृष्टि से, राजस्थान की विकास की योजनाओं की दृष्टि से जब सवाल आता है तो यह कहा जाता है कि अच्छे इन्जीनियर नहीं हैं यहां पर इसलिए हमको टैक्निकल हैंड्स बाहर से मंगाने पड़ते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए विचार किया जाय और इन सारी परिस्थितियों और स्थितियों पर विचार करें कि किस प्रकार से इन्जीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था की जा सकती है। इस दूसरे कटौती के प्रस्ताव द्वारा मैंने ये विचार आपके सामने रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक सवाल खड़ा होता है हमने राजस्थान के अन्दर डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन की स्कीम को स्वीकार किया है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना के अन्तर्गत राजस्थान के अन्दर जितने भी पंचायत क्षेत्र हैं उनमें जितनी भी विकास योजनायें होंगी वे सब पंचायतें बनायेंगी, यह सब काम सरकार ने पंचायत समितियों को सौंप दिया है। वैसी हालत में क्या मैं यह आवश्यक नहीं समझूं कि जहां हमने इस बात को स्वीकार किया है कि पंचायत क्षेत्र में चलने वाले प्राइमरी स्कूल्स के बारे में उनकी देखभाल उनका संचालन नियन्त्रण संरक्षण सब पंचायत समितियों को सौंप दिया है। उसी प्रकार नगरपालिकाओं के क्षेत्र में चलने वाले जितने भी शिक्षणालय हैं उन सब का प्रबन्ध नगरपालिकाओं को सुपुर्द कर दिया जाय और उसके लिये जो भी सरकार को धन राशि देनी हो वह उसको दे। मेरी ऐसी मान्यता है कि जब तक ये अधिकार नगरपालिकाओं को हम नहीं देते हैं तो हमारा, राजस्थान में जो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण किया है वह अधूरा है और वह तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक कि नगरपालिकाओं के क्षेत्र में चलने वाले शिक्षणालयों का नियन्त्रण, संरक्षण आदि उनको नहीं सौंप देते। केवल नगरपालिकायें सफाई का ही इन्तज़ाम करें या रोशनी का इन्तजाम करें, यह नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूँ इसके साथ साथ सिद्धान्त के आधार पर नगरपालिकाओं के क्षेत्र में जितनी भी स्कूलें चलती हैं विद्यालय हैं उनको नगरपालिकाओं को सौंप देना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था अन्य प्रान्तों में भी है म्युनिसिपैलिटीज़ स्कूलें चलाती हैं, सरकार उनको समुचित सहायता प्रदान कर देती है। इसी आधार पर मैं यहां के लिये भी यह मांग करता हूँ कि राजस्थान के अन्दर जितने भी नगरपालिका के क्षेत्र हैं समस्त सरकारी स्कूलों को योजनानुसार नगरपालिकाओं को दें और जो आपकी रीति नीति है उसके अनुसार वे चलें इसमें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जिस प्रकार पंचायतों के क्षेत्र में स्कूलों का नियन्त्रण पंचायत समितियों को सौंपा है उनमें अध्यापक वे रख सकते हैं कहां पर स्कूल खोली जायं, कहां पर नहीं खोली जायं ये सब अधिकार पंचायत समितियों को दिये हैं। इसी प्रकार वहां की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर स्कूलों को खोलने के बारे में अध्यापकों की नियुक्ति आदि के बारे में अधिकार नगरपालिकाओं को दिये जाने चाहिये। नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर जहां सरकार की अनिवार्य शिक्षा की नीति है साक्षरता प्रसार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की नीति है, उस सम्बन्ध में नगर पालिकाओं को अधिकार दिये जाने चाहिये ।

अब एक सवाल और रहता है वह सवाल बड़ा गंभीर है । राजस्थान सरकार ने पिछली बार इस बात की घोषणा की थी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कि कॉलेजेज के जो प्राध्यापक आदि हैं उनकी तनख्वाह हमने बढ़ा दी है यह इसलिये आवश्यक समझा गया कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड हमारे यहां बढ़े और इसके साथ साथ यह इसलिये भी किया गया कि जिन लोगों को शिक्षा क्षेत्र पसन्द नहीं और तनख्वाह की कमी के कारण लेक्चरार्स आर० ए०एस०,आर०पी०एस० के सिलेक्शन में चले जाते हैं उनकी परीक्षाओं में बैठने की आकांक्षा रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में तनख्वाह अच्छी न मिलने के कारण लोग इस ओर आकृष्ट नहीं होते, इसका नतीजा यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज अच्छे प्रोफेसर्स नहीं हैं और न अच्छे लेक्चरार्स ही दिखाई देते हैं ! उनकी तनख्वाह बढ़ाने का यह भी कारण हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यह सवाल भी खड़ा होता है, अल्प वेतन पाने वाले शिक्षकों का। आज उन लोगों में बहुत असन्तोष व्याप्त है । आज उनका एप्रोच ऊपर नहीं हो पाता कोई उनकी सिफारिश करने वाले नहीं होता, उनके पास इतने साधन नहीं कि वे आपको कह सकें कि हमारी तनख्वाह भी बढ़ायी जाय। आज उन अध्यापकों की जो आर्थिक अवस्था है वह बहुत गिरी हुई है । आज आप लेक्चरार्स का ग्रेड २५० से शुरू न करके ३०० से करते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसको आप रोक भी सकते हैं लेकिन जहां तक अल्प वेतन पाने वाले अध्यापकों का प्रश्न है, जो प्राइमरी स्कूलों में बेसिक स्कूलों में पढ़ाते हैं जिनको ५०-६०-८० रुपया तनख्वाह के मिलते हैं, उनकी तनख्वाह के बारे में भी सरकार को विचार करना चाहिये । जहां तक अल्पवेतन पाने वाले अध्यापकों का सवाल है उनके लिये कोई टाइम नहीं और दूसरी तरफ कॉलेज में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों के लिये जो दिन में दो-तीन पीरियड से ज्यादा नहीं पढ़ाते सप्ताह में जिनको पढ़ाने का एवरेज १२-१४ घंटे से ज्यादा नहीं होता उनकी तनख्वाओं के बारे में आपने निर्णय कर लिया लेकिन वे मास्टर्स जो सुबह को पढ़ाने जाते हैं शाम को घर लौटते हैं एक अध्यापक वाली स्कूलों में जहां सारे दिन उन लड़कों को पढ़ाने उनको खिलाने में उस अध्यापक का सारा दिन व्यतीत हो जाता है जिनके पास लड़कों की संख्या भी काफी होती है । उनको हम देश के भावी नागरिक बनाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं उन अध्यापकों के वेतन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अल्पवेतन पाने वाले अध्यापकों की जो आर्थिक अवस्था शोचनीय है उस पर विचार करें। आज यह शिक्षा का विभाग और खास तौर से जो बेकार व्यक्ति होते हैं जिनको कोई विभाग में स्थान नहीं मिलता वे किसी भी दृष्टि से क्वालिफाइड नहीं हैं ऐसे ऐसे लोग प्राइमरी स्कूलों में टीचर्स हैं। प्राइमरी स्कूल के टीचर होना वे बहुत निकृष्ट काम समझते हैं जिन अध्यापकों को कहीं काम नहीं मिलेगा वे व्यक्ति इस विभाग में जायेंगे। आज इन अध्यापकों का वेतन अच्छा नहीं वे अपनी उदरपूर्ति नहीं कर सकते। वैसी हालत में ऐसे अध्यापकों द्वारा शिक्षा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नीति को चला रहे हैं उसमें हमें किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि जहां शिक्षा के सम्बन्ध में जो आधार भूत नीति है मौलिक और बेसिक बात है वह है छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुचित विकास नहीं होगा तब तक शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे नागरिक निर्माण नहीं कर सकते और उन स्कूलों से निकलने वाले विद्यार्थियों से हम यह आशा नहीं रख सकते कि वे फर्स्ट डिवीजन में आये और स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त कर सके और आई० ए० एस० आदि सर्विसेज़ में आ सकें। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि हमें नींव को मजबूत करना चाहिये और वह नींव तभी पक्की हो सकती है जब कि हम इन स्कूलों में काम करने वाले अध्यापकों के वेतन स्तर को बढ़ावें। इस बारे में राज्य सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। बड़े बड़े अध्यापकों, प्रोफेसर्स और हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स के बारे में आप थोड़े दिनों के लिये विचार स्थगित भी कर दें तो भी कोई ज्यादा विचार नहीं होगा जिन लोगों के बारे में कोई सुनने वाला नहीं, जिनके बारे में विचार नहीं करते, जिनका एप्रोच नहीं आप उन पर गंभीरता से विचार करें।

इसके अलावा एक कटौती प्रस्ताव मैंने राष्ट्रीयकरण बोर्ड के बारे में रखा है मुझे यह जानकारी मिली है कि इस बोर्ड द्वारा कुछ कागज की खरीद्र की गई है। जो कागज बाजार में हर व्यक्ति को ७८ न. पै में मिलता है जो बाजार में हर व्यक्ति को ७८ न. पै. में मुहैया है मेरी समझ में नहीं आता वही कागज इस बोर्ड को १०५ न. पै. पर मुहैया होता है। इस कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में ज्यादा निवेदन नहीं करता हुआ केवल मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह रखा है। मैंने कागज के व्यापारियों से भी जानकारी की है और वह कागज़ बाजार में ७८ न. पै. पर उपलब्ध है। वही कागज यह बोर्ड १०५ न. पै. के हिसाब से खरीद रहा है। इससे अधिक मुझे इस सम्बंध में कुछ नहीं कहना है।

एक बात मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या ७२ से है जो विश्वविद्यालय के औचित्य के सम्बन्ध में विचार करने के हेतु रखा गया है। मेरा प्रस्ताव तो कुछ इस प्रकार का था कि कुछ अनियमिततायें, कुछ धान्धलियां दिखाई देती हैं उन सब को सदन के सामने रखूं और माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करूं। आज राजस्थान विश्वविद्यालय में जो दुर्भाग्य से राजस्थान मे केवल एक ही है अन्य राज्यों में कहीं अधिक है। यहां के एक विश्वविद्यालय की भी यह हालत है जो बहुत ही शोचनीय कही जा सकती है। इस प्रकार का कटौती प्रस्ताव न रखते हुए मुझे मजबूरी से उसमें कुछ संशोधन करना पड़ा, इस कारण से कि विश्वविद्यालय के बारे में हम बहस नहीं कर सकते इसलिये मैंने अपना मुद्दा मोड़ दिया। पर साथ ही मैंने यह निवेदन किया कि इतनी बड़ी ग्रान्ट हम उसे देते है उस रकम के अन्दर होने वाली इर्रेग्युलेरिटी में तो कम से कम हमें विचार करना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा

Page No.75

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि यह सवाल कोई इस प्रकार का नहीं है कि जिसमें कोई बाधा हो सके । वे चाहें तो इसके बाद और युनिवर्सिटी की एज्युकेशन और इसके बारे में इस प्रकार का विचार-विमर्श इस सदन में रखें । आखिर राजस्थान में एक युनिवर्सिटी है, सारी स्टेट की शिक्षा के स्तर को नियन्त्रण करने के विचार से और हमारी शिक्षा की सारी नीतियों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से और इस दृष्टि से कि इसमें से योग्य युवक शिक्षित होकर निकलें, हमारी योजनाओं की पूर्ति के लिये इसमें से हम आशा लगाये बैठे हैं कि योग्य व्यक्ति मिलेंगे । उस युनिवर्सिटी के बारे में यह बड़ी मज़ाक की बात है कि जब इसमें डिग्री-डिप्लोमा दिया जाता है तो उस वक्त प्रदान करने वाले महानुभाव घोषणा करते हैं कि:—

I hope the degree holders would prove worthy of the same." तो मुझे एक बार का ऐसा ही प्रसंग याद है । मैं ऐसे ही डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों के पीछे बैठा था । डिग्री लेने वाले कॉमर्स के विद्यार्थी थे और इस कारण से जब चेअर से यह कहा गया कि" I hope you would prove worthy of the same. तो उन्होंने यह कहा इन शब्दों के बजाय कि "you would prove worthy as typist. इससे पता लगता है कि लोगों की धारणाएं इनके प्रति क्या हैं ? आज डिप्लोमा लेने के बाद उस डिप्लोमा या डिग्री के अनुरूप जीवन के किसी रास्ते पर या मंजिल पर पहुँच सकेंगे और भावी विकास की योजनाओं में वे अपना योगदान दे सकेंगे और भावी विकास के साथ, उसकी प्रगति के साथ वे अपने चरण मिला सकेंगे, यह शकांशील है । आज इन स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले विद्यार्थी के आगे अन्धेरा रहता है । आज उसकी समझ में नहीं आता कि एज्युकेशन खत्म करने के बाद क्या करेगा वह ? एम. ए., एम. कॉम कर लेते हैं, एम. एस सी. कर लेते हैं पर फिर भी उनको नौकरी नहीं मिलती है, जीवन-यापन का कोई साधन नहीं मिलता है, बेकार रहते हैं ? सोचते हैं, चलो इससे काम नहीं बनता तो चलो एल. एल. बी. का कोर्स ही जोइन कर लिया जावे । इसके बाद जब वह वकालत के क्षेत्र में आता है तो वकालत चलती नहीं है । टैक्निकल एज्युकेशन पास में है नहीं । एम. एस सी. टाइप का काम भी नहीं सीखता है । ७०) की टाइपिस्ट की जोब भी नहीं मिलती । तो इसके बारे में विचार करना होगा कि युनिवर्सिटी के बारे में जो इसका रवैया है और जो इसके बारे में कई एक शिकायतें हमारे पास आती हैं उन पर क्या किया जाय ? मैं एक बात सदन में रक्खूं और यह कह कर कि युनिवर्सिटी से सम्बन्धित बातों पर विचार करना हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, ताल्लुक नहीं है हमारा, इस पर विचार न करें कि एक आदमी को यह युनिवर्सिटी पी. एच. डी. की डिग्री दे दे और फिर जांच करने और असल स्थिति सामने आने पर वह यह कह दे कि हम इसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं, शिक्षा मन्त्रीजी यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से दूर हो सकते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गलत पी एच. डी. की डिग्री देने से हमारा सम्बन्ध नहीं है सीधा, पर मैं निवेदन करता हूँ कि आखिर यह मामला क्या है ? आप उनसे पूछिये तो सही कि यह मामला क्या है ? आप पूछिये तो सही युनि-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वर्सिटी ऑथोरिटी से कि जो आदमी आपके रूल्स के मुताबिक, आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक क्वालिफाइड नहीं है, उसको पी एच. डी. की डिग्री दे दी जावे तो आखिर यह क्या है ? मैंने इसे सदन में पहले भी पढ़ कर सुनाया था। क्वालिफिकेशन है हाई स्कूल की और यूनिवर्सिटी से पी एच. डी. की डिग्री लिये बैठे हैं एक साहब।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order Please!! Can the Government intervene in the autonomous body you are suggesting.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जिस संस्था को हम लाखों–करोड़ों रुपया दें और उसका इस तरह दुरुपयोग हो तो कोई भी किसी प्रकार का नियन्त्रण हम नहीं रख सकते। ऐसे ऐसी गम्भीर इर्रेगुलेरिटी के बारे में तो फिर बहुत गम्भीरता के साथ सदन को यह सोचना पड़ेगा कि यह खर्चा भी करना उचित है या नहीं ? मैट्रीकुलेट को पी एच. डी. की डिग्री दे दी जाती है वह इस युनिवर्सिटी से जिसको वह स्वयं स्वीकार करती है। उसे इतनी बड़ी ग्रान्ट दी जाती है। लंगर नहीं खुला है यहां कोई। हमारा पैसा कोई फालतू नहीं पड़ा है। हम लोगों पर टैक्सेज़ लगाते हैं। एक एक पैसा हमारा टैक्सेज से आता है। जनता अपनी खून पसीने की कमाई आपको देती है, अपनी गाढ़ी कमाई में से जनता आपको टैक्स देती है और जनता की उस खून–पसीने की कमाई का जनता आपको टैक्स देती है और जनता की उस खून पसीने की कमाई का करोड़ों रुपया आप इस तरह से बर्बाद करने को दे देते हैं कि उस पर हमारा कोई नियन्त्रण ही नहीं रहे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): आपका मतलब किससे है ? किसको पी एच. डी. की डिग्री दी गई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मण्डन मिश्र को पी एच. डी. की डिग्री मिली। जिनकी क्वालिफिकेशन सदन में पढ़कर सुनाई गई। आपने स्वयं ने बताया।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बार बार यहां सदन में लाया गया है। न मालूम इसका कब अन्त होगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने उपाध्यक्ष महोदय, बहुत एवोइड किया है ऐसे आदमी का नाम भी यहां लेना। मैं उसका नाम भी यहां लेना पसन्द नहीं करता जो डरा–धमका कर, नोटिस देकर, दावा करने की धमकी देकर यूनिवर्सिटी से पी एच. डी. की डिग्री ले ले। मैंने मजबूरी जाहिर की। पर मुख्य मंत्री महोदय ने जब नाम पूछा तब मैंने बताया है। कि अब हम मजबूरी जाहिर करें कि हम युनिवर्सिटी के मामले में इन्टरफियर नहीं कर सकते। मंडन मिश्र के बारे में यह होने दिया। पर राजस्थान सरकार इसके बारे में युनिवर्सिटी को पूछना तक गवारा नहीं कर सकती। पर मैं राजस्थान सरकार और उसके शिक्षा मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि मैंने पसन्द नहीं किया उसका नाम लेना, पर एक दूसरा मामला उठ खड़ा हुआ। एक आपके प्रोफेसर हैं, उस प्रोफेसर के बारे में यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की गई। वे कोटा में एग्ज़ामिनेशन लेने गये। उन्होंने रिपोर्ट की कि उस समय मेरे पास लड़के आये और मुझको थरेटनिंग दी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं फिर से आपको निवेदन करूंगा कि जिस प्रश्न पर आपके कट मोशन को संशोधित किया गया है और जिस दृष्टिकोण से संशोधित किया गया है उसको परे रखकर फिर वही बात बहस में आप रख रहे हैं। मेरी व्यवस्था है कि आप उन प्रश्नों पर नहीं जावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन सा संशोधित ?

श्री उपाध्यक्ष : "धांधलीबाज़ी" आदि प्रसंग को संशोधित रूप दिया गया है। यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ओटोनोमस बोडी है, उसकी आन्तरिक स्थिति पर यहां बहस करना उचित नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : यूनिवर्सिटी को हम एक बड़ी ग्रान्ट देते हैं, उसके दुरुपयोग-सदुपयोग के विषय में तो चर्चा की जा सकती है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं कि ग्रान्ट दी जा रही है, उसके सदुपयोग-दुरुपयोग के एकेडेमिक साइड की चर्चा करें, यह ठीक नहीं है, जो कि उसके जुरिस्डिक्शन की बात है।

श्री भैरोंसिंह : "एकेडेमिक" को भी डिस्कस कर सकते हैं। जिस ग्रान्ट के लिए रेस्पोन्सिबिलिटी हमारी है उस ग्रान्ट पर बहस हो सकती है या नहीं यह अध्यक्ष की, चेयर से, हम व्यवस्था जानना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसके आन्तरिक व्यवस्था से सम्बन्धित शैक्षणिक अंग को आप विवाद में नहीं लावेंगे, मैंने इसी पर अपनी व्यवस्था दी है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय उसको समझ गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे समझ गये होंगे, पर हाउस नहीं समझा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं नहीं समझा।

श्री उपाध्यक्ष : यूनिवर्सिटी एक ओटोनोमस बोडी है, उसकी अपनी आन्तरिक व्यवस्था है और उस पर सरकार का नियन्त्रण नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य उसको आन्तरिक शासन व्यवस्था पर, जिसका सम्बन्ध शिक्षा से है, कोई प्रकाश नहीं डालेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस हुआ था पालियामेंट में।

श्री उपाध्यक्ष : No interruption Please. Yes, Mr. satishchandra will continue please.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस मैटर के बारे में कह रहा था उस सम्बन्ध में यूनिवर्सिटी ने जो एक्शन

Page No.78

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लया उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। पर उसमें राजस्थान सरकार जब बीच में आई और राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के मैटर में इन्टरफियरेन्स किया तो युनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कितना सवाल रहता है, यह सोचने की बात है। वह प्रोफेसर कोटा प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन लेने गया और इसके बाद लौट रहा था तो विद्यार्थियों ने और वहां के लोगों ने आगाह किया उनको कि विद्यार्थियों के नम्बर बढ़ाये जावें, वरना उनका मर्डर कर दिया जावेगा, मर्डर करने की धमकियां दी गई। धमकियों के मारे उसने वहां उनके नम्बर बढ़ा दिये। पर बाद में उस प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट की कि मुझको मर्डर करने की धमकी दी गई थी और इस प्रैशर में मैंने अपनी नम्बर शीट में जो नम्बर दिये थे उनको बढ़ा दिया है, मुझसे इस धमकी के प्रेशर में दूसरी मार्क-शीट बनवा ली है, पर यह हुआ है अन्डर कोअर्शन एन्ड थैट ऑफ मर्डर। इसलिए मेरी पहली मार्कशीट को सही माना जावे, दूसरी को नहीं। मैं इस सम्बन्ध में यह नहीं कहता। वहां यूनिवर्सिटी ऑथोरिटी के सामने जाकर उसने रिप्रेजेन्टेशन किया, जाकर सारी स्थिति का स्पष्ट विवेचन किया। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑथोरिटी किस प्रकार से किसमें कैसे इन्टेरेस्टेड है, कई स्टेज हैं इसकी, वह कुछ भी करना चाहे, करे, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता। लेकिन आपने जो आपका प्रोफेसर था, आपके कॉलिज में पढ़ाने वाला था। आपने किस आधार पर और किन ग्राउन्ड्स पर उस आदमी को सस्पेन्ड कर दिया ? एक आदमी प्रोफेसरी करता है, यूनिवर्सिटी की इर्रेगुलेरिटी के खिलाफ उसकी धांधली के खिलाफ कुछ कहता है पर वह उसी का शिकार हो जाता है। उसके प्रति मैं तो सोचता हूं आपकी सहानुभूति होगी, आपका वह प्रोफेसर है, आपके कॉलिज में वह पढ़ाता है। पर आप भी उसके साथ कोई सही बर्ताव नहीं करते माननीय मन्त्रीजी चाहें तो उसकी फाइल मंगाकर देख लें। प्रैशर एण्ड थ्रैट ऑफ मर्डर उसने जो किया वह उस में है, कागजात सब उसमें है। मुझे पता नहीं आपने उसे देखा भी है या नहीं ? न देखा हो तो आप मंगाकर देख सकते हैं। पर आपने बजाय उसके साथ सहानुभूति दिखाने के आपकी गवर्नमेंट ने आपने उसे सस्पेन्ड किया। इन्क्वायरी चल रही है साल भर होने आया। कोई बात नहीं। आपके नियम हैं कि एन्क्वायरी इन्स्टिट्यूट होने के बाद छः महीनों में डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी अधिक से अधिक खत्म हो जानी चाहिए। पर आज उसे साल भर होने आया। कोई खबर नहीं। डिपार्टमेंन्टल इन्क्वायरी को छोड़िये। आज आप चार्ज शीट नहीं दे रहे हैं उसको, फाइल नहीं बता रहे हैं। कोई उसकी सुनता नहीं। पर वह कहता है आज मैं सस्पेन्शन में हूं, मर जाता तो मेरे बाल-बच्चे भूखों मरते। यह हालत है आपके प्राध्यापकों की। यह रवैया है आपकी सरकार का उसके प्रति और यह तौर-तरीका है आपके काम करने का। यूनिवर्सिटी में इस तरह की चीजें होती हैं। आप यहां पर टैक्नि-कल पोइन्ट पर बोलने की इजाज़त न दें, आप इजाज़त दें या न दें, मैं इसके लिए आपका निर्णय शिरोधार्य करता हूं। पर माननीय सदस्य........

श्री पी.के.चौधरी (फुलेरा): On a point of information Sir. Grants of the

(श्री पी० के० चौधरी)

University are voted and not charged. So the Members can discuss it here Grants to the University are from the consolidated fund and so it can be discussed.

श्री उपाध्यक्ष : But the question... where is the qustion? That question is not before the House.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : There is a ruling.

श्री उपाध्यक्ष : My ruling is not pertaining to this.

श्री जनार्दनराय नागर : Can we not discuss the academic growth and progress in the State...

श्री उपाध्यक्ष : I will try to adjust my observations when you stand to speak. I can't envisage a question of anticipating any ruling. I will see whether it binds anybody.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष का जवाब बहुत स्पष्ट है कि पी एच० डी० की डिग्री किसको दी, किसको नहीं, यह चर्चा का विषय नहीं हो सकता।

श्री भैरोंसिंह : यूनीवर्सिटी को जो ग्रान्ट दी जाती है उसके उपयोग और दुरुपयोग के ऊपर चर्चा नहीं हो सकती क्या ?

एक माननीय सदस्य : रूलिंग नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था अधिक साफ नहीं है, तो आगे बहस होने पर अधिक क्लियर हो जायेगी। अभी जिस प्रसंग पर भाषण चल रहा था उस पर व्यवस्था दी है! There can be no guidance from the Chair.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार से आज राजस्थान सरकार के जो प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स हैं और युनीवर्सिटीज़ के साथ जो कुछ होता है, अगर केवल यूनीवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाये तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान गवर्नमेन्ट के पास जहां तक उस प्रोफेसर का ताल्लुक है उसके अगेन्स्ट न तो कोई इन्डिसिप्लीन का चार्ज है और न कोई और चार्ज है सिवाय इसके कि उसने उस मैटर को अवश्य रिप्रेजेन्ट किया और आपने इसी में उसको सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड सिर्फ इस आधार पर कर दिया कि यूनीवर्सिटी ने उसके खिलाफ आपको कम्पलेन्ट की। जब यूनीवर्सिटी से कोई बात आती है तो आप उसको कॉग्नीजेन्स देते हैं और जब हमारी ओर से कोई बात यूनीवर्सिटी के लिए आये तो आप उसको कॉग्नीजेन्स नहीं देते और यह कहते हैं कि यहां पर यह मामला नहीं उठाया जा सकता। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप उसका समर्थन इसलिए करते हैं, केवल इसलिए कि वह भारत सेवक समाज के मन्त्री हैं या इसलिए कि वह मन्त्रियों के घरों पर पढ़ाने जाते हैं ? मैं निवेदन करता हूं कि जब आप किसी इन्स्टीट्यूशन को ग्रान्ट देते हैं तो आप उसको ग्रान्ट दीजिए लेकिन एज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन में चलने वाली धांधली के बारे में अगर कोई शिकायत

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आपके पास आती है तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का पूरा कर्त्तव्य हो जाता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी करें और उसके बारे में यूनिवर्सिटी का एक्सप्लेनेशन ले। आखिर सदन यूनीवर्सिटी से ऊंचा है, यूनीवर्सिटी को पैदा करने वाला यह सदन है, यूनीवर्सिटी जो आज राजस्थान में विद्यमान है तो उसके लिए कानून बनाये इस सदन ने और वह सदन देखना चाहेगा कि वे इन्सटीट्यूशन्स जिनका कि पालन पोषण हम यथावत करना चाहते हैं उसमें किसी प्रकार की धांधलियां न हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरा कटौती का प्रस्ताव जो मैंने और रखा है वह कटौती का प्रस्ताव है वर्तमान शिक्षा प्रणाली के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बेकारी के कारण विद्यार्थियों में व्याप्त अनिश्चितता व ध्येयवादहीनता पर विचार करते हेतु। मैं समझता हूं कि जहां तक शिक्षा प्रणाली का सम्बन्ध है यह बहुत ही विवाद का सवाल है। देश के उच्च से उच्च कोटि के नेताओं ने यह कई बार विचार व्यक्त किये हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है और इस शिक्षा-प्रणाली को बदलना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वे यह कहते किससे हैं ? कौन बदले शिक्षा प्रणाली को ? जो स्वयं हुकूमत करने वाले हैं और जो स्वयं शासन चलाने वाले हैं और जो इतने ऊंचे-ऊंचे पदों पर काम करते वाले हैं और जिनके हाथों में देश की बागडोर है आज वह लोग विचार करते हैं कि शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहिए ? इससे यह साफ है कि या तो यह समझना चाहिए कि उनकी लाचारी है। वे महसूस करते हैं कि देश में जो आज बेकारी बढ़ रही है उसको किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता और इसीलिए वह शिक्षा प्रणाली को बदल कर और बेकारी नहीं बढ़ाना चाहते। एक ओर स्कूलें खुलती जा रही हैं, एक ओर "स्कूल चलो" अभियान का नारा चलाते हैं और गांव गांव में स्कूल खोलने की योजना बनाते हैं और लोगों को नारा देते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजो और जब एक अनपढ़ किसान अपने बच्चे-बच्चियों को स्कूल भेजता है तो सरकार की तरफ से उनको कहा जाता है कि तुम्हारे बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। तो फ्री एज्युकेशन की घोषणा राजस्थान सरकार ने की है और इसी के आधार पर राजस्थान के मंत्रियों के आश्वासन पर गांव का किसान जब अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है पढ़ने के लिए और जब पढ़ाई समाप्त करके वह मिडिल पास हो जाता है तो राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार मेट्रिक से कम पढ़े हुए लोगों को नौकरी नहीं मिलती और जब उसे नौकरी नहीं मिलती तो वह किसान सोचता है कि अब बच्चे को मैट्रिक पास कराना चाहिए और मैट्रिक की पढ़ाई करने के बाद में वह लड़का जब देखता है कि वह ५० रुपये की मास्टरी या टाइप का काम कर सकता है और इससे ज्यादा अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो वह हताश हो जाता है वह भी उसे नहीं मिलती। लेकिन उस किसान ने जिसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी औरत के गहने बेचे और जो दूसरों के यहां नौकर रहा, खेत पर काम किया उसने सपने देखे थे कि उसका बच्चा भी आपकी तरह मोटरों में घूमेगा, तहसील-दार या एस० डी० ओ० बनेगा, इसलिए वह सोचता है कि चलो मैट्रिक के आगे और पढ़ाना चाहिए। आपने कहा है कि पढ़ाई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और वह कॉलेज में चला जाता है और जिस किसान के पास पैसा नहीं है, जिसके पास पूरे साधन नहीं है वह अपने बच्चे को पढ़ाने के बाद सोचता था और सुनहरा सपना देखता था कि उसको नौकरी मिलेगी राजस्थान के सेक्रेटेरियट में, सुखाड़िया के राज्य में और जिधर जाता है उधर ही उसको 'नो वेकेन्सी' का बोर्ड नज़र आता है तो उसको बड़ी निराशा होती है। इधर जब वह हमारे वित्त मंत्री महोदय का भाषण देखता है तो मालूम होता है कि ५ पर्सेन्ट की कटौती कर्मचारियों में होगी तो आज सन् १९६० में पास करने वाला विद्यार्थी सोचता है कि मेरे लिए तो सरकारी नौकरी के दरवाजे बन्द हैं। तो वह किसान का बच्चा जो कि बहुत आशा से पढ़ रहा था, अपना सर नहीं धुनेगा तो और क्या करेगा? आज प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि, "आराम हराम है लेकिन सवाल यह है कि आराम कौन करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता देश का कोई भी नवयुवक काम से पीछे नहीं हटता है लेकिन सही स्थिति तो आज यह है कि हमारी सरकार उनको काम नहीं दे सकती। हमारी शिक्षा की प्रणाली ही ऐसी है कि जिसमें से निकलने वाले व्यक्ति या तो टाइपिस्ट हो सकते हैं या मास्टर हो सकते हैं। इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है और उससे जो निकलने वाले विद्यार्थी हैं उनके जीवन में आज अंधकार है। उनको नहीं मालूम कि हम कहां जायेंगे, क्या करेंगे, उसको कोई मार्गदर्शन दिखाई नहीं देता। मुझे तो कोई उदाहरण नज़र नहीं आता कि जिस दृष्टि से राजस्थान कॉलेज का निर्माण किया था कि वहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थी शायद जीवन का मार्गदर्शन ग्रहण कर सकेंगे लेकिन मुझे तो यह दिखाई देता है और मुझे तो कोई उदाहरण सामने नहीं दिखाई देता कि राजस्थान कॉलेज में पढ़ने वाले दूसरे कॉलेज के मुकाबले में आर० ए० एस० या आई० ए० एस० या दूसरी सर्विसेज़ में हिन्दुस्तान में किसी ने नाम कमाया हो। ये आंकड़े कम से कम आज सदन के सामने नहीं हैं। हमने एक एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर इन्स्टिट्यूशन खोला था और उसके द्वारा हम विद्यार्थियों का निर्माण नहीं कर सके। यही कारण है कि चाहे हमारे राजस्थान में विकास की योजनायें बन रही होंगी, चाहे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के गीत गाये जा रहे होंगे, चाहे अखबारों में प्रचार हो रहा होगा, पर जो विद्यार्थी पढ़कर निकल रहे हैं उनके जीवन में गहरा असंतोष है। उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता कि क्या करें। आज विद्यार्थी २५ साल के हो गए और उनसे कहा जाये कि आप शादी क्यों नहीं करते तो कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता। अगले को खाने के लिए ही नहीं है तो शादी करके क्या करेगा? जिसके जीवन में कोई ध्येयवाद-हीनता हो, जीवन का लक्ष्य नहीं हो, इस प्रकार के नवयुवक हमारे देश में होंगे तो मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि जिस योजना के ऊपर हम इतना रुपया खर्च कर रहे हैं और जिस राज्य को हम कल्याणकारी राज्य बनाना चाहते हैं वह एक कल्याणकारी राज्य नहीं होगा। ऐसा लगता है कि राजस्थान की १॥ करोड़ जनता का कल्याण एक दिन में हो जायेगा! इसलिए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मैंने इन कटौती प्रस्तावों के द्वारा सदन और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो ये कटौती प्रस्ताव मैंने रखे हैं उन पर गम्भीरता और सहानुभूति से विचार करें और अंत में सदन से निवेदन करूंगा कि वे कटौती के प्रस्तावों को स्वीकार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। एक तो जो कटौती प्रस्ताव है वह बीकानेर में जो अनिवार्य पाठशालाओं की स्थिति है उस पर विचार करने के लिए रखा है। बीकानेर में जो अनिवार्य पाठशालाएं चल रही हैं क्योंकि बीकानेर राज्य के समय में एक कम्पलसरी एजूकेशन एक्ट बना था, उसके मातहत बीकानेर के अन्दर अनिवार्य पाठशालाओं का संचालन होता था और वह आज तक भी जहां तक कि कानून का सवाल है वह उस कानून के अन्तर्गत वहां व्यवस्था है, परन्तु उस कानून के अन्तर्गत वहां पर काम नहीं होता है। जब एक कानून बनाया जाता है और जब तक उस कानून को दूर नहीं करते हैं तब तक वहां का काम उसी प्रकार से उस कानून के अन्तर्गत चलना चाहिए। बाकायदा एक बोर्ड बनना चाहिए और उस बोर्ड को देखते हैं तो उसके अन्तर्गत सारी पाठशालाओं की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने इस संबंध में पहले भी एक दो प्रश्न इस प्रकार के रखे थे और माननीय शिक्षा, उपमंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित भी किया था और उन्होंने उस समय यह आश्वासन भी दिया था कि इस संबन्ध में हम छान बीन करेंगे कि आखिर कोई बोर्ड है या नहीं, कोई इस प्रकार का अनिवार्य शिक्षा का एक्ट बीकानेर स्टेट के समय का बना हुआ है या नहीं, इस संबंध में जानकारी करेंगे। मैं समझता हूं कि उन्होंने जानकारी की होगी।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि बीकानेर के अन्दर जितनी भी इस प्रकार की अनिवार्य पाठशालाएं हैं उनकी स्थिति बड़ी ही दयनीय है। राजस्थान सरकार ने जहां तक प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के ग्रेड्स का सवाल है उन शिक्षकों के ग्रेड्स कुछ ऊंचे किये हैं और जहां तक नीति का सवाल है यह मान्य भी किया गया है कि यह जो ग्रेड्स हैं ये राजस्थान में कहीं पर भी इस प्रकार की अनिवार्य पाठशालायें हैं, कम्पलसरी स्कूल्स हैं, या प्राइमरी स्कूल्स हैं उन सब पर लागू होंगे, बल्कि एक साथ लगेंगे, परन्तु आज इतना लम्बा समय हो जाने के बाद भी बीकानेर शहर में जो वहां ३०-४० अनिवार्य पाठशालाएं हैं न वहां पर कोई कानून के अन्तर्गत काम चलता है, और उसके साथ साथ जो ग्रेड्स मिलने चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वे भी आज नहीं मिल रही हैं। इसके साथ ही साथ इस ओर राजस्थान सरकार का ख्याल नहीं होने की वजह से, क्योंकि उन्होंने यह सोच रखा था कि बीकानेर शहर में अनिवार्य पाठशालाओं का काम करने वाला बोर्ड है, उसकी अलग व्यवस्था है, हमारा लेना देना नहीं है, म्युनिसिपैलिटी का जो कुछ भी खर्चा होता है गवर्नमेंट उसका अपनी तरफ से ७५ पर्सेन्ट ग्रान्ट दे देती है और दूसरा खर्चा म्युनिसिपैलिटी अपनी तरफ

(श्री मुरलीधर व्यास)

से लगाती है। म्युनिसिपैलिटी के शिक्षकों ने कई दफा मुख्य मंत्री महोदय के पास, शिक्षा विभाग के पास में यहां तक कि सारे राजस्थान के शिक्षक संघ ने जो वहां की दयनीय स्थिति है उसको कई दफा उनके सामने रखा है कि वहां के शिक्षकों की अवस्था ठीक करने के लिए सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए और यहां तक कि नगरपालिका ने, मैं समझता हूं, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति हुई और वह ठीक तरह से संचालित नहीं कर सकी तो नगरपालिका ने एक प्रस्ताव के रूप में यह भेजा कि चूंकि वे वह ग्रेड्स और सुविधाएं नहीं दे सकती है, ऐसी हालत में सरकार खुद अपने हाथ में यह काम ले। अब सवाल यह है कि सरकार ले या नहीं ? जहां तक शिक्षकों का सवाल है और राजस्थान सरकार का सवाल है उनका दृष्टिकोण सब के लिए एक सा है। जब एक सा है तो स्वाभाविक है कि जो सुविधा सारे राजस्थान के शिक्षकों को देते हैं वे सुविधाएं उनको भी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती हैं तो एक तरफ तो हम घोषणा कर देते हैं और दूसरी तरफ वे लोग इस प्रकार की सारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं तो मैं समझता हूं कि उन शिक्षकों के बारे में एक अन्याय है और इसके साथ ही साथ जो शिक्षा की खास चीज़ हम करना चाहते हैं उसको बहुत गहराई के साथ में देखना चाहिए। आज बीकानेर शहर में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के बारे में, प्राइमरी स्कूल्स के बारे में, उनके साधनों के बारे में, मैं समझता हूँ कि राजस्थान के शिक्षा विभाग की पूरी उपेक्षा रही है। उसके लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है और आज उनकी हालत बराबर दयनीय होती जा रही है। बालक तो सब जगह एक से हैं, तो फिर वहां के बच्चे क्यों इस प्रकार से रहें ? उनको सुविधाएं देने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया है ? आज बालकों की हालत आप देखेंगे तो वहां प्राइमरी स्कूलों के बालकों को कड़ी से कड़ी सर्दी में मामूली पट्टी बिछाने को नहीं मिलती है। छोटे बच्चों के नाक में से सेड़ा (मैला) बहता रहता है। इस प्रकार की वहां की हालत है। कोई जाकर उसका निरीक्षण नहीं करता है। वहां पर स्कूलों के बच्चों के बैठने के लिए चटाई भी नहीं है, दूसरे साधन तो अलग रहे, जब कि आज हमने बहुत विकास कर लिया है। बैठने को चटाई भी नहीं है, पढ़ने के दूसरे साधन नहीं है। इस प्रकार की वहां की हालत है। आज जब बच्चों का सवाल आता है तो बच्चे राजस्थान के किसी भी घर में पैदा हुए हों, जो सुविधा राजस्थान सरकार एक स्थान पर बच्चों को देना चाहती है वह सब स्थानों पर मिलनी चाहिए। जो सुविधा राजस्थान के दूसरे स्थानों के बच्चों को मिलती है वह वहां के बच्चों को इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है। शिक्षकों को इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, इसका कारण क्या है ? जहां तक इस मामले का सवाल है मैं कह सकता हूं कि वहां की उपेक्षा है और उपेक्षा के साथ साथ पक्षपात भी है। पक्षपात की जब बात करता हूं तब राजस्थान के शिक्षा मंत्री इस बात को कहेंगे कि बार बार बीकानेर के सवाल को लेकर उपेक्षा की बात करते हैं और आंकड़े गलत बता देते हैं। मैं अभी यह जो किताब है" Education in the districts of Rajasthan. इसके अन्दर जो आंकड़े दिये हैं उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि वे किस प्रकार के हैं ? किस प्रकार से यहां की प्राइमरी स्कूल्स के अन्दर जहां बच्चों का

(श्री मुरलीधर व्यास)

सवाल है वहां किस किस प्रकार से कितना खर्चा होता है और जब उदयपुर का सवाल सामने आया तो किताब सामने रखी । मैं समझता हूं मुख्य मंत्रीजी के सामने भी किताब रखी होगी, वे अगर उसमें देखेंगे तो मालूम होगा कि जहां तक इसमें डाइरेक्ट एक्सपेन्डिचर ५८ के आंकड़े दिये हैं उसी प्रकार से दूसरे भी दिये हैं। अब इसमें जो खर्चा दिया है वह बीकानेर में ३४००० है और उदयपुर में १ लाख ४७ हजार ६०० है। यह स्टेट का खर्चा है और इसके अतिरिक्त सेन्टरल गवर्नमेन्ट का और है, वह भी दिया है ३८,७२,६००....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : डिस्ट्रिक्ट का है ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह भी बेसिक का है। इसके अतिरिक्त लड़कियों का अलग है। लड़कियों के प्राइमरी एज्युकेशन का लें

श्री मोतीलाल चौधरी : बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की पोपुलेशन ३ लाख है और उदयपुर की पोपुलेशन १२ लाख है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस हिसाब से ले लें तो भी लड़कियों का जहां तक सवाल है ऐसा मालूम होता है कि कोई स्कूल नहीं है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूँ कि बीकानेर शहर में गवर्नमेन्ट की तरफ से लड़कियों के दो हाई स्कूल हैं और उदयपुर में सिर्फ एक लड़कियों का हाई स्कूल है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं प्राइमरी स्कूल की चर्चा कर रहा हूं और इसके आंकड़े चाहता हूं, यह इस प्रकार है जुनियर बेसिस पर। दूसरा खर्चा और है वह उदयपुर के अंदर २,८०,००० अलग है फिर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का अलग हैं....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : महाराणा प्रताप के साथ उदयपुरवाले लड़े हैं और सदियों तक लड़े है।....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि उदयपुर वाले लड़ेगें तो दूसरे भी लड़ सकते हैं लेकिन इसमें लड़ाई का सवाल नहीं है। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी के लिये उदयपुर के बच्चे और बीकानेर के बच्चे अलग अलग नहीं हो सकते। यदि यह दृष्टिकोण है तो उचित नहीं है।

इसी प्रकार से पेज ७६ के अंदर देखिये। इसमें भी डाइरेक्ट एक्सपेन्डिचर एंड गवर्नमेन्ट शेअर, वह भी देख लीजिये। जहां तक उदयपुर का सवाल है स्टेट गवर्नमेन्ट की ओर से इसमें कुल मिलाकर ४ लाख का खर्चा है (३,६६,३३६), अब इस प्रकार से बीकानेर में ....

श्री मोतीलाल चौधरी : २ लाख जन संख्या पर है तो, वह कितना होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : १ लाख ३६ हजार मानलें....

श्री पूनमचंद बिश्नोई (उपमन्त्री, शिक्षा) : इससे तो बहुतसी शंकाएं दूर हो जायंगी।

Page No.85

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आप आंकड़े बता रहे हैं, फिर मुझे स्पष्टी करण करना होगा तो जो आंकड़े दिये हैं उनसे और स्पष्ट हो जायगा ।

श्री मुरलीधर व्यास : जो आंकड़े हैं उनको खुले में रख रहा हूं। लड़कियों के लिये देखिये पेज ८० पर और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का खर्चा अलग है। आखिर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट खर्चा देती है तो वह राजस्थान के सभी इलाकों में लगना चाहिए। वह सिर्फ दो-तीन इलाकों में लगता है और बाकी को यों ही छोड देते हैं ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : पेज ४ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेन्ट्स देखेंगे तो मालूम होगा कि अजमेर में ८८००० स्टूडेन्ट्स हैं, उदयपुर में ६२,००० है और बीकानेर में सिर्फ २८,००० हैं। इस हिसाब से उदयपुर दूसरे नंबर पर है और बीकानेर बहुत नीचे कहीं बीसवें नम्बर जाकर है ।

श्री मुरलीधर व्यास : वही मैं कह रहा हूं प्राइमरी एज्युकेशन के हिसाब से आप छोड़ दीजिये....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टोटल फिगर्स पेज ४ पर हैं। बीकानेर में २८,००० टडेन्ट्स हैं और उदयपुर में ६२००० हैं व अजमेर में ८०,००० हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सेन्टर का अलग है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह सवाल प्राइमरी स्कूल्स और बीकानेर की अनिवार्य पाठशालाओं का है। वहां पर यह देखिये कि टीचर्स की क्या हालत है और उनके क्या ग्रेड्स हैं, उनको क्या सुविधा हैं। आपने घोषणा की कि जो सुविधाएं प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को दी हैं वे ही सुविधाएं और वेतन समान रूप से वहां भी लागू होने चाहिये। ये नगरपालिका के हाथ में हो या और किसी के हाथ में हों गवर्नमेन्ट की वहां भी समान रूप से लागू करना चाहिये था जब कि आपका अनिवार्य शिक्षा का एक्ट बना तो वहां भी लागू होना चाहिये था। वहां पर वही पुरानी ३० रु० वाली ग्रेड चल रही है। जब हमने ग्रेड में परिवर्तन किया है तो वहां पर क्यों नहीं हुआ ? मैं खास करके आप का ध्यान बीकानेर की प्राइमरी स्कूल्स की कंडीशन और बिल्डिंग और ग्रेड्स के बारे में दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपका ध्यान इस ओर नहीं खिंचता, हालांकि राजस्थान का शिक्षक संघ आपका ध्यान बराबर खींच रहा है। नगरपालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन बेचारे शिक्षकों ने क्या बिगाड़ा है ? ये सुविधाएं उनको भी देनी चाहिये थीं। मंत्रीजी से जब भी बात करने का मौका आया तब उन्होंने कहा कि शिक्षकों के वेतन का जहां तक सवाल है हम उन पर भी बराबर लागू करेंगे। यदि नगरपालिका लागू नहीं करती हैं तो सरकार को चाहिये कि अपने हाथ में ले लें ताकि वहां भी बालकों का विकास हो सके और शिक्षकों को भी समान सुविधाएं और साधन मिल सकें। शहर के स्कूल में साधन और सुविधाएं नहीं देंगे तो बेसिक एज्युकेशन कैसे चलेगी ? बेसिक एज्युकेशन में सरकार को साधन देने पड़ते हैं, तभी उसका विकास कर सकते हैं। वाकई अगर बेसिक शिक्षा देना चाहते हैं तो उसे नाममात्र के लिये ही नहीं चलने दी जाय। ऐसी स्थिति न रह जाय इसलिये मंत्रीजी इस पर गंभीरता से सोचे और निर्णय लें।

(श्री मुरलीधर व्यास)

दूसरा मेरा जो कटौती प्रस्ताव था वह खास करके कॉलेजेज़ के प्रोफेसर्स और हैड ऑफ दि डिपार्टमेन्ट्स को जो सहूलियतें और प्रमोशन देने का सवाल है उससे संबंधित है। इस संबंध में मैंने प्रश्न भी पूछे थे जिनके उत्तर में मंत्रीजी ने कहा था कि यदि इस प्रकार का कोई केस होगा तो उस पर विचार करेंगे। लेकिन इसके बारे में क्योंकि हैड ऑफ दि डिपार्टमेन्ट की पोस्ट ही गवर्नमेन्ट ने ऐबोलिश करदी है तो मैं उसकी गहराई में इतना नहीं जाना चाहता, पर इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक सीनियोरिटी का सवाल है एक बड़ी समस्या हमारे सामने है और वह यह है कि कॉलेज में ही नहीं बल्कि हाई स्कूल में और हायर सैकन्डरी में या दूसरे विभाग में जो आदमी एम० ए० हैं सैकेन्ड या फर्स्ट क्लास हैं और सीनियर हैं, लेक्चरार बनने योग्य हैं तो उनको भी लेक्चरार बनने का मौका मिलना चाहिये। वे लोग अब तक तो हाई स्कूल में बैठे थे लेकिन आपने जब सुविधा दी, लेक्चरार्स का ग्रेड बढ़ा दिया तो हाई स्कूल में बैठे हुए अध्यापक सोचते हैं कि लेक्चरार का ग्रेड बहुत ऊंचा है और हमारा ग्रेड काफी नीचा है और जहां तक सीनियोरिटी या क्वालिफिकेशन का सवाल है हम भी उनसे कम नहीं हैं तो हमें भी मौका क्यों नहीं मिलता ? मैं समझता हूं इस बारे में सरकार को एक निश्चित नीति बनानी चाहिये और वह यह होनी चाहिये कि हाई स्कूल में जो अध्यापक काम कर रहे हैं और क्वालिफाइड हैं और वे चाहते हैं कि हमें मौका मिले, उन लोगों को मौका देने का सवाल है, तो उनकी सीनियोरिटी का ख्याल करना चाहिए। अगर ख्याल नहीं करोगे तो जो लोग हाई स्कूल में बैठे हैं वे सोचेंगे कि ठीक बात है, हमारे लिए चान्स नहीं है, इस सर्विस को छोड़ो और दूसरी तरफ चलो और जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, वे देखते हैं कि आपने इस प्रकार की ग्रेड कर दी प्रोफेसर्स की, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के लोग हैं वे चाहते हैं कि उस तरफ चला जाय। यह परिस्थिति बनी है, इसको काबू करना पड़ेगा। इसकी तरफ सरकार ध्यान नहीं देगी तो यह होगा कि आपने यह कह कर कि कॉलेजेज में अच्छे लेक्चरार्स नहीं आते हैं, जो काम कर रहे हैं वे बाहर न चले जायं, उनको हमारे यहां रहना चाहिए, इसलिये ग्रेड को रिवाइज़ कर दिया ताकि अच्छे आदमी रह सकें। आपने यह चीज़ तो लागू कर दी, लेकिन जो हाई स्कूल के टीचर्स हैं, उनको यह सुविधा नहीं मिलेगी, तो वे निराश होंगे। तो मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में जो आज परिस्थिति बनी है, उस पर माननीय शिक्षा मन्त्रीजी ध्यान देंगे और उनके लिये क्या व्यवस्था कर सकते हैं, उस सम्बन्ध में विचार करेंगे। ये मेरे कटौती के प्रस्ताव हैं।

(३.१ म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५ पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। वैसे तो राजस्थान के बजट में जो शिक्षा विभाग का आनुमानिक आय व्ययक है, उसको देखते हुए हमें गौरव का अनुभव होता है कि हमारा राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। मैं तो शिक्षा

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

मन्त्री को इसके लिए बधाई देती हूं क्योंकि जो टार्गेट्स पिछले वर्ष प्राइमरी स्कूल्स के थे, उससे बहुत कुछ आगे गये हैं और हमने अपने टार्गेट्स को पूरा करके एक आदर्श कायम किया है। हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रान्त कहलाता है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूँ, आपके द्वारा, कि जो पुराने हमारे हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी तरफ तवज्जोह देना बहुत ही जरूरी है। जिस जिले से मैं आती हूं, उस जिले में और जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, उस क्षेत्र के अन्दर, यानी १ लाख २० हज़ार की आबादी में एक हाई स्कूल पड़ता है। उसकी स्थापना १९५३ में हुई थी लेकिन उसकी बिल्डिंग बराबर अधूरी चली आ रही है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मालाखेड़ा की बात है ?

श्रीमती गंगादेवी डाटा : जी नहीं, रामगढ़ हाई स्कूल की बिल्डिंग की बात है। वह बिल्डिंग बहुत अपर्याप्त है। वहां के बच्चों की संख्या को देखते हुए, यूनीवर्सिटी ने लिखा-पढ़ी की है कि या तो हाई स्कूल को भंग कर देंगे, या बिल्डिंग पूरी की जाय। यह सोचने की बात है, एक तरफ नये नये काम करते हैं और दूसरी तरफ पुराने काम पूरे नहीं होते हैं। इसके लिये जरूरी है कि इस तरफ तवज्जह दी जाय। वैसे तो पंचायत ने भी और डेवलपमेंट कमेटी ने भी रकम दी है, तब भी शिक्षा विभाग को भी तवज्जोह देनी चाहिए और जो रकम स्कूल्स के लिये देने की है, उसमें उसका नम्बर भी आना चाहिये। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने दो साल पहले उसके लिए रिकमन्डेशन की थी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जो प्राइमरी स्कूल इतने बड़े पैमाने पर खोले हैं, उन प्राइमरी स्कूल्स में, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, कि लड़कियों के लिये प्राइमरी स्कूल हमारे जिले में नहीं खोला गया है, सारे राजस्थान की बात तो मैं नहीं जानती। यह बहुत जरूरी है, जब एक तरफ समान अधिकार मिला है और दूसरी तरफ शिक्षा में बराबर प्रगति नहीं कर पायें, तो समान अधिकार कहां तक पूरा हो पायगा, और किस तरह चलेगा? प्राइमरी स्कूल के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात की ओर तवज्जोह दिलाना चाहती हूं कि हमारा जो महिला-समाज है, वह और प्रान्तों से पिछड़ा हुआ है क्योंकि पर्दे की प्रथा जो है वह हमारे राजस्थान में कुछ अधिक है। बहुत से घरवाले, बहुत से परिवार, लड़कियों को पढ़ाना अब भी अच्छा नहीं समझते। कुछ ऐसा दृष्टिकोण उनका है कि लड़कियां पढ़ कर बजाय कुछ सुयोग्य बनने के, कुछ बिगड़ जाती है। ऐसे कुछ पुराने ख्यालात हैं, लेकिन तब भी बहुत तरक्की हुई है, इससे तो कोई इन्कार नहीं कर सकता कि प्रान्त में लड़कियों की शिक्षा में तरक्की हुई है। लेकिन तब भी सब कुछ मिला कर उनकी तरफ और तवज्जोह देनी पड़ेगी और प्रगति करनी पड़ेगी। इस तरह अब भी हमारे यहां जो कॉलेज चल रहा है, उसमें लड़कियों की सख्या ८०,६० के बीच में है, यह ज्यादा है, जब कि बहुत से परिवार लड़कों के साथ लड़कियों को पढ़ाने में हिचकते हैं और

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

बहुत कम पढ़ाते हैं, तब भी उनकी यह संख्या है। यदि वहां डिग्री कॉलेज़ हो जाय, तो मैं समझती हूं कि लड़कियों के सामने जो दिक्कतें हैं, वे सरल हो जायंगी। मेरा नम्र निवेदन है शिक्षा मन्त्री महोदय से कि जो लड़कियों के स्कूल्स की मांग है, वह आवश्यक है, उस पर गम्भीरता से विचार करके यह सुविधा देने की कृपा करें।

तीसरे, मैं मालाखेड़ा के बारे में निवेदन कर दूं कि वहां एक मिडिल स्कूल है, वह २८ साल पुराना मिडिल स्कूल है। जब शिक्षा पर आप इतनी रकम खर्च करते हैं तो उसको हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तित कर दें। मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहती हूं कि मुख्य मन्त्री जी इस ओर ध्यान दें। यह जो कस्बा है, शायद हमारी डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा कस्बा है तथा जो साधन बिल्डिंग आदि के होने चाहिए वे कम्प्लीट हैं, वह पूरी हो चुकी है। फिर कोई ऐसी बात नहीं। इसके साथ ही एक या डेढ़ साल पहले की इन्सपेक्टर की रिपोर्ट है कि यह हायर सैकन्डरी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दूसरे, वहां की जो पंचायत है, वह भी करीब १० हजार केश देने को तैयार है। जब गांव वालों की हायर सैकन्डरी स्कूल बनाने की बहुत इच्छा है और उनकी बहुत अपील है, तो मैं उनकी तरफ से बहुत नम्रता से निवेदन कर रही हूँ कि हायर सैकन्डरी स्कूल वह हो जाय क्योंकि जो कोई दिक्कतें नियमानुसार शिक्षा विभाग की हैं, वे नहीं पाई जायेंगी वहां। इसलिए मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री से नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि इस पर ध्यान दें और शीघ्र ही कदम उठायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ११ कटौती के प्रस्ताव हैं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : १२ नहीं करें।

श्री पी.के. चौधरी : २४, २५, ४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ६८, ६९, ७९ व ८०.

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : कितनी देर बोलेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : And 81.

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा: वह भूल गये।

श्री पी.के. चौधरी : And 81 also. 12 in all. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे पहला कट मोशन नम्बर २४ है, उस पर मैं बोलूंगा। जो कट मोशन सर्कुलेट हुआ है, उसमें केवल सैकन्डरी स्कूल का लिखा है। मेरा कट मोशन था, for secondary schools and primary schools both.

श्री उपाध्यक्ष : एक स्पेशल ऑब्जेक्ट को लिया गया है।

श्री पी.के. चौधरी : Revision of pay scales of teachers of secondary and primary schools.

श्री उपाध्यक्ष : एक ऑब्जेक्ट लिया है। आपका संशोधित रूप से कट मोशन है, वह है। Only one object has been taken and it has been amended accordingly.

श्री पी. के. चौधरी : दो ऑब्जेक्टस एक साथ नहीं लिये जा सकते। उपाध्यक्ष महोदय, इस साल का गवर्नमेंट का जो सैकन्डरी स्कूल का जो बजट है, उसमें पिछली साल से इस साल सिर्फ ७ पर्सेन्ट इन्क्रीज़ है, पिछली साल लगभग ३, ०४, ४५, ००० का रिवाइज्ड बजट था। नेक्स्ट इअर ३, २६, ६६, ००० का बजट है। तो लगभग ७ पर्सेन्ट इन्क्रीज़ है, जब कि यूनीवर्सिटी के बजट में २४ पर्सेन्ट की इन्क्रीज़ है। हमने इसको वैलकम किया है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो यूनीवर्सिटी टीचर्स के पे स्केल्स को रिवाइज़ किया है, यह उससे सम्बन्ध रखता है। जब यूनीवर्सिटी टीचर्स के ग्रेड रिवाइज़ हुए हैं, उस टाइम पर सैकेन्डरी स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स के पे स्केल्स को रिवाइज़ कर लेती है। जहां तक हमारे एज्यूकेशन सिस्टम का ताल्लुक है, मेरे खयाल में सबसे वीकेस्ट लिंक हमारे स्कूल्स हैं, प्राइमरी एण्ड सैकेन्डरी बोथ। मैंने कट मोशन इसलिये रखा है कि मैं शिक्षा मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सैकन्डरी एज्यूकेशन को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आज हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये, हमारा एज्यूकेशन सिस्टम है, उसमें दिक्कत आती है। स्टुडेन्ट्स-डिसिप्लिन इस बात पर डिपेन्ड करता है कि टीचर्स में लीडरशिप है कि नहीं। तो टीचर्स में करेक्ट लीडरशिप पैदा करने के लिये उनको सोशियल स्टेटस दिया जाय, सोशियल स्टेटस पे वगैरह से होता है। आज की सोसाइटी में स्टेटस, it is wholey based on economy. तो आज के समाज में स्टेटस, बिल्कुल इकोनोमिक पर चलता है। जिसकी इकोनोकिम कन्डीशन्स ज्यादा अच्छी हैं, उसका आज के समाज में सोशियल स्टेटस ऊंचा रहता है, that is a fact. जो एज्यूकेशन में अच्छे लोगों को एट्रेक्ट करना है तो जिस तरह यूनिवर्सिटी के लिये किया है उसी तरह स्कूलों के टीचर्स के लिये भी पे स्केल अच्छे करके उनके स्टेटस को बढ़ाना चाहिये। यह मेरी ही नहीं, सब एक्सपर्ट्स की राय है। यूनाइटेड स्टेटस ऑफ रशिया में भी हम देखते हैं कि वहां गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का डेलिगेशन गया था, उसकी रिपोर्ट है। वहां पर देखा कि टीचर्स की मिनिमम पे ४५० रुबल है, जो ५४० रुपया के करीब होता है; One rouble is equal to 1. 2 rupees. मिनिमम ४५० रुबल है, वहां का डाइरेक्टर है उसको ११ हजार रुबल पे मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि in every place टीचिंग प्रोफेशन में जो लोग हैं उनको यह दिया जाता है, खास करके सोवियत यूनियन में जहां शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, वहां टीचिंग प्रोफेशन में दूसरे लोगों से ज्यादा तनख्वाह है। जहां तक टीचर्स के सोशियल स्टेटस को बढ़ाने और उनको अच्छी पे देने का सवाल है, मैं मुदालियर रिपोर्ट की तरफ मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर भी इनकी स्टेटस को बढ़ाने के लिये सेलेरी बढ़ाने की सिफारिश की है। जो मैट्रिक्युलेट अनट्रेन्ड टीचर्स हैं उनको ५० से ८० का ग्रेड दिया जाता है जब कि टीचिंग प्रोफेशन के अलावा और किसी भी दूसरी जगह मैट्रिक्युलेट को ६० से १२० का ग्रेड दिया जाता है। यह डिस्टिंक्शन आप करते हैं, यह ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इस तरफ यह किया जाय कि दूसरी सर्विसेज़ में इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन्स के लोगों को जो ग्रेड दिया जाता है वही तनख्वाह, वही ग्रेड टीचर्स को भी दिया जाय। इस सम्बन्ध में मैं विस्तार से न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं।

(श्री पी० के० चौधरी)

इस सम्बन्ध में मैं मुख्य मंत्री का ध्यान प्राइम मिनिस्टर के एक लेटर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल दी स्टेटस को २८ अगस्त, १९५४, को एड्रेस किया था, उसमें लिखा है........

श्री बिश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : यह आपके हाथ में कहां से पड़ गया ?

श्री पी. के. चौधरी : It has been published by the Government of India. You can get it in ' Letters on Discipline ' written by Humayun Kabir. इसमें लेटर का क्वोटेशन है, इसमें उन्होंने कहा है :

" I am sure that you will agree that we must take special measures for increasing public esteem for teachers at different levels......" यहां आज हमारी शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिये और स्टुडेन्ट्स में इन्डिसिप्लिन है उसको सुधारने के लिये टीचर्स को अच्छा स्टेटस देना आवश्यक है । समाज में स्टेटस इकोनोमी बेसिस पर चलता है । कितने ही मल्टी मिलियोनर हैं, चाहे उनका परसनल करेक्टर कितना ही खराब क्यों न हो, जब वे आते हैं तो उनको बराबर इज्जत देते हैं, उतनी इज्जत शायद हम सन्तों को भी नहीं देते जितनी कि पैसे वालों को समाज में दी जाती है, in whatever manner he might have acquired the money. इसलिये स्टेटस उनको देना है तो टीचर्स की पे बढ़ाना जरुरी है । यह नहीं करेंगे तो एज्यूकेशन में बीकेस्ट लिंक स्कूलें हैं वह रहेगा और जो सिटीजन हम पैदा करना चाहते हैं वह एड्वर्सली अफेक्टेड रहेगा ।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं ४७ नम्बर के कट मोशन पर आता हूं, जो है :

" To establish an institute for research in Higher Mathematics in Jaipur ".

उपाध्यक्ष महोदय, आज सारे हिन्दुस्तान में कहीं भी मैथेमेटिक्स के ऊपर कोई रिसर्च इन्स्टिट्यूट नहीं है और मेरे खयाल से मैथेमेटिक्स ब्रान्च को निग्लेक्ट करते जा रहे हैं । पर मैं समझता हूं कि जितनी भी ब्रान्चेज़ ऑफ लर्निंग हैं, साइन्स है और दूसरी हैं, उन सबसे इम्पोर्टेन्ट मैथेमेटिक्स है क्योंकि आज की साइन्स है, it is nothing but Mathematics.

अब मैं इस इन्स्टिट्यूशन के लिये इसलिये जोर दे रहा हूं, मैं आज के लिये नहीं सोच रहा, पर आज से १० साल बाद हिन्दुस्तान को एक इन्सान की तौर पर जिंदा रहना है, we must require scientists of the highest calibre. हाइयेस्ट केलिबर के साइन्टिस्ट हैं आज जो they are all mathematicians. इसकी मिसाल के तौर पर, जैसे स्फुतनिक की मिसाल ले लीजिये, Sputnik is nothing but a result of mathematical calculations. आज इसमें मैथेमेटिकल केल्कुलेशन किया है कि स्फुटनिक किस स्पीड से, यहां से किस तरह, कितने समय में व किस जगह जायगा and they are so accurate जब स्फुटनिक जाता है तो उसको केल्कुलेट करके बता देते हैं कि देहली पर कब विज़िबल होगा, लन्दन पर कब विज़िबल होगा with so much accuracy these things-

(श्री पी० के० चौधरी)

are predicted and they are controlled.

तो मेरा उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है, मैं चाहता हूं कि राजस्थान में कम से कम इस आइडिया को मूव करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से भी मदद मिल सकती है क्योंकि मैथेमेटिक्स पर रिसर्च का इन्स्टिट्यूट कहीं पर नहीं है । आज गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को रिसर्च एस्टेब्लिश करना है। हिन्दुस्तान के लिये नेशनल लेबोरेटरी , National Laboratory for Research in Higher Mathematics is very necessary. आज राजस्थान में कोई नेशनल इन्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसमें यदि स्टेट गवर्नमेंट आगे बढ़ कर कदम उठाये तो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया भी इसमें कन्ट्रीब्यूट करने को तैयार है। तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़ कर कन्ट्रीब्यूट करने को तैयार हो तो हम institute for research in higher mathematics कायम कर सकते हैं । आज इसका फोर्स नहीं है, मगर मैं यह कहूंगा कि इसका फल १० वर्ष बाद हम एन्जोय कर सकेंगे । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इन्सिटट्यूट फोर रिसर्च इन हायर मैथेमेटिक्स की तरफ मुख्य मंत्री ध्यान देंगे और इसको सीरियसली लेंगे, ऐसा मैं मानता हूं ।

इसके बाद मेरा कट मोशन है न० ४६ : "Progress of women's education in Rajasthan."

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं की शिक्षा का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि इसमें जो प्रोग्रेस है जितनी होनी चाहिये उतनी सेटिसफेक्ट्री नहीं है । जहां तक सैकेन्डरी एज्युकेशन का सवाल है, हम उनके आंकड़े देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि जितनी स्कूलें है, उनमें स्कूल गोईंग बालिकाएं हैं उनकी संख्या २.६ प्रतिशत है, जो स्कूलों में पढ़ने जाती हैं ।

डा० चन्द्रकला : (अश्रव्य) करेंगी क्या ?

श्री पी.के. चौधरी : स्कूल में जाती हैं । करेंगी क्या, कोई रोटी बनाने के लिये नहीं जाती हैं, जैसा माननीय सदस्या समझती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, सैकन्डरी स्कूलों का इस साल का बजट है, उसमें इस साल के लिये ३ करोड़ ७३ लाख का 'अलॉटमेंट है। मगर इसमें से सिर्फ ३३ लाख ही गर्ल्स सैकन्डरी एज्युकेशन के लिये हैं। आज लड़कों पर १८ गुणा खर्च किया जाता है। जहां बालिकाओं पर कम खर्च किया जाता है और हम देखते हैं कि बालिकाओं की संख्या २.६ पर्सेन्ट है जो स्कूल में जाती हैं, तो मैं इस बात को मानता हूं कि इस तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित होना चाहिये । जहां हमारे चीफ मिनिस्टर बराबर कहते हैं कि लड़के और लड़कियों को वे बराबर लाना चाहते हैं । लेकिन जब हम एज्युकेशन में एलोकेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम लड़कियों की तरफ इतना ध्यान नहीं देते और उनको इतनी इम्पोर्टेन्स नहीं देते जितनी देनी चाहिये । आज जो पुस्तक 'एज्युकेशन' इन दी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान सुबह डिस्ट्रिब्यूट किया है उसमें expenditure on girls education एक्सपेन्डीचर पेज ४ और ५ पर दिया हुआ है । इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कालेजेज़ में लड़कों

(श्री पी० के० चौधरी)

के लिये ६७ लाख का एक्सपेन्डीचर रखा है जब कि लड़कियों के लिये १० लाख का रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि लड़कियों के लिये १।६ रखा है। इसी प्रकार हायर सैकन्डरी में लड़कों के लिये ४७ लाख ८ हजार रखा है तो लड़कियों के लिये ५ लाख १३ हजार रखा है। इसलिये वह भी १।६ से भी कम आता है। वह १।६ के करीब है। अब आप हाई स्कूल का देखें तो लड़कों के लिये ८४ लाख ५० हज़ार रखा है तो लड़कियों के लिये आपने १२ लाख का एक्सपेन्डीचर रखा है। यह भी करीब १।७ के है। मिडिल स्कूल के लिये लड़कों के लिये ९५ लाख रखा है तो लड़कियों के लिये १६ लाख रखा गया है। वह भी १।६ होता है।

तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज लड़कियों की स्कूल में यह एक्सपेन्डीचर होता है वह काफी कम है। हम चाहते हैं कि इसमें बढ़ोतरी की जावे, अगर हम अपने वैलफेअर सोशियल स्टेट में लड़कियों की तरक्की चाहते हैं तो।

इसके बाद उपाध्यक्ष मेरा कट मोशन ४८ है जो इस प्रकार है :"to start a degree college at Sambhar."

यह सांभर में डिग्री कॉलेज के लिये है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : नमक से गल जावेगी।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष, सांभर एक अच्छा कस्बा है और मेरा यह सुझाव है कि इसमें डिग्री कॉलेज होना चाहिये। राजस्थान का जयपुर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें शहर के बाहर दो-चार कॉलेजेज़ होना ज़रूरी है। सांभर की पोपुलेशन काफी एजुकेटेड है तथा और दूसरे कस्बों से ज्यादा आबादी भी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सांभर में डिग्री कॉलेज होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सब विद्वान वहीं रहते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : ज्यादातर वहीं रहते हैं।

एक दफा गवर्नमेंट ने वहां पर इन्टरमीडियेट कॉलेज के लिए तय भी किया था, मगर बाद में क्या हुआ, पता नहीं ?

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन है, ४९ जो इस प्रकार है : "To raise the High School at Phulera and Sambhar to Higher Secondary standard."

श्री उपाध्यक्ष : Our progress is very slow Mr. Chaudhary. We have only covered 49, we have to reach 81.

श्री पी. के. चौधरी : कट मोशन न० ४९ यह है कि फुलेरा और सांभर की हाई स्कूलों को हायर सैकन्ड्री में बदल दिया जाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सांभर और फुलेरा में हाई स्कूल्स हैं उनको हायर सैकन्ड्री बना दिया जावे। यदि हम किसी डिस्ट्रिक्ट को विद्यार्थियों की पोपुलेशन के हिसाब से लें तो फुलेरा और सांभर में काफी विद्यार्थी हैं और दूसरे स्थानों पर जहां कि हायर सैकन्डरी स्कूलें बनाई गई हैं उनमें ज्यादा विद्यार्थी हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि सांभर और फुलेरा की हाई स्कूलें हायर सैकन्ड्री स्कूलें बना दी जावें।

श्री उपाध्यक्ष: सांभर की लेक बद-किस्मती से आ गई, बाकी वह तो विद्वानों का ही है।

श्री पी० के० चौधरी : अभी वित्त मंत्री ने एक बात कही थी, उसको मैं दोहराता हूं। उन्होंने कहा था कि फण्ड का अलॉटमेंट होता है तो वह पोपुलेशन को देख कर किया जाता है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, उसकी युक्ति के तथ्य में कह रहे थे कि उदयपुर में क्यों ज्यादा खर्च हुआ तो उन्होंने बताया कि यह खर्च पोपु-लेशन बेसिस पर किया गया था। दूसरी बात यह है कि दूसरे स्थानों पर हायर सेकिन्ड्री में विद्यार्थियों की जो संख्या है उससे सांभर और फुलेरा में ज्यादा है। इसके अलावा वहां की पोपुलेशन को ध्यान में रख कर मैं कह सकता हूं कि वहां पर हायर सेकिन्ड्री का होना अत्यन्त आवश्यक है, और मैं समझता हूं कि सरकार इसको वहां पर कायम करेगी।

इसके बाद मेरा कट मोशन है २४

"To give grants-in-aid to Adarsh Bal vidyapeeth (Montessori School), Renwal." मोन्टीसरी स्कूल रेनवाल में शुरू किया गया है। मैं समझता हूं कि हमें इसमें प्रोत्साहन देना चाहिये क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे स्कूल बहुत कम चलाये जाते हैं। क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेन्सिव पड़ते हैं। इसलिये जहां लोग प्राइवेट इन्स्टीट्यूट ले-कर चलते हैं तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आदर्श बाल विद्यापीठ है उसके लिये ग्रान्ट-इन-एड देने का प्रावधान होना चाहिये।

इसके बाद मेरा कट मोशन ६८ आता है। बैमलाना, तहसील फुलेरा में हायर सेकिन्ड्री स्कूल है। यह स्कूल तो है और प्राइवेट लोगों ने बिल्डिंग वगैरह सब कुछ किया है और उन्होंने कॉमर्स क्लास के लिये ४-५ टाइपराइटर्स खरीद करके रखे हैं। उनको भी वे देने के लिये तैयार हैं। इसके लिये मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हायर सेकिन्ड्री स्कूल में कॉमर्स क्लास खोल दी जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री) : कमरों का क्या प्रबन्ध है ?

श्री पी० के० चौधरी : कमरों का भी कर देंगे, आप कहेंगे तो कर देंगे। इसलिये आप वहां पर कॉमर्स क्लास खोल दें तो अच्छा रहेगा।

अब मेरा कट मोशन ६९ है : "For making adequate arrangements with the University to conduct research in particular subjects."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की इस पॉलिसी का स्वागत करता हूँ कि रिसर्च स्कालर्स को स्कॉलरशिप देते हैं लेकिन इसके साथ साथ मेरा कट मोशन है वह स्लाइटली डिफरेन्ट है। आज मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेन्ट में रिसर्च सेक्शन है। जैसे कम्युनिटी डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट, स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेन्ट, सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेन्ट-इन सब में रिसर्च के लिए बजट होता है। किसी में १५ हज़ार है तो किसी में २० हज़ार का बज़ट है। इसके लिए एक अफसर को मुकर्रर कर देते हैं चाहे उसकी क्वालिफिकेशन हो या न हो और उनके द्वारा यह रिसर्च का काम चलाया जाता है। मैंने दूसरी स्टेट्स में देखा है।

Page No.94

(श्री पी० के० चौधरी)

किसी विशेष विषय के लिए, मान लीजिये सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेन्ट है उसका रिसर्च सेक्शन है, आदिवासियों पर रिसर्च किया जाता है, आदिवासियों की लैंग्वेज़ पर रिसर्च कराया जाता है, लीविंग हैबिट्स पर रिसर्च कराया जाता हैं। कम्युनिटी डिपार्टमेंट में भी अलग अलग रिसर्च का प्रावधान रखा है। यह अक्सर देखा जाता है कि डिपार्टमेंटल रिसर्च का कोई ऑब्जेक्टिव आउट लुक नहीं होता है, वह बाएस्ड होता है। उस रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव आउट लुक मिलना चाहिये गवर्नमेन्ट को वह नहीं मिलता है। एक रिसर्च ऑफिसर के लिए टाइपिस्ट रखना पड़ता है, यू. डी. सी. कलर्क्स और चपरासी रखने पड़ते हैं, उसके दफ्तर को चलाने के लिए। एक सारा दफ्तर उसके लिए रखना पड़ता है। कुछ स्टेट्स में ऐसा है, मान लीजिये कि भील लैंग्वेज के ओरिजिन पर रिसर्च करनी है, आदिवासियों की पर्टीकुलर लीविंग हैबिट्स पर रिसर्च करनी है, उन स्टेट्स में हम देखते हैं वहां क्या करते हैं कि आदिवासियों की लीविंग हैबिट्स पर करानी है रिसर्च तो वे सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेन्ट में रिसर्च ऑफिसर को रख कर नहीं कराते हैं लेकिन वे युनिवर्सिटी को एक लम्पसम अमाउन्ट दे देते हैं। जैसे मान लीजिये कि तीन हज़ार रुपया दे दिया। इस बेसिस पर दे दिया कि पी. एच. डी. के लिए स्टुडेन्ट को, पोस्ट–ग्रेजुएट को स्टीफेन्ड देकर, स्कॉलरशिप देकर to conduct research in that particular subject, वह क्या करता है कि खुद जाकर रिसर्च करता है, अपने खर्चे से जाता है, उसको टी. ए., डी. ए. भी गवर्नमेन्ट को नहीं देना पड़ता, रिपोर्ट खुद करता है, उसको टाइप भी खुद ही करता है और उसके बाद वह एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट सब्मिट करता है। रिसर्च के प्रोफेसर, सुपर्वाइज़र, गाइड के अन्डर में रह कर वह स्टुडेन्ट रिसर्च करता है। उसकी रिसर्च का फायदा ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव यूज़फुल होता है गवर्नमेंट के लिए बनिस्बत एक ऑफिसर को रख कर रिसर्च कराते हैं। सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेंट में, कमयुनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में फिजियोलोजिकल, एन्थ्रोपोलोजी, हिस्ट्री की रिसर्च वे सब करते हैं। वहां पर रिसर्च ऑफिसर नहीं होता है।

इससे खर्चा ज्यादा होता है। इस कट मोशन के ज़रिये मेरा सुझाव है वह यह है कि डिपार्टमेंट्स में इस तरह के रिसर्च सेक्शन हैं उनको हटा दिया जावे और स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करके, जैसे युनाइटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हिन्दुस्तान में कम्युनिटी पर रिसर्च किया, युनीवर्सिटी को ग्रान्ट दे दिया। युनीवर्सिटी क्या करती है कि एक दो आदमियों को स्टीपेन्ड देती है। वे रिसर्च करते हैं और गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देते हैं; मेटीरियल इकट्ठा करके पी. एच. डी. के लिए थिसिस सब्मिट करके डिग्री लेते हैं। इसमें दो–तीन चीजें होती हैं। एक तो विद्यार्थी को हैल्प मिलती है, एन्करेजमेन्ट मिलता है और पी. एच. डी. के लिए रिसर्च करके डिग्री लेना चाहता है तो मिल जाती है और दूसरी गवर्नमेंट को एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट मिलती है जो बायस्ड नहीं होती डिपार्टमेंटल ऑफिसर की वजह से और तीसरी बात यह होती है कि एक एक्सपर्ट स्कॉलर मिलता है रिसर्च करने के लिए। इसलिए इसका रिसर्च युनीवर्सिटी के द्वारा कराया जाय।

अब मैं कट मोशन ७६ पर आता हूं :–

"For establishing special chairs in

(श्री पी० के० चौधरी)

Rajasthan University to Conduct and guide research work in various branches of science."

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि युनीवर्सिटी में पर्टीकुलर साइन्स के लिए कुछ ऐसी चेयर्स एस्टेब्लिश की जाय। जिस काम के लिए चेयर होगी उसके लिए युनीवर्सिटी को ग्रान्ट दी जाय। not for the porpose of teaching उस चेयर का जो इन्कम्बेन्ट हो वह एक रेपुटेड स्कोलर हो, साइन्टिस्ट हो और उसका काम not teaching in the University लेकिन सिर्फ वह उसमें खुद रिसर्च करे और रिसर्च स्कोलर हो उनको गाइड करे एक ही काम उनके जिम्मे हो। हम देखते हैं कि हमारी स्टेट में नोफेरियस मेटल हैं। इसके लिए युनीवर्सिटी में सीट रख सकते हैं ओन दिस ब्रान्च रिसर्च करने के लिए। वहां पर ऐसी ही व्यक्ति को अपॉइन्ट करें जो काफी एस्टेब्लिश्ड, वैल रेपुटेड और उसका खुद का ओरिजिनल कॉन्ट्रिब्युशन हो। ऐसा देख कर अपॉइन्ट करें और वह पर्टीकुलर साइन्स ब्रान्च में रिसर्च करे। इकोनोमिक डेवलपमेंट के लिए यह जरूरी है। हमारी स्टेट में क्या क्या रिसोर्सेज़ हैं, क्या यूज़ हो सकता है उनका यह उसके लिए जरूरी हो। यदि हम ऐसी चेयर्स एस्टेब्लिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि हमको इन्डस्ट्रियलिस्ट्स से भी एड मिल सकती है। यह मेरा कट मोशन इस बात के लिए है।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आता हूँ कट मोशन ८० पर। उपाध्यक्ष महोदय, स्कूल्स का जो लोकेशन है वह कुछ रेशनल बेसिस पर नहीं है और मैं समझता हूं, हमारे यहां कम्पल्सरी प्राइमरी एजुकेशन कम्पीट करना चाहते हैं उसके लिए यह जरूरी है कि सर्वे कन्डक्ट करके स्कूलों का लोकेशन ऐसा हो, मेक्सिमम ओप्टीमम प्राप्त कर सके। रिपोर्ट को भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसी २ जगहों पर स्कूले हैं जहां पर सफिशियेन्ट स्टुडेन्ट्स नहीं हैं और स्टुडेन्ट्स ज्यादा हैं वहां पर स्कूल नहीं होते मैं चाहता हूं कि स्कूल्स को ठीक जगह लोकेट किया जाय। किसी ने कहा कि यहां स्कूल होना चाहिए वहां खोल दिया यह न हो, लेकिन यह तवज्जोह दिया जावे कि सराउंडिंग एरिया में कितनी पोपुलेशन रहती है। यह स्कूल सेन्टर में है या राइट इन कोरनर ? इस बात को देखकर लोकेट किया जाय और यह रेशनल बेसिस पर किया जाय।

अब उपाध्यक्ष महोदय, कट मोशन ५० है, वह है "To raise the Girls Middle School at Sambhar to Higher Secondary School".

उपाध्यक्ष महोदय, यह किताब सप्लाई की है उसके पेज ११ पर देखेंगे तो पता चलेगा कि जयपुर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कोई गर्ल्स हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं है। राजस्थान में कोई ऐसा दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं है कि जहां पर गर्ल्स हायर सैकन्ड्री स्कूल न हो।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : चूरू में नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : चूरू में है।

(विराम)

चूरू में तो महिलायें कम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ी–लिखी ज्यादा हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : पढ़ी लिखी ज्यादा हैं । मिडिल स्कूल का लोकेशन है, जयपुर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कोई गर्ल्स हायर स्कूल या हायर सेकन्डरी स्कूल नहीं हैं । इसलिए मेरा निवेदन है कि सांभर का जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है उसको हायर सैकन्डरी स्कूल बना दिया जावे । इससे कम से कम इतना तो हो जावेगा और कहने का भी मौका नहीं रहेगा कि जयपुर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कोई हायर स्कूल गर्ल्स के लिए नहीं है । मैं समझता हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी इस तरफ ध्यान देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : Now we come to the last item.

डा० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : But not the least.

श्री पी०के०चौधरी : लास्ट आइटम ।

कट मोशन ८१ है । "Conducting a survey of vocational training needs and employment opportunities to women in the state."

उपाध्यक्ष महोदय, महिलाओं की वोकेशनल ट्रेनिंग की नीड्स और उनकी एम्प्लोयमेंट की ओपोर्चुनिटी के लिए सर्वे कन्डक्ट कराने के वास्ते मैं इस कट मोशन के द्वारा शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इस बात पर नेशनल कमेटी ओन वीमेन्स एजुकेशन अपॉइन्ट किया था, उन्होंने भी जोर दिया कि यह जरूरी है कि वोकेशनल ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाय । हम यह नहीं मानते हैं कि महिलायें केवल घर का खाना ही बनाती रहें और कुछ लोग यह कहते हैं कि महिलाओं का तो यही काम है कि वे केवल बच्चे पैदा करें और घर का खाना बनावें, इसके अलावा महिलाओं को और स्फियर में नहीं आना चाहिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : भगवान ने ऐसा ही किया है ।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, I stand their example for you जहां तक उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कही जाती है कि भगवान ने ऐसा किया है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइन्ड देखिए, Society was matriarchal first and then it became patriarchal. Mother was the head of the family.

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : Not of the Government.

श्री पी. के. चौधरी : I am talking of the period before you were born, before your fore-fathers were born, Then the society was matriarchial. यह बात कहना गलत है कि प्रकृति ने या नेचर ने महिलाओं को ऐसा बना दिया है जिसके कारण पुरुषों के साथ वे बराबरी नहीं कर सकतीं । मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि महिलाओं का स्थान केवल घर में है । मैंने खुद ने देखा है या तो स्टेट की तरफ से महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्था हो जाय कि उनके खर्चे में किसी प्रकार की दिक्कत हो और वे फेमिली से ह्युमिलियेट की जाती हों तो आपका कर्तव्य है कि उनको संरक्षण दें । सब से

(श्री पी० के० चौधरी)

फन्डामेंटल क्वेश्चन यह है कि महिलाओं को इन्कम करने की इन्डीपेन्डेन्स हो, that is one of the fundamental reasons that she is dominated by men. यह आप मानकर चलें कि वे घर पर रहना पसन्द करती हैं, यह बिल्कुल ठीक है; लेकिन इसके साथ साथ जो मनुष्यों की तरफ से, आदमियों की तरफ से ह्युमिलियेशन होता है वह केवल इसलिये कि उनको इकोनोमिक इन्डीपेन्डेन्स नहीं है, इसलिये वे पुरुषों के ह्युमिलियेशन को बर्दाश्त करती हैं। इकोनोमिक इन्डीपेन्डेन्स मिल जाय तो पचास प्रतिशत फेमिलीज़ ऐसी मिलेंगी, ...they would divorce you. इस प्रकार वे ह्युमिलियेशन को बरदाश्त नहीं करना चाहतीं। मिसाल के तौर पर हम जो पोलोटिकल वर्कर्स हैं जिनमें मेरे कलीग्ज़ भी हैं उनके लिये कह सकता हूं वे क्या करते हैं १२ बजे रात को घर पर पहुँचेंगे, they don't even give company to their wives.

श्री उपाध्यक्ष : I think this is something of a reflection on the hon'ble Members, Mr. Chaudhary. There are so many exceptions except yourself.

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि महिलाओं को आप आगे लाना चाहते हैं समाज में समान अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन ये सब चीजें बातें करने से होने वाली नहीं हैं We must do it in practie इसलिये मेरा निवेदन है कि महिलाओं को इकोनोमिक इन्डीपेन्डेन्स के लिये बराबर अपोर्चुनिटी दी जानी चाहिये। सभी महिलाओं को आप प्रेस करिये कि वे अर्निंग प्रोफेशन लें यह मैं नहीं कहता जो कोई महिला लेना चाहे उसको फेसीलिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा लोअर इनकम ग्रुप....

श्री रामचन्द्र चौधरी (आबथक राजस्व मन्त्री) : ऐसा करने से फेमिली प्लानिंग की भी जरूरत नहीं रहेगी।

श्री पी० के० चौधरी : फेमिली प्लानिंग की जरूरत रहेगी या नहीं यह मैं नहीं कहता लोअर मिडिल क्लास है उनमें बहुत सी महिलायें ऐसी है जो प्रोफेशन अख्तियार करना चाहती हैं, कुछ कार्य करना चाहती है फेमिली इन्कम को सप्लीमेन्ट करने के लिये। जहां हम फन्डामैन्टल राइट्स की बातें करते हैं जहां महिलाओं का सवाल है प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था हमने नहीं की है नर्सिंग में तो की है। कुछ प्रोफेशन जो महिलाओं के लिये अच्छे हो सकते हैं उनमें स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, टेलरिंग आदि ऐसे प्रोफेशन है जो perfectly suitable for ladies इसके लिये मेरा निवेदन है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिये हमें स्पेसिफिक अरेन्जमेन्ट कर देना चाहिये। कम से कम जितने भी डिविज़नल हैड क्वार्टर्स हैं वहां एक इस प्रकार का प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेन्टर खोल दें ताकि जो महिलायें या बालिकायें लोअर मिडिल क्लास की है वे इस प्रकार की ट्रेनिंग से फायदा उठा सके विडोज़ आपको जितनी मिलेगी वे सब इस चीज का फायदा उठाने के लिये तैयार होंगी। आप आज,इस प्रकार का इन्तजाम करके देखिये, लोग उस तरफ

(श्री पी० के० चौधरी)

आकर्षित होते हैं या नहीं यह आपको मालूम हो जायगा। इस रिपोर्ट के आधार पर यह सही है काफी पहले से हमें इस प्रकार के प्रोफेशन को अख्तियार कर लेना चहिये, ट्रेनिंग नहीं तो कम से कम सर्वे तो कन्डक्ट ही किया जाय, यही मेरा कट मोशन था। इस तरह से मेरे जो १२ कट मोशन थे, उनको मूव करके मैं आशा करता हूं कि सभी कट मोशन्स पर अमल करने की चेष्टा करेंगे।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३ पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला कटौती का प्रस्ताव बीकानेर शहर में टैक्निकल शिक्षा की व्यवस्था के सम्बन्ध में है। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की यह नीति है कि सारे जिला हेडक्वार्टर्स पर तीसरी पंच वर्षीय योजना के आखिर तक टैक्निकल शिक्षा की व्यवस्था का प्रबन्ध हो। इस दृष्टिकोण से हमारे बीकानेर शहर में रेलवे का बड़ा वर्कशॉप है उसके साथ साथ राजस्थान केनाल योजना भी चल रही है। इन सारे कामों के लिये टैक्निकल हैन्डस की आवश्यकता होगी इसलिए मैं इस कटौती प्रस्ताव द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि हमारे बीकानेर शहर में इस वर्ष यह सम्भव नहीं हो तो तीसरी पंच वर्षीय योजना में तो टैक्निकल शिक्षा की व्यवस्था की जाय, यह मेरा निवेदन है। इसी शिक्षा की ओर ध्यान दिलाने के लिये मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा मेरे इलाके में दो एक समस्यायें हैं, शिक्षण संस्थाओं के विषय में। नापासर हाई स्कूल के लिये वहां के लोगों ने १६५४ में ३० हजार की लागत से सरकारी बिल्डिंग बनाकर दी। उसके साथ साथ दस हजार रुपये का मैटीरियल खरीदने के लिये भी दिया गया। वहां पर छात्रों की संख्या अधिक बढ़ जाने से हर क्लास में सेक्शन्स में छात्रों की संख्या काफी है उसके लिये कम से कम दो बड़े कमरों की बहुत जरूरत है। यदि दो कमरे और बन जाय तो वहां की आवश्यकता दूर हो सकती है। इसके लिये मैंने गांव के लोगों से प्रयास किया कि वे कुछ कोन्ट्रीब्यूशन इसमें करें लेकिन उनका कहना है कि हमने पांच पाइप की मशीने दी थी काफी दबाव डालने के बाद। वे इस बात पर रजामन्द हुये हैं कि वे दो हजार रुपये की सहायता और दे सकते हैं, इससे ज्यादा देने की उनकी सामर्थ्य नहीं है। इस स्कूल में जो स्थानाभाव है वह दो कमरे और बनाकर दूर दिया जा सकता है।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव मेरा एज्युकेशन कोड के सम्बन्ध में था....

श्री उपाध्यक्ष : Is it in the list? No, I will not allow you to speak on it.

श्री भीमसेन : तीसरा, लूणकरणसर तहसील में मिडिल स्कूल है वहां की स्कूल के लिये दो-तीन कमरों की आवश्यकता थी वहां के गांव के लोगों ने चार क्वार्टर्स अपने खर्चे से बनवाये थे स्टेट के समय में यह बिल्डिंग बनाकर राजस्थान सरकार को दी थी। इसको देखते हुए वहां अगर मकान की खामी है तो उसको दूर किया जावे। इस तरह से दो तीन समस्याएं हैं मेरे इलाके की। उनकी

(श्री भीमसेन)

तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिये यह कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव का विषय है, "टैक्निक और प्रावधिक शिक्षा के विस्तार करने पर बहस की जावें।

हम सब मानते हैं कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा ही सर्वोत्तम साधन है। पर यह शिक्षा किस प्रकार की दी जावे यहां यह प्रश्न है जो हमारे देश के सभी शिक्षा शास्त्रियों के मस्तिक को विलोपित कर रहा है।

हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है, जिसके बारे में मैं इससे पूर्व भी कह चुका हूं, वह शिक्षा प्रणाली हमारे देश के लिये न सामयिक है, न उपयोगी है। तो इस शिक्षा के स्थान पर किस प्रकार की दूसरी शिक्षा प्रचलित की जावे यह मैंने इसके द्वारा आपकी मार्फत सरकार के समक्ष अपने सुझाव रखने के लिये पेश किया है।

हमारे देश के प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलालजी नेहरू कई बार इस बात पर खेद प्रकट करते हैं कि हमारे देश के शिक्षित युवक बेकार हैं। बेकारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है और इस सम्बन्ध में विचार करते हुए झुंझलाहट के साथ वे इस विचार को भी व्यक्त करते हैं "मैं क्या करूं" इन कॉलिज़ों से एम० ए० बी० ए० निकलते हैं, इनका, देश के विकास में आज इनका कोई उपयोग नहीं है। मैं चाहता हूं कि विज्ञान और टैक्नोलोजी में पास शुदा लोग आवें। मैं चाहता हूं 'मेरे देश में इन्जीनियर बढ़ें, डॉक्टर बढ़ें और दूसरे इस प्रकार के लोग हों जो टैक्निकल ज्ञान रखते हों। बाबू हमारे देश को नही चाहिये। "हमारे प्रधान मन्त्री इस बात को कहते हैं। राष्ट्र की यह आज पुकार है। लेकिन फिर कोई कारण नहीं कि हम जिस शिक्षा का प्रचार और प्रसार एक विदेशी सरकार के द्वारा १२५ वर्ष पहले हुआ आज हम भी उन्हीं कदमों पर चलते चले जावें। हमारी शिक्षा का प्रसार होता है, प्राइमरी स्कूल खुलते हैं, मिडिल स्कूल हाई स्कूल और हायर सैकन्ड्री स्कूल खुलते हैं, पर इनका नमूना क्या है? वही पुराना परम्परागत नमूना। वही किताबी बोझा लोगों के दिमाग में भरने का प्रयत्न है।

इसलिये आज देश की आवश्यकता इस बात में है कि हम लोगों को साक्षर बनावें प्रत्येक बालक-बालिका का देश में साक्षर होना परमावश्यक है। यह हम मिडिल की शिक्षा देकर कर सकते हैं। यदि हमारी शिक्षा मातृभाषा के द्वारा दी जाती है जो परम आवश्यक है तो मैं समझता हूं कि एक स्तर पर १४ वर्ष की आयु तक या इस प्रकार की उम्र तक साक्षर बनावें और इसमें सभी आवश्यक विषय, इतिहास, भूगोल, गणित जो भी जीवन के लिये जरूरी विषय हों पढ़ावें पर इसके बाद में उनके सामने एक प्रकार का चोइस रक्खें कि वे अपना जीवन मार्ग अपने आप चुन सकें कि उनको आगे चल कर क्या बनना है। यह सबसे बड़ी आवश्यक बात है।

हमारे देश के कवि-सम्राट, रवीन्द्रनाथ टैगोर, इस बात के पक्षपाती थे, आज की

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

शिक्षा के लिये वे कहते थे कि हमारी आज की यह शिक्षा निरुद्देश्य है, इसका कोई उद्देश्य नहीं हमारे छात्र और बालिका बालकों के सामने, युवकों के सामने....

(३.४८ म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सभापति पदासीन)

तो हम चाहते हैं कि उनका कोई उद्देश्य हो और उसको लेकर वे जिस वक्त पूर्ण साक्षर हो जाते हैं तो दूसरी दूसरी जितनी ज्ञान की चीजें हैं उनका वे अध्ययन कर लेते हैं, तो उनको कोई अपनी लाइन चुननी पड़ेगी, कोई भी अपना मार्ग चुनना पड़ेगा कि आगे चल कर हमें क्या बनना है और वह हमारी टैक्निक और प्राविधिक शिक्षा के द्वारा हो सकता है।

आज भी सरकार कह सकती है कि मल्टी पर्पज़ हायर सेकन्ड्री स्कूलें चलाई हैं और आगे चल कर बड़े बड़े कॉलेज, साइन्स कॉलेज, मैडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज वगैरह खोल रहे हैं, वे इस दिशा में कदम हैं। लेकिन हम जब परिणाम में व्यवहारिक रूप में देखते हैं तो यह देख रहे हैं कि आज भी हमारे बच्चे मैट्रिक पास करने के बाद में हायर सैकन्ड्री करने के बाद में भी बेकार पड़े हैं। एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज के रजिस्टर देखे जा सकते हैं इसके लिये कि कितने लोग हैं जिनको हम इस प्रकार की प्राविधिक शिक्षा में आज पाते हैं। वहां पर ज्यादा लोग ऐसे निकलेंगे जो या तो अध्यापक हैं, या क्लर्क हैं या कोऑपरेटिव के असिस्टेन्ट इन्स्पेक्टर्स मैट्रिक पास लोग। उनके लिये कोई ऐसा उद्देश्य ही नहीं रहता है कि वे जीवन में आगे जाकर क्या करेंगे। सिम्पली वहां जाकर अपना नाम नोट करा देते हैं। वे ही उनको कार्ड मिलते हैं और जो दुर्दशा आज उन शिक्षित बेकारों की हो रही है, मैं समझता हूं कि वे हमारी इस शिक्षा के जीते जागते नमूने हैं और जो हमारी सहानूभुति के पात्र हैं।

हमारा स्वतन्त्र देश आज इस बात की अपेक्षा करता है कि हमारे बच्चे जिस किसी लाइन को लेना पसन्द करें उसके लिए वे पूरे स्वतन्त्र होने चाहिये। वे यदि क्लर्क भी बनना चाहें तो उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिये। जो किसी दूसरी लाइन में जाने को तैयार हों उनको उसी तरह की ट्रेनिंग का प्रबन्ध होना चाहिये और जो उच्च शिक्षा में शामिल होना चाहें उनको उसका भी अवसर मिलना ही चाहिये। जो ऊंचे शिक्षा विशेषज्ञ होना चाहें वे उधर जावें, उनके लिये भी अवसर होने चाहिये। जो टैक्निक और प्राविधिक शिक्षा में जाना चाहें उनको उधर जाने का अवसर मिलना चाहिये। आज की शिक्षा हमारी शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं करती। इसलिये हमारे देश के शिक्षित लोग जो बेकार हैं उनको काम में लगाने के लिये जिस प्रकार हमारी शिक्षा का उद्देश्य माना है अर्थकरी विद्या, जिससे कुछ पैसा पैदा हो और स्वाभिमान और स्वावलम्बन के साथ जीवन यापन कर सके, उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी शिक्षा देने वाली जितनी संस्थाएं हैं उनका ज्यादातर विस्तार हो। मैं तो यह कहूँगा कि आप परम्परागत हाई स्कूलों को बन्द कर दीजिये और जल्दी से जल्दी उनमें इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

की स्थापना करिये जिसमें किसी प्रकार के क्राफ्ट्स हों, उसकी ट्रेनिंग हो, टैक्निकल एजूकेशन हो, जिससे बच्चे पढ़ने के बाद क्लर्क न बनें, बेकार न बनें, निरुद्देश्य होकर इधर उधर ठोकरें नहीं खाते फिरें। जिनकी अभिरुचि क्लर्क बनने में हो, वे क्लर्क बन सकते हैं। बाकी सबके लिये क्लर्क बनना जरूरी न हो। इस प्रवृत्ति का अन्त होना चाहिये और इसके लिये मेरा कटौती का प्रस्ताव है कि हम अपने राज्य के अन्दर अधिक से अधिक टैक्निक और प्राविधिक शिक्षा का विस्तार करें।

दूसरा जो मेरा प्रस्ताव है वह है संस्कृत शिक्षा के सर्वांगीण विकास के ऊपर विचार करने हेतु।

सभापति-महोदय, हम लोग जो इस देश के रहने वाले हैं यह बराबर अनुभव करते हैं कि हमारी देश की शिक्षा का जो आधुनिक स्तर है, जिसे आधुनिक शिक्षा कहनी चाहिये उसका प्रारम्भ अंग्रेजों के द्वारा हुआ। अंग्रेजों ने अपने शासन को जमाने के लिये इसका यहां प्रचार किया। इसलिये यह स्वाभाविक था कि वे अंग्रेजी को एक सुन्दर रूप एक आकर्षित रूप, एक प्रलोभनकारी रूप देते और उसी रूप में उसको हमारे सामने रखते और साथ साथ यह भी था कि नौकरी और इस प्रकार के जो आजीविका के साधन हैं वे भी अंग्रेजों के द्वारा ही मिलते। अब मैं समझता नहीं कि आज भी लोग कहते हैं या नहीं, पर उस जमाने में गांवों में आम तौर से यह बात प्रचलित थी कि —

संस्कृत पढ़े, मिले ना भीख।
बेहतर है, अंग्रेजी लो सीख॥

हमारी संस्कृत भाषा की तो कोई कदर नहीं रही है। अंग्रेजी पढ़ो और बाबू बनो। मैं समझता हूं कि यह हमारी गुलामी की मनोवृत्ति थी जिसका आरम्भ मैकॉले ने किया जिसने हमारी सभ्यता, संस्कृति और परम्पराओं पर इस प्रकार का असर डाला कि हम अंग्रेजी के लाभ की चकाचौंध में पड़ जावें।

(४ म० प०)

लॉर्ड मैकॉले के वे शब्द अभी तक हमारे कानों में गूंज रहे हैं, जिसने हमारी संस्कृति को चुनौती दी थी। इन शब्दों में "A single shelf of a good European library, is worth the whole India and Arabic liteturare put together." जिसने यह कहा था कि यूरोप की लाइब्रेरी के एक छोटे से ताक में अंग्रेजी जैसा साहित्य आ सकता है और अगर हिन्दी और अरबी के भण्डार भी पुस्तकों से भर दिए जायें उनमें इतना ज्ञान नहीं होगा जो कि दूसरी भाषाओं जैसे अंग्रेजी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हम काफी समय तक गुलाम थे, हमारे अन्दर स्वाभिमान के साथ चुनौती का सामना करने का साहस नहीं था। दुर्भाग्य यह है कि आज हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया है, लेकिन फिर भी भाषा के अन्दर हम उसी दृष्टि से चल रहे हैं जिस दृष्टि से कि हम अंग्रेजी राज्य में चलते थे। आज हिन्दुस्तान में जो कि अब स्वतंत्र हो चुका है उसमें भी पूर्ण रूप से हिन्दी को लागू नहीं करते। बल्कि प्रेशर पड़ता है कि नहीं, अंग्रेजी को ही चलाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जब हमारे देश में राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार कर लिया है। हमारे यहां संस्कृत के महाकवि कालिदास हुए हैं

Page No.102

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

और सबसे बड़े खेद की बात यह है कि हमारे देश में कालिदास जयन्ती होती है, कवि सम्राट कालिदास की जयन्ती पर भाषण होते हैं अंग्रेजी के अन्दर, जब कि रूस और जर्मनी के विद्वान आते हैं तो वे संस्कृत में भाषण देते हैं। यह वास्तव में बड़े ही खेद की बात है। हम जब कहते हैं कि हमें स्वतंत्र हुए आज १२ वर्ष हो गए, तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में हिन्दी को राष्ट्रभाषा मान लिए जाने पर भी उसका प्रयोग नहीं किया जाता। हिन्दी के साथ साथ संस्कृत को भी हमें राज्य की भाषा बनाना है। जब हम रूस और जर्मनी में जायेंगे तो हम वहां पर संस्कृत की पुस्तकों का भण्डार पायेंगे। ईरान और अफगानिस्तान में जो कि हमारे पड़ौस के देश हैं वहां संस्कृत विश्व विद्यालयों में अनिवार्य भाषा है। पर हमारे देश में क्या कद्र है संस्कृत की? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक प्रश्न पूछा था कि संस्कृत के उत्थान के लिए हमारी राज्य सरकार क्या कर रही है। मुझे प्रश्न का इसी सदन में उत्तर मिला और वह मेरे पास अब भी मौजूद है कि यहां भी संस्कृत के शिक्षक जो रखे जाते हैं वे शिक्षक नहीं हो सकते यदि केवल वे संस्कृत में शास्त्री और आचार्य हों, वे किसी भी हाई स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। तब पढ़ा सकते हैं जब कि उनके साथ में पास प्रवेशिका, आचार्य with English and other subjects according to the revised curriculum prescribed in 1954. इस प्रकार दूसरे पार्ट में कहते हैं कि वह भी with English and othersubject according to the revised curriculum prescribed in 1954; मतलब यह है कि जब तक वह इंग्लिश नहीं जानते हों तब तक नहीं पढ़ा सकते। परमात्मा का पता नहीं, रूप और उसमें जान कैसे डाल दी, बगैर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के। हम देखते हैं कि अंग्रेजी ने आज भी जमाने में अपना आधिपत्य जमा रखा है। अगर पहले के हम शिक्षा के तरीके को देखें और उस पुराने समय की शिक्षा प्रणाली को देखें तो जहां हर राज्य के अन्दर संस्कृत की पाठशालायें होती थीं, हिन्दी जहां अनिवार्य होती थी वहां आज अंग्रेजी का साम्राज्य है। यह हमारे शिक्षित लोगों के दिमाग में आज है। उनको आशंका है कि अगर अंग्रेजी नहीं रही तो उनकी शिक्षा अधूरी रह जायेगी। हमारे देश की संस्कृत भाषा कितनी समृद्धिशाली है और हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है! मैं हिन्दी के बारे में उतना नहीं कह सकता क्योंकि उसका उत्थान तो धीरे धीरे ही होने लगा है। दुनिया में अगर कोई समृद्धिशाली भाषा है तो वह संस्कृत है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे देश का नैतिक स्तर ऊंचा करने वाली अगर कोई भाषा हो सकती है तो वह संस्कृत है। इससे जो आज हमारे स्कूल और कॉलेजों में कभी कभी हड़ताल की सी स्थिति आ जाती है वह भी दूर हो जायेगी। हमारे अन्दर आचार्यों की भावना पैदा करने वाली कोई भाषा हो सकती है तो वह संस्कृत ही हो सकती है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि देववाणी भाषा संस्कृत है और इसका अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपने आचार्यों का आदर करें। पर यह भी हमारे राज्य में नहीं हो रहा है। इसीलिये मैं यहां कटौती का प्रस्ताव लाया हूँ। मैं कहता हूं कि इसके लिए कमेटी बनी है, अब देखें वह क्या करती है? मैं समझता हूँ कि आज से १२ वर्ष

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पहले जयपुर के अन्दर ही पंडित देवीशंकरजी तिवाड़ी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी, उसको हमने भी गांव में देखा था और संस्कृत का प्रचार कैसे होना चाहिए और उसके ऊपर बहुत गवेषणापूर्वक विचार हुआ था। आज पता नहीं शिक्षा मंत्रालय के अन्दर वह किताब होगी या नहीं ? लेकिन आज भी हमारी संस्कृत की स्थिति वैसी की वैसी है। इसलिए मैं इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा राजस्थान सरकार से यह मांग करता हूं कि संस्कृत के सर्वांगीण विकास की ओर वह विशेष ध्यान दे।

इसके अलावा जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह इस प्रकार है, "बहुउद्देशीय उच्च शालाओं की वर्तमान स्थिति पर विचार करने हेतु।" सभापति महोदय, यह जो शिक्षा में हम नित नये प्रयोग करते हैं वह कुछ हमारी स्थिति ऐसी है कि जैसे किसी के घर में कोई रोगी होता है और वह कहीं चिरकालीन रोगी हो जाता है तो उस समय वह यह कहता है कि एलोपेथी का डॉक्टर बुला लो और अगर उसके दस-पन्द्रह रोज के इलाज से लाभ नहीं होता है तो कोई यूनानी हकीम बुला लो, नहीं तो फिर कोई आयुर्वेदिक वैद्य बुला लो और अगर उससे भी आराम न हो तो कोई जन्तर-मन्तर वाला ही बुला लो। यानी इस प्रकार के प्रयोग होते हैं। मैं कहता हूं कि हमारा देश कोई नया नहीं है। इसकी संस्कृति दुनियां में सबसे ज्यादा पुरानी है। फिर आज किस प्रकार से हमारे देश में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी के विशेषज्ञ हैं वे शिक्षा का स्तर यहां निश्चित करने के लिए होते हैं ? हमारे देश के अन्दर भी नालन्दा का विश्वविद्यालय था, पाटलीपुत्र का विश्वविद्यालय था, वाराणसी का भी था.......

एक माननीय सदस्य : वे केवल ब्राह्मणों के लिए थे ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : सब कौम के लोगों के लिए थे। मैं आपको बतला दूं बहुत पुरानी बात नहीं है। राजा भोज के समय में एलान था:

विप्रोपि य भवेन्मूर्खो, स पुराद् बहिरस्तु मे।
कुम्भकारोपि यो विद्वान् स तिष्ठेत् पुरे मम।

आप कहां की बात करते हैं ? राजा भोज ने यह एलान किया था कि ब्राह्मण होते हुए भी यदि कोई मेरे राज्य में अशिक्षित रह जायेगा तो वह बाहर निकाल दिया जाये। और यही तो कारण है कि उस समय का कोली, जुलाहा और दूसरे दूसरे लोग भी कविताओं के अन्दर ही बात करते थे। जैसे क्वयामि, वर्यामि, यामि। हर व्यक्ति कविता में ही वार्तालाप करता था। हमारे प्राचीन भारत में एक एक बच्चे-बच्ची का पढ़ाना राज्य का प्रथम कर्त्तव्य होता था। इस प्रकार का दायित्व राज्य के ऊपर होता था। तो जो हमारे दिमाग में आज अंग्रेजी की बात है उसे भूल जाना चाहिए। तो मैं यह कह रहा था कि अपने यहां कोई माध्यमिक शाला मल्टी पर्पज़ के लिए खुली, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद वह एक ही साल खुलकर रह गई। मुझे पता नहीं इसका क्या कारण है ? मुझे जहां तक पता है शुरु शुरु में वह मल्टी पर्पज़ के नाम से खुली और फिर बताया कि स्कीम सफल नहीं हुई, उसके बाद

Page No.104

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

में फिर हायर सैकन्डरी के नाम से स्कूल खुले, लेकिन असल में उसको इस प्रकार से देखा ही नहीं गया। वह जिस उद्देश्य से खोली गई, उनकी पूर्ति होती है या नहीं यह नहीं देखा गया। जो बहुउद्देशीय माध्यमिक शालायें हैं वे उसी रूप में चल रही हैं। हायर सैकन्डरी के नाम से उनको चालू कर दिया है। मैं समझता हूं कि जो उस समय उद्देश्य चालू किया था, ह्यूमेनिटी के नाम से था, क्राफ्ट्स के नाम से था, उनका सफल परीक्षण हुआ या नहीं, उस स्थिति को जहां की तहां छोड़िये, उनको दूसरे नाम से कर दिया। तो मैं समझता हूं कि हमें देखना चाहिए और अगर वह प्रयोग सफल होते हैं तो जिस तरह हायर सैकन्डरी के नाम से चलते हैं उधर भी चलने चाहिए। यह बहु-उद्देशीय के नाम से जो स्कूल चलते थे उनकी स्थिति को देखते हुए हमें अवश्य उन पर विचार करना चाहिए।

इसके आगे जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह है बुनियादी शिक्षा में आवश्यक सुधार करने के बारे में। बुनियादी शिक्षा हमारे देश में शिक्षा के इतिहास में एक बड़ा क्रान्तिकारी कदम है। हमारे राष्ट्रपिता, बापू जो न केवल राजनैतिक नेता थे, न केवल समाजसुधारक थे, बल्कि इस प्रकार की शिक्षा देश के लिए आवश्यक है उनमें वे अग्रणी थे। उन्हें देश के नवयुवकों को बाबू बनाने से घृणा थी, वह बाबू और कर्ल्क बनाना राष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस समझते थे। उनको इस बात की चिन्ता थी कि उनके देश के युवक स्वाभिमानी बनें और स्वावलंबी बनें और इसलिए उन्होंने अब से नहीं, बल्कि लगभग २५ वर्ष पहले देश के सामने शिक्षा का एक प्रकार रखा था और वह शिक्षा का प्रकार जहां तक उस समय की बात है उसको अच्छे २ शिक्षा विशारदों और शिक्षा विशेषज्ञों ने अच्छा माना था क्योंकि उस समय विदेशी हुकूमत थी फिर भी कितनी ही रियासतों में उसका प्रयोग हुआ और कितनी ही जगह चला और कुछ दिनों तक चला और ठीक चला। फिर देश के अन्दर प्रान्त की स्वायत्त सरकारें कायम हुई थीं, उस वक्त इसको प्रमुखता दी गई और उस वक्त कुछ प्रचार हुआ और काफी सफल रही। इसके बाद में अब बुनियादी शिक्षा के नाम से बड़े बड़े स्कूल चलाये जा रहे हैं, लेकिन वह भावना से प्रेरित होकर महात्मा गान्धी और उस वक्त के शिक्षा विशारदों ने उसकी तारीफ की थी, वह भावना अब उसके पीछे नहीं है। इस बुनियादी शिक्षा के पीछे महात्मा गांधी का नाम लगा हुआ है और कुछ शिक्षा विशेषज्ञों ने इसकी प्रशंसा की है, इसलिये उसका प्रचार और प्रसार तो करते हैं, लेकिन मूल उद्देश्य उसका जो है जिससे कि लाभ उठाया जाय उसकी तरफ ध्यान बहुत कम जाता है।

यह मैं कह रहा था कि इतना ही नहीं हमारे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उसके ऊपर विचार किया था और एक रामचन्द्र कमेटी के नाम से कमेटी कायम की और मैं समझता हूं कि उसने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट में सुझाव दिया है और उन्होंने यहां तक लिखा है कि राज्य सरकारें उसकी गंभीरता और गहराई को नहीं ले रही हैं जो बुनयादी शिक्षा के पीछे है, कुछ और सुझाव भी दिये हैं और राज्य सरकारों से खास तौर से अपील भी की है और उन्होंने अच्छे २ इसके अन्दर सुझाव दिये हैं, लेकिन आज चार साल हुए हैं, मैं समझ नहीं पाया

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हूं कि कहां तक राज्य सरकारों ने इस ओरअमल किया है, इसको स्वीकार भी किया है या नहीं, यह तो अपने उत्तर में शिक्षा मंत्री बतलायेंगे, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पा रहा है।

हमारे यहां मिडिल स्कूल तक की शिक्षा पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। मैं समझ नहीं पाया हूं कि राष्टीयकृत पुस्तकें बुनियादी शिक्षा की इन्हीं कक्षाओं के अन्दर चल रही हों। तो मुझे इस बात में सहायता दें समझा कर कि हमारी राष्ट्रीयकृत पुस्तकें हुई हैं वे बुनियादी शिक्षा के आधार पर लिखी जा रही हैं। देश में दिन ब दिन जब कि प्राइमरी स्कूल बेसिक शिक्षा के लिए जगह जगह खोलते जा रहे है तो उनमें पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें भी क्या उसी आधार पर लिखी जा रही हैं ? वहां जिस हैण्डीक्राफ्ट का काम दिया, बुनियादी शिक्षा में जिसको सब से महत्वपूर्ण अंग मानते हैं, क्योंकि खाली बुद्धि जीवी लोग पैदा नहीं करना चाहिए। वह चाहते हैं कि बुद्धि के साथ साथ श्रम का भी सहयोग होना चाहिए। तो इस दृष्टि से जिस प्रकार की पाठशालाएँ, जिस तरह से शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये वह बुनियादी शिक्षा में हो रही है क्या ? आज जितनी पुस्तकें लिखने वाले हैं जो कि राष्ट्रीयकृत पुस्तकें लिखते हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने बुनियादी शिक्षा का प्रशिक्षण ग्रहण किया है? उदयपुर में विद्या भवन है वहां पर इस प्रकार के प्युपिल टीचर्स हैं, कहते हैं कि वे इस ओर किसी प्रकार का साहित्य तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उनमें उसका समावेश होता है, यह मैं नहीं कह सकता।

बेसिक शिक्षा के संबन्ध में इस रिपोर्ट में यहां तक बतलाया है कि राज्य सरकार को इसका अध्ययन करना चाहिये। इसमें बतलाया गया है, "that all elementary schools will be converted into basic schools and all treacher schools will become basic teachers within a reasonable time limit."

वह चाहते हैं कि जितनी हमारी प्रारम्भिक शिक्षण संस्थाएं हैं, गांवों के अन्दर जितनी शिक्षाएं पढ़ाई जाती हैं वे शिक्षाएं बेसिक होनी चाहिये। अब हो क्या रहा है कि जिस तरह के अध्यापक बेकारी को दूर करने के लिए गांवों में भेजते हैं, मैं नहीं समझ सकता हूं कि वे बुनियादी शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं। वास्तव में होता यह है कि वे १, २, ३ साल के लिए अपनी बेकारी दूर करने के लिए जाते है, उसके बाद में उनको प्रशिक्षण में भेजा जाता है। तो अभी तक यह नीति हमारे राज्य की है। जहां तक बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है सबसे पहले बच्चों में अभिरुचि पैदा करना है। मुझे उस वक्त की बात याद है जिस वक्त यहां बुनियादी शिक्षा वर्धा में जो चलती है वहां की आचार्या श्रीमती आशा आर्यनायकम् आई थीं तो उन्होंने कहा था कि मैं इस प्रकार के दृष्टिकोण को अनुकूल नहीं समझती हूं कि जिसमें केवल मिडिल पास और मैट्रिक पास टीचर्स को लेकर ट्रेन्ड किया जाय। वे कहती थीं कि यदि हमें बुनियादी शिक्षा का ठीक तौर से प्रचार करना है तो पूरे राज्य का जो शिक्षा संचालक है, डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन है, आपके जो इन्स्पेक्टर्स हैं उनको बुनियादी शिक्षा की ट्रेनिंग लेनी चाहिये। जिन लोगों में बुनियादी शिक्षा के प्रति

Page No.106

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उत्साह नहीं, जिन लोगों में उसके प्रति अभिरुचि नहीं, जो आज भी इस बात को मानते हैं कि हम क्या कुम्हार, बढ़ई, लुहार बनाने जा रहे हैं, जो आज भी बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य को समझ नहीं पाये हैं, उनके द्वारा हम बुनियादी शिक्षा को प्रोत्साहन दे सकें यह कुछ कम मेरी समझ में आता है। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम बुनियादी शिक्षा की ओर इस प्रकार का ध्यान दें।

पुस्तकों में यह है कि जहां तक मैं समझता हूं कि उपयुक्त बात है कि प्रारम्भिक शिक्षा बेसिक में होती है। ५--६ साल का जहां तक होता है वह एक प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है बेसिक के आधार पर, लेकिन आगे जाकर चाहे वह हायर सैकन्ड्री स्कूल में जाये या हाई स्कूल में जाये वहां शिक्षा का दूसरा ही स्टेन्डर्ड नज़र आता है। कोई सम्बन्ध नहीं बेसिक शिक्षा का उससे। आगे जाकर समझते हैं कि बेसिक शिक्षा से फायदा क्या हुआ? जो कुछ शिक्षा उसने ली है क्ले-मोडलिंग की या कुछ कागज़ काटने की वह दूसरी तरह की चीज़ है। होता क्या है कि ट्रेनिंग स्कूलों में क्रॉफ्ट का एक अध्यापक रखा जाता है। वह एक ही क्रॉफ्ट को बता सकता है। जहां रिपोर्ट यह बतलाती है कि आप बड़ी बड़ी, २००) वा ३००) रु० की तनख्वाह के अध्यापक नहीं रखें, जिनका परम्परागत पेशा है उनको रखें। आप गांव के लुहार को बुलाकर लुहारी का काम सिखायें बच्चों को, वहां के बढ़ई को बुलाकर जो गांव में बढ़ई का काम करता है, जो गांव में कुम्हार का काम करता है, उनको कुछ पैसा देकर उनको रखें। वहां पर २००), ३००) रु. का एक मास्टर नहीं रखें।

आप एक ही आदमी से उनको कुम्हार की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, बढ़ई की शिक्षा दिलाना चाहते हैं, यह सम्भव नहीं है। उसी से आप कताई, बुनाई आदि की भी शिक्षा दिलाना चाहते हैं। एक ही आदमी सब कुछ सिखाये, यह सम्भव नहीं हो सकता। इसीलिए तो प्रगति नहीं हो रही है। इस रिपोर्ट में यहां तक बताया है कि जिनका ट्रेडिशनल या परम्परागत पेशा रहा है वे ही इस काम को ठीक तरह से कर सकते हैं। जितने पंडित और ट्रेन्ड आदमी हैं वे इतने होशियार हो नहीं सकते जितने ये लोग होते हैं। इस प्रकार के लोगों का उपयोग किया जाय। ये संक्षेप में थोड़े से सुझाव हैं, बाकी यह बड़ा गम्भीर विषय है। इसलिए जरूरत है कि हम उनका उपयोग करें।

इसके अलावा एक मेरा कटौती प्रस्ताव और है जो प्राथमिक पाठशालाओं के वेतन स्तर को सुधारने के लिए जो धन-राशि बजट में रखी है उसको और बढ़ाने पर विचार करने के बारे में है। मेरी मान्यता है कि सबसे पहले बच्चों के शिक्षक होते हैं उन शिक्षकों में जितने भी अच्छे से अच्छे गुण एक शिक्षक में होने चाहिए वे सब उनमें हों। जो बच्चे फूल की कली के समान हैं उन पर प्रयोग करने वाले अध्यापक गांवों में जाकर पढ़ाते हैं, मैट्रिक पास थर्ड डिविजनर्स वहां जाते हैं उनकी शिकायत यह होती है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझसे तो एक क्लर्क ही अच्छा है, या कोऑपरेटिव का असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर अच्छा

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

है जो मेरे ही बराबर शिक्षा पाया हुआ है। यह भावना आज सब के दिल में है। आज यह पेशा कितना ही धर्म, पुण्य का हो, कितना ही पवित्र हो लेकिन यह भावना बहुत कम लोगों में होती है। आज नाप–तोल इससे होता है कि पैसे कितने मिलते हैं और यह तथ्य है। एक मैट्रिक पास अध्यापक को ५० रुपये अधिक से अधिक मिलते होंगे जब कि एक एल. डी. सी. को ६० रुपये मिलते हैं, अभी कुछ बढ़ाया है लेकिन जितना आकर्षक होना चाहिये उतना नहीं है। मैं आपका ध्यान १०–१२ साल पहले की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। जिस समय मत्स्य बना था करोली, धौलपुर, भरतपुर और अलवर को मिला कर, उस समय करोली के प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक की तनख्वाह ६ रु० थी, धौलपुर के अध्यापक की तनख्वाह ८ रु० थी, भरतपुर में १२ रु० थी और अलवर में १६ रु० थी। वहां पर १६ मार्च सन् १९४८ को जितने मैट्रिक पास शिक्षक थे उनके ४० रुपये कर दिये गये सन् ४८ में। उसके १२ वर्ष बाद राजस्थान सरकार सिर्फ १० रुपये और बढ़ा पाई है। कहां तो एक ही साल में ६, ८, १२ और १६ रु० से ४० रु० हो गये........

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : नई नई उमंग थी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : लेकिन वह उमंग कहां गई........

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : इस अनुपात से बढ़ाया जाय तो चार–पांच हजार हो जायेंगे।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : यहां भी कर दिया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अब हो गया है तो उत्तर में आ जायेगा। लेकिन यह आवश्यक है कि अध्यापकों को किसी भी एल. डी. सी. और दूसरे लोगों के मुकाबले में कम आकर्षक न बनावें। यदि वास्तव में शिक्षकों को शिक्षा में अभिरुचि लेनेवाला बनाना है तो उनका वेतन ऊंचा करना पड़ेगा। अध्यापकों में असंतोष नहीं होना चाहिए। मैं यह भी कहता हूं कि एक ओर अध्यापकों का ग्रेड ठीक किया जाय और दूसरी ओर उनके लिए कड़े से कड़े नियम बनाईये। आजकल ट्यूशन की भरमार है, गरीबों के लिए परेशानी होती है, शिकायत आती है कि मिडिल स्कूलों में और ऊपर की क्लासेज़ में भी ट्यूशन करने के लिए बाध्य करते हैं। उनके लिये ऐसा न करने के नियम बनाइये लेकिन इससे पहले उनका वेतन स्तर और आर्थिक स्थिति को ठीक अवश्य कर दीजिये जिससे सख्त कानून का प्रयोग करने पर भी उनको सुविधा मालूम हो। इसलिये मेरा जो अंतिम कटौती प्रस्ताव है उसमें यह सुझाव है कि प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन स्तर बढ़ाने के लिए बजट में जो इस समय धन-राशि है उससे अधिक दी जाय। मैं समझता हूं मेरे कटौती प्रस्ताव पूर्णरूप से उचित हैं। उन्हें राज्य सरकार इस प्रकार से स्वीकार करेगी जिससे उनकी उदर पूर्ति हो सके।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : माननीय सभापतिजी, प्रस्तुत मांग

(डॉ० चन्द्रकला)

में मेरे कई एक कटौती प्रस्ताव हैं । जहां तक शिक्षा के मद में नियत राशि का सवाल है उसकी पर्याप्तत में शंका नहीं की जा सकती और अब तक शिक्षा विभाग द्वारा जो लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है उसके आधार पर इस राशि को खर्च करने के बारे में भी कोई कोताई की शिकायत नहीं हो सकती । यह बात अलग है कि इसमें से किसी भाग में कुछ अधिक खर्च हो गया और किसी भाग में कुछ कम खर्च हो गया हो, लेकिन मुझे जो बात लगती है और जिसके कारण शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया विवरण भी अधूरा लगता है वे ये हैं कि हम केवल आंकड़ों में यह बताते हैं कि हमने इतनी राशि इस इस तरह से खर्च कर दी, इतनी स्कूलें खोल दी, इतने कॉलेजेज़ खोल दिये, इतनी स्कूलों को बेसिक स्कूलों में बदल दिया। केवल कागज़ पर आंकड़े लगाना आसान है लेकिन उसका सही फलाफल जानने का प्रयत्न हमने नहीं किया । इस रिपोर्ट को भी जो मुझे आज प्रातःकाल मिली, मैंने ध्यान से देखा और जानना चाहा कि हमारी सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किया उसका क्या परिणाम हुआ और हमारे यहां कितने प्रतिशत शिक्षित बढ़ सके, सो उससे पता नहीं चला ।

दूसरा सवाल जो प्रान्तीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर सब के लिये सोचने-विचारने और चिन्ता का विषय है वह शिक्षित बेकारी का सवाल है । आजकल में ही दिल्ली में भी इस विषय को लेकर काफी सोच-विचार किया गया । हम लोग भी इस बात को देखते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं फिर भी हमारा कदम इस दिशा में बढ़ता हुआ चला जा रहा है । हम यह जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारे यहां के शिक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत बेकार हैं । जब हम यह जानने की कोशिश नहीं करते, जब हमारे सामने सही हालात नहीं हैं तो प्रश्न का हल निकालने का सवाल नहीं रहता । कितनी बड़ी विडंबना है कि हम अपने यहां पर नई नई स्कूलें, कॉलेजेज़ खोल कर शिक्षितों की संख्या बढ़ाते हैं लेकिन जब वे ही लड़के पढ़-लिख कर काम के लिये हमारे दरवाजे पर आते हैं तो 'जगह नहीं है' यह बोर्ड हम उनको दिखा देते हैं । क्या हम अपने उत्तरदायित्व और खास कर शिक्षा द्वारा किये गये नागरिक विकास को इस तरह से पूरा करना चाहते हैं ? और सब जाने दीजिये लेकिन हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि हमारे यहां कोई बेकार नहीं रहे । हम देखते हैं, मैं अर्थ शास्त्र के गहन विषय को तो बहुत ज्यादा नहीं जानती लेकिन सीधा सा सिद्धान्त जानती हूं कि कोई भी व्यापारी या उत्पादक ऐसे माल को पैदा नहीं करता जिसकी खपत नहीं होती है लेकिन हमारी सरकार है जो बेकारों का उत्पादन बराबर करती जा रही है, उनके पास काम नहीं है, रोजी पर लगाने का साधन नहीं है, फिर भी स्कूलों और कॉलेजों से छात्र दिन-ब-दिन बराबर निकलते चले जा रहे हैं । मैं तो सरकार से यह कहूंगी कि हमारे विभाग जो अपना विवरण इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं वे साथ ही साथ अपने बेकार शिक्षितों का लेखा-जोखा तैयार करें और वही दूसरी ओर उनको काम दिलाने का सोचें । लेकिन इस रोग का इलाज भी उन्हीं कीटाणुओं से होता है । जहां तक औषध शास्त्र का सवाल है, ठीक है कि चेचक

(डॉ० चन्द्रकला)

का टीका लगा कर चेचक को रोक लेते हैं लेकिन जहां शिक्षितों में बेकारी बढ़ती है वहां और वहीं शिक्षा बैठाते जाना ठीक नहीं। हमने शिक्षित बेकारों को काम में लगाने के लिए क्या किया ? थोड़े स्कूल और खोल दिये जो बेकारी को थोड़ी दूर तक और फैलाने का प्रयत्न करते हैं । तो मैं कहना चाहती हूं कि अपनी सरकार आगे से शिक्षित बेकारी के प्रति सजग होकर अच्छी तरह से बेकारी को दूर करने का प्रयत्न नहीं करती है तो हमारी शिक्षा योजना की असफलता तो स्पष्ट है ही, साथ ही जिस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयत्न हम करना चाहते हैं वह पूरा नहीं होगा, अधूरा रह जायेगा । आंकड़ों पर हम गर्व कर सकते हैं, आंकड़ों की बात पर हमको अभिमान हो सकता है, लेकिन वस्तुत: न तो किसी क्षेत्र में हम सफल हुए हैं क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र में हमें असफलता प्राप्त होगी तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र की असफलता हमारी सरकार की सब क्षेत्रों की असफलता है क्योंकि हमारी सारी योजनायें, हमारे सारे कार्यक्रमों को पूरा करनेवाले जो लोग हैं वे यहां के नागरिक हैं और वे नागरिक हमारी इस शिक्षा के द्वारा तैयार होंगे । आज हमारा कहां ध्यान है, कहां हम हमारी आवश्यकता के अनुसार नागरिकों को तैयार करते हैं ? इसके पहले सदन में बताया गया कि हमको टैक्निकल शिक्षा देनी चाहिए, प्राविधिक शिक्षा देनी चाहिए, कला कौशल की शिक्षा देनी चाहिए, इस तरह से उद्योग करना चाहिए, लेकिन हमारा ध्यान इस ओर कहां है ? अत: मैं अपने एक प्रस्ताव के द्वारा अपनी सरकार का ध्यान सबसे पहले इस ओर दिलाना चाहती हूं कि सबसे पहले शिक्षित बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयत्न करें ।

इसके बाद मेरा दूसरा प्रस्ताव संस्कृत शिक्षा के विषय में है । सभापति महोदय, संस्कृत शिक्षा के विषय में अभी थोड़ी देर पहले यहां कहा गया । मैं इसके विषय में ज्यादा कह कर सदन का समय न लेकर केवल इतना कहना चाहती हूं कि संस्कृत का, संस्कृत भाषा का अध्ययन हम केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से नहीं, क्योंकि यह पुरानी भाषा है, इस दृष्टि करते नहीं, सब भाषाओं की जननी है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि संस्कृत भाषा की ओर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ज्ञान कोष है । संस्कृत में जो ज्ञान कोष है वह शायद कहीं भी नहीं मिल सकता है । हमारा नैतिक स्तर उठाने के लिए कहीं से ज्ञान मिल सकता है तो संस्कृत से मिल सकता है । संस्कृत में, हम जो चाहें वह मिल सकता है । इसलिए प्राचीन भाषा पर हमें गर्व है उसको लाकर हम पाठ्यक्रम में रखें, उसको अपने विद्यार्थियों को पढ़ायें तो भी कोई अनुचित बात नहीं है । लेकिन हमें संस्कृत से बहुत कुछ लाभ मिल सकता है । जो ज्ञान संस्कृत में है, वह कहीं और किसी भाषा में नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूं कि संस्कृत की ओर हमें ध्यान देना चाहिए । लेकिन हम करते क्या हैं कि संस्कृत को ऐच्छिक विषय के रूप में रख रखा है । लेकिन संस्कृत पढ़े हुए लोगों के प्रति उपेक्षा का भाव सरकार का है । इससे पहले बताया गया कि संस्कृत पाठशालाओं व संस्कृत कॉलेज के प्रति हमारी सरकार का दृष्टिकोण बहुत उदासीनतापूर्ण

है। उन कॉलेजों के अन्दर संस्कृत पढ़े हुए लोगों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। अगर सचमुच हमको अपना नैतिक स्तर ऊंचा उठाना है, उन्नति की दिशा में आगे बढ़ना है, सचमुच सही अर्थ में उन्नति की ओर हम जाना चाहते हैं तो उसके पूर्व संस्कृत भाषा के शिक्षण की ओर जाना पड़ेगा। और संस्कृत के द्वारा ही हम अपने आपको ऊंचा बना सकते हैं।

इसके बाद आज तक गांवों की शिक्षा के विषय में, जो शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा है उसके अनुसार डाइरेक्टोरेट और इन्सपेक्टर्स ऑफिस के जरिये से ऊपर से नीचे तक शिक्षा का संचालन होता है और वे यह निश्चय करते हैं, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स निश्चय करता है कि कहां स्कूल खोलना है, किस जगह स्कूल खोलना चाहिए। अब हमने लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का कदम उठाया है, इस दिशा में मेरा सुझाव है कि हमारी सरकार गांवों की शिक्षा-व्यवस्था का भार पंचायतों पर डाल दे। अभी और कुछ नहीं करे तो कम से कम इतना करे कि स्कूल्स वहां खोले जायं जहां पंचायत बताये कि लड़कों का हित कहां स्कूले खोलने में है और पंचायत समिति कहां के लिए सिफारिश करती है....

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप-मन्त्री शिक्षा) : अभी उनकी सिफारिश पर फैसला करने का मौका आया नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जिला विकास समिति का हमें अनुभव है, वह जो चाहती है वह तो नहीं हो पाता है और जो इन्स्पेक्टर साहब अलॉट कर देते हैं, वे स्कूल खुल जाते हैं। दूसरी जगह की मैं नहीं जानती, अपनी विकास समिति का मुझे मालूम है कि एक स्कूल ऐसी जगह खोला गया, जो जगह सब शर्तों को पूरा नहीं करता था, जब कि दूसरी जगह पर सब शर्तें पूरी की गईं, लेकिन वह बिना स्कूल के रह गया। मैं आलोचना नहीं करना चाहती क्योंकि उनका जो दृष्टिकोण होगा वह ठीक हो सकता है। मैं कह रही हूं कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की भूमिका में जब हम सत्ता को विकेन्द्रित कर रहे हैं तो जो हमारी सरकार है और शिक्षा विभाग का प्रशासनिक ढांचा है, इन दोनों में कोई संघर्ष न होकर पंचायत समितियों के सुझाव के अनुसार स्कूल खोलने चाहिए। जहां पंचायत अनुभव करे कि एक जगह पर इस प्रकार का स्कूल होना चाहिए, वहां स्कूल खोलना चाहिए, इसके अन्दर कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। नहीं तो शासन के अन्दर जो लालफीताशाही चलती है और एक ऑफिशियल रूटीन चलता है और सबका हिस्सा, बंटवारा होता है। जब से हमारा शिक्षा विभाग का ऑफिस बीकानेर चला गया तब से किस बात को कार्यान्वित करना है, इसको तय करने में समय लग जाता है। एक जगह से कागज चलता है तो वापिस लौट कर आते आते उस कार्य की उपयोगिता खत्म हो जाती है। अगर कम से कम इस को पंचायत पर छोड़ देंगे, तो जैसा वह चाहेगी वैसा करेगी और हमारा विभाग उनके सहायक और मदद करने वाले के रूप में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दृष्टि से मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है कि गावों में शिक्षा व्यवस्था पूर्णतया पंचायतों के हाथ में हो।

(डॉ० चन्द्रकला)

अब, सभापति महोदय, मैं अपनी सरकार का ध्यान जयपुर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में फैले हुए एक महारोग की ओर दिलाना चाहती हूं। हम सब जयपुर शहर की सड़कों पर निकलते हैं तो तरह तरह के विज्ञापन दीवारों पर लिखे हुये मिलते हैं कि अमुक इन्स्टिट्यूशन है जो एक साल में मैट्रिक तक पढ़ाई कराता है, कहीं अमुक कॉलेज़ है जो दो साल में डिग्री दिला देती है, कहीं अमुक बाल मन्दिर है जो अनहोनी बात कर देता है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): अनहोनी बात क्या होती है ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : लड़की का लड़का या लड़के को लड़की बनाता है, क्या कर देता है ?

डॉ० चन्द्रकला : आपको भगवान् ने दिमाग दिया है, समझ लीजिये।

इस तरह की संस्थाओं के बारे में और जगह के लिए तो नहीं कह सकती लेकिन जयपुर शहर के रास्ते रास्ते में और मोहल्ले मोहल्ले में हैं...

श्री चन्दनमल वैद : सेंट जेविअर ऐसी संस्था है ?

डॉ० चन्द्रकला : जी नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्या को बोलने दें, इन्टरप्ट न करें।

डॉ० चन्द्रकला : तो मैं उन गैर सरकारी संस्थाओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं जो आज एक महारोग की तरह फैली हुई हैं और अफसोस तो इस बात का है कि सरकार द्वारा रिकॉगनीशन इनमें से बहुत सी संस्थाओं को मिला हुआ है। इन संस्थाओं को एड भी हमारी सरकार देती है उसके साथ ही रिकॉगनीशन भी दे देती है लेकिन यह जानने का प्रयत्न कभी नहीं करती है कि उन स्कूलों में होता क्या है। ये स्कूले न केवल हमारी पढ़ाई का स्तर गिराती हैं बल्कि लोगों का नैतिक स्तर गिराने में योग देते हैं। तो जिन शिक्षण संस्थाओं पर हमारे सर्वांगीण विकास का उत्तरदायित्व होना चाहिए था वे शिक्षण संस्थायें हमारा नैतिक स्तर गिराने का कारण बनें। इसके साथ और कई काम इधर उधर के होते होंगे, क्योंकि ये कॉमर्शियल इन्स्टिट्यूशन्स हैं, व्यापारिक धन्धा समझ कर इनका काम चला करता है। मैं मानती हूं कि शिक्षण का एक पवित्र काम है, समाज में एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है, उसको धन्धे के रूप में चलाते हैं धन्धा, कमाई का धन्धा जिससे कमाई हो इसलिए उनमें फीस रखते हैं और अपने ढंग का पाठ्यक्रम रखते हैं। यही नहीं, अगर बच्चों को कहीं और स्थान नहीं मिलेगा तो झूठे सर्टिफिकेट बना कर भरती कर लिया जाता है...

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : सेंट जेविअर....

डॉ० चन्द्रकला : आप गैर सरकारी संस्थाओं की परिभाषा समझ लीजिये।

श्री चन्दनमल वैद : वह गैर सरकारी है।

डॉ० चन्द्र कला : पब्लिक स्कूल है। तो मैं निवेदन कर रही थी कि वे संस्थायें शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार हैं या नहीं लेकिन शिक्षा विभाग का उन्हें वरदान मिला हुआ है, अभय वर मिला हुआ है, वे जो चाहें कर सकती हैं। हमारी सरकार ने घोषणा कर दी कि आठवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी। हमें यह जान कर बड़ी खुशी हुई कि आठवीं कलास तक बच्चा निःशुल्क पढ़ाई कर सकता है। लेकिन कितने स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? हमारी जो गैर सरकारी संस्थायें हैं, उनमें फीस ली जाती है, शुल्क लिया जाता है और कस कर शुल्क लिया जाता है। शुल्क लगा देते हैं इसलिए कि किसी न किसी बच्चे को डिग्री दिलानी होती है। जिन बच्चों को दूसरी जगह प्रवेश नहीं मिलता है या जो बच्चे दूसरी जगह फेल हो जाते हैं वे किसी तरह उसमें भरती हो जाते हैं क्योंकि उनका एक साल बचता है और फायदा होता है इसलिए वे फीस देने को भी तैयार हो जाते हैं। एक ओर तो उनकी फीस आती है और दूसरी तरफ हमारी सरकार उनको एड देती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार उनको मदद देती है। जयपुर का तो हमें अच्छी तरह मालूम है। मैंने प्रश्नोत्तर काल में प्रश्नोत्तरों के द्वारा सरकार का ध्यान, शिक्षा विभाग का ध्यान ऐसी संस्थाओं की तरफ दिलाया, पर कृपापात्रों को अनुगृहीत करने की प्रवृत्ति ही विजयी रही और वे गैर सरकारी संस्थाएं फल—फूल रही है और उनकी दिन दूनी, रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। इन संस्थाओं को रिकॉग्निशन मत दीजिये, एड मत दीजिये और इसके बावजूद भी अगर ऐसी संस्थाएं चलती हैं तो उनको बन्द करना सरकार का काम है क्योंकि ऐसी संस्थाएं हमारे बच्चों के बेसिक और बौद्धिक स्तर को गिराने वाली हैं और उनके मां बाप को झूठे सर्टिफिकेट लेकर देने का कुत्सित कार्य करती हैं। सरकार को ऐसी संस्थाओं को ढूंढ निकालने में प्रयास नहीं करना पड़ेगा, इनके विज्ञापन हैं इनको ढूंढने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। इस ओर हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिये। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया तो एक ओर तो सरकार द्वारा चलाई हुई संस्थाएं होंगी और दूसरी ओर ये गैर सरकारी होंगी जो बच्चों से फीस लेकर उनके स्तर को गिरायेंगी और अपने व्यापार को बनाये रखेंगी।

हमारी सरकार सभी संस्थाओं को प्रोत्साहन देती है, पर जहां तक कला के सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने की बात है वहां हमारी सरकार उदासीन सी प्रतीत होती है। हमारे जयपुर में राजस्थान कला संस्थान नामक एक कला सिखाने की संस्था है जो संगीत, वाद्य और नृत्य कला का शिक्षण देती है। यह संस्था भवन के अभाव में बड़ी असुविधा में चल रही है। बार बार सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया पर मैं नहीं जानती कि न मालूम सरकार क्यों इस संस्था के स्थानाभाव की कठिनाई को दूर करने की ओर ध्यान नहीं देती। सारी कठिनाइयां, सारी मंहगाई और सारा धनाभाव सरकार को तब याद आता है जब इस संस्था का नाम सरकार के सामने लाया जाता है। पहले राजस्थान आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स की जगह इस संस्था को ले जाने का सरकार का कुछ

Page No.113

(डॉ० चन्द्रकला)

विचार सा प्रतीत हुआ पर न मालूम क्यों उस जगह इस संस्था को न ले जाकर वहां दूसरा ऑफिस लाया गया। राजस्थान कला संस्थान के लिये वह स्थान बहुत उपयुक्त स्थान था। इस तरह की संस्था को हम दूसरी जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि इसमें लड़कियां लड़के सभी आते हैं, सुबह शाम आते हैं तो कला संस्थान जैसी संस्था को तो निश्चित रूप से शहर के ऐसे हिस्से में ही रखना चाहिये कि जहां आसानी से किसी भी समय विद्यार्थी आ-जा सकें और लाभ उठा सकें। जो ऑफिस यहां लाया गया है उस ऑफिस को किसी भी दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है पर इस ऑफिस के बहाने इस इमारत को रोक लिया और कहा गया कि जिस इमारत को देखते हैं उसका किराया बहुत आता है।

राजस्थान कला संस्थान हमारे लिये कला की शिक्षा में बहुत बड़ा योग दे रही है पर इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता, केवल ध्यान नहीं जाता हो ऐसी बात नहीं है। ध्यान दिलाने के बाद भी सरकार उधर ध्यान नहीं देना चाहती है, सुनी–अनसुनी कर देती है। कम से कम इस तरह का व्यवहार इस प्रकार की कला की संस्था के साथ तो सरकार को नहीं करना चाहिये। जयपुर के साथ यदि किसी प्रकार की दुश्मनी है तो ऐसी संस्थाओं के प्रति उस दुश्मनी को निकालना कोई अच्छी बात नहीं है।

इसके साथ ही साथ एक कटौती प्रस्ताव जयपुर के अंधे, गूंगे, बहरों के स्कूल के सम्बन्ध में है। हम सब जानते हैं कि जयपुर में अन्धे, गूंगे, बहरों का एक स्कूल चल रहा था। स्वास्थ्यवर्धक स्थान पर एक स्कूल पोद्दार जी ने बनवाई थी, गूंगे, बहरे, अन्धे अपाहिज लड़के उसमें पढ़ रहे थे। न केवल जयपुर ही बल्कि सारा राजस्थान उससे लाभ उठा रहा था। हमारी राजस्थान सरकार को सनक आई कि एक नया कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, खोला जाय, जैसी शिक्षा राजस्थान में और कॉलेजेज़ में नहीं देते वैसी शिक्षा देने के लिये, योग्यता की घुट्टी पिलाने के लिये उस स्थान पर कॉलेज खोला गया। जयपुर में इतनी इमारतें हैं वे सरकार को दिखाई नहीं दीं, सरकार को इसके लिये दिखाई पड़ी वह इमारत जिसमें गूंगे, अंधे, बहरों का स्कूल चल रहा था कि इस स्कूल को राजस्थान कॉलेज के लिये लिया जाय और सरकार ने उस इमारत को जो गूंगे, बहरे और अन्धों के लिये बनाई गई थी राजस्थान कॉलेज के लिये ले लिया और गूंगे, बहरे और अन्धों को दूसरे स्थान पर ले जाया गया। अच्छा होता कि जहां गूंगे, बहरों और अन्धों की स्कूल को ले जाया गया उस स्थान पर राजस्थान कॉलेज को सरकार ले जाती। पर राजस्थान सरकार ने ऐसा न कर के जिनके साथ हमारी सहानुभूति, हमदर्दी होनी चाहिये और अन्य कार्यों में असुविधा उठा कर भी जिनकी हमें मदद करनी चाहिये उनको उठा कर कहां ले गई। हमें शर्म आती है, हम विदेशियों को, टूरिस्टों को आमेर दिखाते हैं, हवा महल दिखाते हैं, भला आपमें हिम्मत है, आप उन विदेशियों को अपना गूंगे, बहरों और अन्धों का स्कूल दिखा सकते हैं, जो टिन शेड के नीचे चल रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे टिन शेड ही टिन शेड है ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : नीचे टिन शैड कैसे है ?

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : जिस स्कूल को एक सेठ ने इतनी बढ़िया इमारत में रखा था उस स्कूल को हटा कर उस इमारत में राजस्थान कॉलेज चला रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि हमारी सरकार में यदि जरा भी मनुष्यता का अंश है तो गूंगे, बहरों के स्कूल को जल्दी से जल्दी उनके पहले के स्थान पर लाया जाय। राजस्थान कॉलेज के द्वारा जो वह नूर बरसाना चाहती है वह और तरह से बरसाये। यह होना तो बहुत पहले ही चाहिये था। राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर कई बार आकर्षित किया गया पर पता नहीं गूंगे–बहरों की बातें करते समय हमारी सरकार भी गूंगी, बहरी हो जाती है।

डॉ० बहादुरसिंह : बात तो आप कर रही हैं।

डॉ० चन्द्रकला : यह बात तो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूं। जो लोग बोल नहीं सकते उनके साथ सरकार इस तरह का व्यवहार करे यह कैसी बुरी चीज है। मैं तो अपनी सरकार से प्रार्थना करूंगी कि कम से कम जिन लोगों को प्रकृति ने वंचित कर दिया उनके साथ आप तो सहानुभूति रखिये और उनके लिये आपने ऐसा किया, अच्छा होता कि वे लोग टिनों के नीचे ट्रेनिंग पाते तो तपे–तपाये अच्छे लोग निकलते। जिनको तपस्या का मौका देना चाहिये था उनको तो वंचित रखा और गूंगे-बहरों को वहां रखा। जहां कामर्स कॉलेज के लिये बिल्डिंग बनाने हेतु एक लाख और राजस्थान कॉलेज की बिल्डिंग के लिये २ लाख रुपया दिया वहां गुंगे बहरों के लिये भी हजार-पांच सौ रुपया खर्च करती तो कोई बात थी।

इसके बाद मेरा एक कटौती प्रस्ताव है पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण पर विचार करने के लिये।

श्री सभापति : आप ५ बजे से पूर्व अपना भाषण समाप्त करेंगी।

डॉ. चन्द्रकला: आज हम इस बात को महसूस करते हैं कि आज का हमारा स्टुडेन्ट (विद्यार्थी) है जब स्कूल चलता है तो उसको अपने वजन से ज्यादा वजन की किताबें अपने साथ लेकर चलना पड़ता है। हम लकीर के फकीर की तरह पीटते चले जाते हैं। हमने सब विषयों की किताबें बना दी हैं और हर विद्यार्थी को वे पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं चाहे वह उनको पढ़ सकता हो या नहीं या उनको समझ सकता हो या नहीं। हमने भी पढ़ाई की है और हमसे पहलेवालों ने भी पढ़ाई की है। क्या जिस समय इतनी पाठ्य पुस्तकें नहीं थी, उस समय क्या हमारी योग्यता नहीं थी या वे लोग योग्य नहीं थे। मैं यह कहूंगा कि कौन कौन सी पुस्तकें होनी चाहिये लड़कों के कोर्स में जो विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से पढ़ाई जावे और कौन कौन सी पुस्तकें ऐसी हों जो केवल अध्यापकों के लिए हों। मैं समझती हूं कि केवल भाषा की पुस्तकें विद्यार्थियों को खरीदनी चाहिये और गणित की पुस्तकें खरीदी जावें। लेकिन सामाजिक ज्ञान की पुस्तकें भी विद्यार्थी खरीदें, यह उचित नहीं है। तो हमने जो पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है उसके अनुसार राष्ट्रीयकरण करके सब बच्चों के हाथ में सब विषयों की पुस्तकें दे दी हैं। यह हमारे

(डॉ० चन्द्रकला)

लिये उपयोगी नहीं होगा। इससे अच्छा तो यह हो कि हमारी जो कुछ पाठ्य पुस्तकें हों वे बहुत थोड़ी हों, इस पर ध्यान दिया जावे और बाकी सब शिक्षकों की सहायता के लिए पुस्तकें हों। लेकिन हमारे यहां पाठ्य पुस्तकों की बीमारी लग गई, है हर विषय में पाठय पुस्तकें हों। इससे बच्चों को हम शिक्षा के मामले में सीमित कर देते हैं और उनका विकास नहीं होता। एक तरफ तो आपकी शिक्षा इस तरह की है और दूसरी तरफ बच्चा पाठ्य पुस्तकों में बन्ध गया। इससे बच्चे की बुद्धि का विकास नहीं होता। मैं यहां पर दूसरे पहलुओं पर नहीं जाना चाहती और उन पर विचार नहीं करना चाहती। मैं तो यह कहती हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया है वह तो ठीक है लेकिन ऐसी पुस्तकें होनी चाहिये जो बच्चों के लिए सुलभ हों। यह नहीं होना चाहिये कि इससे सब बच्चों की कल्पना शक्ति और सोचने की शक्ति समाप्त हो जावे। इस विषय में आपको शिक्षा-विशेषज्ञों की राय से सोचना होगा और तय करना होगा कि कौन कौन सी पुस्तकें बच्चों के हाथ में दें। स्कूलों में मैंने देखा है कि बच्चे पुस्तकों को रखते हैं और सबसे पहली बात जो मैं देखती हूं वह यह है कि बच्चे पूछते हैं कि इम्पोर्टेन्ट क्या है और इम्तिहान में क्या आवेगा? बच्चे के ध्यान में यह नहीं रहता कि वह भूगोल का ज्ञान प्राप्त करे या इतिहास का ज्ञान, बच्चों का यही लक्ष होता है कि इसमें इम्पोर्टेन्ट क्या है और इम्तिहान में क्या आयेगा। इसके सिवाय उनका कोई लक्ष नहीं होता। वे लोग यह देखते हैं कि इस किताब में वह इम्पोर्टेन्ट चैप्टर है या नहीं। तो ऐसी हालत में हमें यह देखना है कि कौन कौन सी पुस्तकें बच्चों के हाथ में देनी चाहिए और कौन सी पुस्तकें अध्यापकों के लिए रहनी चाहिए। ढेर सी पुस्तकें बच्चों के हाथ में लादा देने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि इस सम्बन्ध में विचार किया जाए।

दूसरा, मेरा अंतिम कटौती का प्रस्ताव है, "राज्य में चालू बुनियादी प्रशिक्षणों के सम्बन्ध में।"

इस विषय पर काफी कहा जा चुका है और काफी सोच-विचार करके हमने बुनियादी शिक्षा को अपनाया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको हमने कहां अपनाया है, इसको हमने केवल फाइलों में ही अपनाया है। हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से बेसिक नाम लग जाना चाहिये चाहे वहां पर बेसिक शिक्षा होती हो या नहीं। प्रति दिन होनेवाली कोरेस्पोन्डेन्स में बेसिक नाम लग जाना चाहिये, संस्थाओं के साइन बोर्ड में बेसिक नाम लग जाना चाहिए। इसके अलावा वहां पर स्कूलों में आप देखेंगे कि फाइलों के अलावा एक टूटी-फूटी तकली और दो-चार क्यारियां बनी रहना चाहिए। यह हमारी बुनियादी शिक्षा है और यदि आपको विश्वास नहीं हो तो यहां पर जो बुनियादी शिक्षा दी जाती है उसको आप चल कर देख लें। मैंने शिक्षा मन्त्री को कई बार कहा कि हमारे यहां पर बुनियादी शिक्षण चल रहा है और वह आपके पड़ौस में ही चल रहा है उसको चल कर देखें। मगर आज तक उसमें कोई परि-

(डॉ० चन्द्रकला)

वर्त्तन नहीं हुआ है। हां, अध्यापक भले ही नये आ गये हों और उनको आगे बेसिक ग्रेड मिल गया हो। ठीक है, उनको बेसिक नाम से अच्छे ग्रेड मिले उसमें मेरी सहानुभूति है कि उनको अच्छे ग्रेड इसी कारण से ही मिले। लेकिन बुनियादी शिक्षा के नाम पर वास्तव में आप बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वास्तव में बुनियादी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा हम अपने बच्चों में आत्म-विश्वास, स्वावलंबन आदि की भावना पैदा कर सकते हैं। आज हम एक तरह से बच्चों को निरुत्साहित देखते हैं। उनके हाथ पैर कमजोर और शरीर निर्बल हो जाता है। वह सब बुनियादी शिक्षण से दूर हो सकता है लेकिन हम उसको सही रूप में नहीं अपनाते हैं मैं यह कहती हूं कि हम ढांचा तो वही रखना चाहते हैं और बोर्ड दूसरा लगा देते हैं। मगर मैं यह कहूंगी की हमको सचमुच शिक्षा का ढांचा बदलना होगा। हमारा बुनियादी शिक्षण राष्ट्रीयकरण की हुई पुस्तकों द्वारा नहीं चलेगा। पुस्तकें कोई पढ़ना है तो विद्यार्थियों के हिस्सों की अध्यापक पढ़ लेंगे। हमें बच्चों को बुनियादी शिक्षा देनी है और उनकी उंगलियों को शिक्षा देनी होगी। उनकी उंगलियों में जो प्रतिभा और कमी है उनको शिक्षा देनी होगी और उनको शिक्षा देकर उनके द्वारा विकसित करेंगे। हम सब जानते हैं कि प्रकृति ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको एक मुंह के साथ साथ दो हाथ भी दिये। हम अपनी आबादी पर चिन्ता करते हैं तो हम दूसरी बात सोचते हैं। लेकिन मैं यह कहूंगी कि मुंह का पोषण करने वाले दो हाथों को सही दिशा में शिक्षा देंगे तो यह प्रश्न नहीं आवेगा। प्रकृति ने रास्ता दूसरा बताया है और हम दूसरे रास्ते पर चलते हैं और हम यह सोचते हैं कि हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं। मैं कहूंगी कि हम गलत रास्ते से चल कर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते हमारे लिए सब रास्ते खुले हैं। लेकिन हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने पश्चिम की चकाचौंध है। आज हम श्रम को प्रोत्साहन नहीं देते हैं। हम श्रम को हेय समझते हैं। बुनियादी शिक्षा का सबसे पहला कदम है श्रम हम श्रमदान करते हैं लेकिन श्रमदान की लोगों ने एक तरह से मखौल करना शुरू कर दिया है। इसलिये सबसे पहले हमको श्रम के प्रति निष्ठा जरूर करनी होगी। इसलिए जब उद्योगीकरण के द्वारा हाथ से हम काम करेंगे और उसके द्वारा हमारे सभी ज्ञानेन्द्रियों का विकास होगा। हमारा मानसिक विकास होगा।

अन्त मैं यही कहूंगी कि अगर सही रूप में बेसिक एज्युकेशन हो तो हमें हमारे इस वर्त्तमान ढांचे में परिवर्त्तन करना होगा और हमको सही रूप से बुनियादी शिक्षा को अपनाना होगा और हमको अपने हाथ-पांव हिलाने होंगे। हम लोग अभी आराम तलब लोग हैं। इसलिये हमें इस तरफ सोचना होगा और सही रास्ता अपनाना पड़ेगा। इन बातों को लेकर मैं अपने कटौती के प्रस्तावों को प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

Page No.117

(श्री सभापति)

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बज कर ५८ मिनट पर गुरुवार, दिनांक १७ मार्च, १९६० के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।]

———

संक्षिप्त–विवरण

(बुधवार, १६ मार्च, १९६०)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

झालावाड़ जिले में सेवा सहकारी समितियों को अलॉट की गई भूमि ।

जनाना अस्पताल, कोटपुतली को उपयुक्त व्यवस्था हेतु प्रदत्त धनराशि ।

प्रान्त में शराब बन्दी की योजना ।

जिला बोर्ड, जयपुर, के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान ।

एपेक्स मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा कपूर की खरीद एवं वितरण ।

तहसील कोटपुतली के नारेडा और बनेटी कस्बों में डिस्पेन्सरीज़ को फिर से चालू करना ।

चांदनसे ट्यूब वैल द्वारा जैसलमेर में पानी पहुँचाने की व्यवस्था ।

बारां के शफाखाने में मृत लड़के की कब्र को डॉक्टर द्वारा खुदवाया जाना ।

जयपुर नगरपालिका को प्रदत्त ऋण व सहायता ।

स्कम्भ

कोटा सिंचाई बांध के निर्माण से ग्रसित व्यक्तियों को मुआवजा ।

बीकानेर नगरपालिका को लो-इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण ।

राजस्थान नहर क्षेत्र में सड़कों के निर्माण की योजना ।

हनुमानगढ़ क्षेत्र में तीन साल से फसल खराब होने के बावजूद आबयाना कर तथा जमीन की वसूली ।

कोटा शहर में डिस्टिल्ड वाटर सप्लाई की व्यवस्था ।

डिप्टी रजिस्ट्रार्स, सहकारिता, की नियुक्तियां ।

फैक्ट्रीज़ एक्ट के अन्तर्गत 'नवयुग प्रिन्टर्स' का रजिस्ट्रेशन व रिन्युअल ।

जोबनेर कृषि कॉलेज के लिये बिजली की व्यवस्था ।

तहसील कोलायत के क्षेत्र में सिंचाई हेतु बंधे हुए बाधों की देखभाल की व्यवस्था ।

प्रान्त का सहकारी लैंड मोर्टगेज बैंक।

तहसील कोटपुतली की कांसली ग्राम पंचायत द्वारा पक्के मकान बनाने पर अधिक टैक्स की वसूली।

श्रीमती विमला देवी और श्री जगन्नाथ का दौसा म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों के रूप में मनोनयन का रद्द किया जाना।

राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन की मांगों पर निर्णय।

मानपुरा (सिकराय) पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव।

'नवयुग' अथवा 'नवयुग प्रिन्टर्स' के कर्मचारियों की तनख्वाह का भुगतान।

जोबनेर विकास खंड का कार्यालय।

कपड़े की मिलों के मजदूरों के पगार का भुगतान।

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किया गया विधेयक

श्री हरिभाऊ उपाध्यक्ष, मंत्री, पंचायत विभाग, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९६० को पुरःस्थापित किया।

आय-व्ययक १९६०–६१ पर हुए वाद--विवाद का सरकारी उत्तर (पूर्व क्रम से)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने आयव्ययक, १९६०–६१ पर दिनांक १०, ११ व १५ मार्च, १९६०, को की गई बहस का उत्तर आज समाप्त किया तथा श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने भी सरकार की ओर से उत्तर दिया।

अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या १५,

मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा

उपरोक्त मांग श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर

Page No.120

स्कम्भ

आज ४६ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

स्कम्भ

गुरूवार, दिनांक १७ मार्च, १६६०
की कार्य सूची ।

१. अनुदानों की मांगों पर मतदान

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE LIST OF WORKS AGAINST RS. 3 LACS.

S. No.	Name of work.	Estimated Amount.	Expenditure incurred.	Remarks.
1.	Constg: stone pavement road & drain in chowkri Ghat Gate, Rasta Chobion.	14,959/--	11,990.21	
2.	-do-Dai Ki Gali, Rasta Balwants singh Chowkri Ghat Gate.	11,647/--	8,745.00	
3.	-do-Street connection Haldion Ka Rasta & Gheewalon Ka Rasta, Chowkri Ghat Gate.	8,533/--	7,933.00	
4.	-do- Bijai Kunj Ki Gali.	6,616/—	5,742.90	
5.	-do-Banarsidas Ki Gali, Rasta Vidyadhar Chowkri Bisheshwarji.	9,367/--	7,272.46	
6.	-do-Gher Sabun walon.	8,184/--	6,113.00	
7.	-do- Gali Sakri, Ex. Rasta Sangakon, Chowkri Modikhana.	10,289/--	9,866.00	
8.	-do-Gali Sanwalaji, Rasta Kalyanji, Chowkri T. K. Desh.	8,212/—	7,937.00	
9.	Extension of tar macadam road in Rasta Bhindon, upto Ganda Nala, Chowkri T. K. Desh.	10,325/—	10,341.45	
10.	Constg: stone pavement road & drain in Gali behind Arya Samaj Building, Rasta Tikkiwalon, Chowkri T. K. Desh.	4,637/—	2,294.00	

1	2	3	4	5
11.	-do-at the end of Rasta Raja Shivdasji, Chowkri Purani Basti.	29,600/—	29,548.00	
12.	-do- Mohalla Handipura, Chowkri Ramchandarji.	8,275/—	8,241.00	
13.	-do-in Gali Rameshwar Mahadev, Chowkri Purani Basti.	10,065/—	10,048.00	
14.	-do-Chowkr, Gujarmal Ex. Khurra Ladliji-Chowkri Ramchandarji.	11,295/—	11,169.00	
15.	-do-Sanghiji & Sangakon Ka-Rasta, Chowkri Modikhana.	18,570/—	18,259.00	
16.	-do- Gali Lal Shankar Lal Ch. Gangapole.	7,130/—	6,699.00	
17.	Gali Hakim Pyarelal, Ex-Rasta Khandar Chowkri Gangapole.	6,039/—	5,724.00	
18.	Extension of Sewer line towards East side of Rangeshwar Mahadev Chowkri Purani Basti.	740/—	623.00	
19.	Constg: U. Shaped C. C. Drain in Rasta Jailal Munshi Chowkri Purani Basti.	5,998/—	4,116.00	
20.	Constg: stone pav: road & drain & laying 6" dia Sewerline in Gali Imliwalon, jat Ka Kua, Ch. Purani Basti.	11,466/—	10,968.00	
21.	Constg: tar macadam road in Rasta Jat Ka Kua from crossing Mission High School upto crossing sewerline, Ch. Purani Basti.	12,470/—	12,470.00	

1	2	3	4	5
22.	Constg: stone pavement & drain in Bordi Ka-Kua, Opp. House of Hanuman Bux, Rasta. Uniara Raoji.	6,979/-	6,317.00	
23.	Constg: tar macadam road & drain connecting Bagruwalon Ka-Rasta & Jat Ka Kua, Ch. Purani Basti.	3,370.00	4,832.00	
24.	Constg: Stone pavement & drain in Gangamata Ki-Gali, Ex. Rasta Bagruwalon.	16,000.00	15,366.00	
25.	-do-in Nala Neelgaron, Ex. Rasta Mahron, Chowkri Ramchandarji.	12,757.00	12,138.00	
26.	Laying 1½" th: Premixed carpet on Kundigaron Ka-Bhairon Ka-Rasta from Johari Bazar to Chat Bazar Chowkri, Ghat Gate.	16,963.00	17,255.00	
27.	Constg: stone pavement & drain in Gali Khoobram Ex. Gali Sitaramji, Chowkri Gangapole.	11,558.00	11,480.00	
28.	Constg: stone pavement & drain in Gher Jat Ka-Kua Chowkri Purani Basti.	5,254.00	4,343.00	
29.	-do-in Gali towards on East of Mision High School Chowkri Purani Basti	2,652,00	2,643.00	
30.	Constg: pucca latrines of flush type in Rasta T. K. Desh.	3,379.00	3,192.43	

1	2	3	4	5
31.	Constg: pucca flush latrines 12 seated in Rasta behind Kotwali, Chowkri Ghat Gate.	5,339.00	4,793.67	
32.	Constg: pucca latrines 6 seated flush type in Rasta Mahron, Chowkri Ghat Gate.	2,831.00	2,486.19	
33.	-do-in Rasta Pannigaran, Chowkri Ramchandarji.	5,700.00	1,713.22	
34.	Providing 25 street lights on Station Road.	836.00	836.00	
35.	Purchase of Mercury lamps for Chandpole Bazar.	2,525.20	2,525.20	
36.	Providing 74 new street lights in different Chowkries.	5,122.00	5,122.00	
37.	Providing mercury lamps on important roads.	5,000.00	5,000.00	
38.	Providing 2 light points in Mohalla Kalon Ch. Ghat Gate.	179.00	179.00	
39.	Purchase of brookvel lantern.	315.65	315.65	
40.	Purchase of a 6.6 series lamp.	11.00	11.00	
41.	Purchase of tube light.	50.00	50.00	
42.	Providing 2 light points behind Jain Temple, Rasta Uniara Raoji.	276.00	276.00	
43.	Purchase of street Light brackets.	1,854.84	1,854.84	
44.	Purchase of electric poles.	6,121.00	6,121.00	

1	2	3	4	5
45.	Shifting of a W. S. P. from plot No. J 236, Adarsh Nagar Chowkri H. S. Janubi.	290.00	290.00	
46.	Providing II New W. S. P. in the city.	2,841.00	2,841.00	
47.	Providing W. S. P. in public Bath room, Rasta Raigaron Ki-Kothi Chowkri Ghat.	109.00	109.00	
48.	Providing 9 new W. S. Ps in the city.	4,716.00	4,716.00	
49.	Providing one W. S. P. on Ajmeri Road, Madrampura H. S. Garbi.	1,966.00	1,966.00	
50.	Providing one W. S. P. to the new Bus Stand Opp. Rajputana Photo Studio Ch. H. S. Garbi.	167.00	167.00	
51.	Providing one W. S P. Opp. plot No. 95-96, Frontier Colony, Adarsh Nagar H. S. Janubi.	492.00	462.00	
	Total ;—	Rs. 2,97,340.32 N. P.		

PROPOSED WORKS UNDER CONSTRUCTION AGAINST 10½-LACS.

1.	Laying Sewer Line.	3,49,000/-
2.	Stone Pavement road.	2,17,000/-
3.	Tar Macadam Road.	81,000/-
4.	Special repairs to road.	61,000/-
5.	Converting dry type public Latrines.	1,95,000/-
6.	Const: of new public latrines.	50,000/-
7.	Providing W. S. P.	20,000/-
8.	Improvment & of Street lights.	77,000/-
		10,50,000/-

Type.	Engine No.	Chassis No.	Date of Purchase.	Price.	
1. Fargo L. 6D-200 Model 16 W. B. Chassis.	T. 536-PA-1091	L. 6D. XO-2260	10.3.59	15,169.24	Kamal & Company.
2. " " " 116 " "	L. 6D. 2PA. 12388	L. 6D. 2XO-9787	—do—	15,169.24	—do—
3. "105. A 6165" W. B. Petrol chassis.	105 PA-6-1032	PA. B-23714	21.3.59	19,837.16	—do—
4. "L6D-300-126" W. Chassis.	L6D. 2OPA-1276	L6D-3K-12628	—do—	16,174,05	—do—
5. D. 5-167 W. B. Bedford fitted with Petrol Engine.	D. 4.15/63 39979	D. 5-LZ-3 33470	12.2.59	30,668.20	Rajasthan Motors.
6. D. 5/167 W. B. Bedford fitted with Petrol Engine.	D-4/5/63 37031	D. 5-LZ-3 25919	12.3.59	including Sales Tax.	
7. Tampoo Hanseat Seven seated.	116093	459855		8,100.00	United Motors of Rajasthan Jaipur.

1	2	3	4	5	6
8.	-do-	116246	469982	6,848.00	United Motors of Rajasthan Jaipur
9.	-do-	116245	459983	6,848.00	—do—
10.	-do-	116214	459984	6,848.00	—do—
11.	-do-	116221	459981	6,848.00	—do—
12.	Ambulance Old.				3,500.00 M/s. Malal & Co. Jaipur.
				Total :—	1,43,000.89 N. P.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१० का उत्तर देखिये)

LIST OF THE NAMES OF CASUALITIES & COMPENSATION PAID

(Departmental Labour)

S. No.	Name of person.	Nature of accident Fatal or Non-Fatal.	Amount of compensation paid.	Remarks.
	MECHANICAL DIVISION			
1.	Shri Girdhari Lal.	Fatal.	1,500/-	
2.	„ Madan Lal S/o Madholal lothar.	Non Fatal.	115.80	
3.	„ Laxman Das Mechanic	-do-	210/-	
4.	„ Ram Bharose Helper.	Fatal.	3,000/-	
5.	„ Dhokal Ram Helper.	-do-	1,350/-	
6.	„ Sheilendra Kumar.	-do-	1,800/-	

1	2		3	4	5
7.	,, Bans Raj Helper.		Fatal.	1800/-	
8.	,, Ram Bharose S/o Ratanlal Helper.		Non Fatal.	105/-	
9.	,, Baboo Rehman Khan Helper.		Fatal.	1,800/-	
10.	,, Takhat Singh Mechanic.		Non Fatal.	30/-	Half monthly payment Rs. 30/- after the expiry of 3 days from the date of disablement upto 28-7-59.
11.	Chandra Sen A Timber.		Non Fatal.	88.77	Half monthly payment from 8-7-59 to 16-9-59 @ Rs. 35/ p. m.
12.	,, Bhawani Singh.	29-10-59	Non Fatal.	Cases under correspondence & consideration.	
13.	,, Gauri Shankar Helper.	29-10-59	-do-		
14.	,, Bhanwar Singh.	9-4-59	-do-		
15.	,, Bhura Ram offt.	9-4-59	-do-		
16.	,, Hazari Puri Chawalia.		-do-	516.00	
17.	,, Nanga S/o Lal.		-do-	70.00	

1	2	3	4	5
18.	Shri Jogaram S/o Kesa.	Non-Fatal.	59.00	
19.	,, Mool Chand S/o Donga Ram	-do-	300.00	
20.	Shrimati Bhanwari.	Fatal.	900.00	
21.	Shri Kanhiya lal Fitter.	Non Fatal.	336.00	
22.	,, Jessa Ram.	-do-	45.00	
23.	,, Udai lal.	-do-	146.00	
24.	,, Lal Singh Beldar.	Fatal.	2,400.00	
25.	,, Gaianand.	Non Fatal.	300.00	
26.	,, Ganpat S/o Mangi lal.	-do-	52.00	
27.	,, Shyam Singh S/o Jetha Singh.	-do-	55.00	
28.	,, Karan Singh.	-do-	150.00	
29.	,, Kalu S/o Choga.	-do-	140.00	
30.	,, Abdul Majid.	-do-	18.00	
31.	,, Narayan.	-do-	160.00	
32.	,, Brij Mohan.	-do-	56.00	

1	2	3	4	5
33.	Shrimati Ladkanwar Diabled Bai.		582.00	
34.	Shri Ladhu Singh.	Fatal.	3,500.00	
35.	,, Nathoo Singh.	-do-	2,100.00	
36,	,, Desh Raj.	-do-	3,000.00	
37.	,, Moola Ram.	Non Fatal.	6.00	
		Total. Rs.	26,682.57 N. P.	

STATEMENT SHOWING THE NUMBERS OF CASUALITIES

(Department Labour)

S. No.	Name.	Designation.	Date of Casualties.	Nature of Casualties.	Amount of Compensation paid.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7
				Right Main Canal		
1.	Shri Usman S/o Shri Ulfat.	Driver	19. 4. 54	Sudden bursting of Unblasted hole while working on drill machine during night shift. Lost of eyestight and three fingers of left feet.	Rs. 700/—	
2.	Shri Mool Chand S/o Prahlad.	Helper to Driller	27. 8. 54	While penetrating fuse coil into Detometors and tightning the detometors bursted out got tips of two fingers of right hand cut off.	750/—	

1	2	3	4	5	6	7
3.	Shri Madan Lal S/o Ram Gopal.	Driller's Sharpner.	22. 9. 54	While working on grinding machine suddenly thumb slipped on G. wheel. Lost of right hand thumb.	650/—	
4.	Shri Shamsad S/o Ramjan Ali	Driller.	23. 12. 54	He was struck by a stone in a sudden blasting accident when he waslcoming out from the bed of can. The blasting was done by the contractors' men without any information as usual. Hence died.	1,500/—	
5.	Shri Brij Mohan.	Mistry.	28. 4. 57 & Expired on 1. 7. 57	At Sinlia the Mistry took the benefit of Govt. Truck No. 325 going to site of work. He was standing in the truck and fell down due to sudden application of brakes.	Rs. 1,800/—	An appeal has been instituted in the High Court against the judgment of workmen's Compensation Commissioner.
6.	Shri Sita Ram.	Pump Driver	14. 10. 58	Got a fit with the pump fitted at B. B. 906600 of th A. M. C. & due to heart failure & expired.	No claim made so far	Departmental.

1	2	3	4	5	6	7
7.	Shri Hema Sara S/o Ganga Sen.	Chanwalia	30. 10. 58	Fell down from Truck R.J.L. 350 at Kotri Tank & expired on 31. 10. 58.	Does not pertain to the canal circle.	Labour of the Executive Engineer, Mechanical Dn., Chambal Project, Kota.
8.	Shri Deva Lal S/o Jagan Nath.	Beldar	19. 9. 59	A beldar of the departmental gang expired on 19. 9. 59, on account of falling of earth upon him from Earthen bund at llo 4 of P. M. C. Left Main Canal		Case is being referred for compensstion.
1.	Shri Mohan Lal S/o Shri Ghanshyam.	Helper	23. 6. 55	Death due to slippuig in the left Main Canal in head reach.	Rs. 1350/—	

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF CASUALTIES.
(Contractor's Labour & Publicmen)

Sl. No.	Name	Designation	Date of casualities.	Nature of casualties	Amount of comp nsation paid.	Remarks, if any.
1	2	3	4	5	6	7
			—Right Main Canal—			
1.	Shri Rampal S/o Ruda Balai.	Beldar	19-2-57	Fell down from Truck RJR 992 from a height of 16'.	—	Contractors labour.
2.	Vidya Bai daughter of Shri Rana chand.	Public	3--5-57	Due to blasting in R. D. 4190 to 5000 of R. M. C. the girl died a hit of the blasted stone at a distance of about 500'.	—	Public man.
3.	Shri Misroo S/o Shri Bhada.	Khalasi	21—6-57	Fell down from the Right bank of the R. M. C. at R. D. 3950 nearly 42' deep from the ground level.	—	Contractors labour.

1	2		3	4	5	6	7
4.	Shri Mukund Singh S/o Shri Bheru Singh.	Compressor Driver.	21--8-57	Drowned in the canal while he was swimming in the Adjacentpool.	—	Contractors labour.	
5.	Shri Tej Bahadur' Nepali.	Motor Driver.	30-10-57	He was found drowned on the left bank of the R. M. C. between R. D. 4700 to 4800 when the depth of water was 7'.	--	Public man.	
6.	Shri Mulai.	Beldar	30--4-58	The Beldar was working in night shift on Aqueduct at R. D. 260650. He went for drinking water in the nearby well & while coming back he was slipped into the well & till he was taken out was expired.	—	Contractors labour.	
7.	Shri Govinda S/O Shri Kishora.	Beldar	29--6-59	He was working on earth work excavation at left abutment of Parwan Aqueduct while working about 5 cft. earth slipped & fell upon him. He expired on 29-6-58.	--	N. P. C. C. Labour.	

1	2	3	4	5	6	7
8.	Shri Lalu.	Beldar	7--9-58	His dead body was seen in the Canal full of water on 10-9-58 between R. D. 236000 & 2361000.	--	N. P. C. C. Labour.
9.	Shri Gurmit Singh	Steel Erector.	10—5-59	At Parwan Aqueduct during dismentalling of centering the steel erector expired due to falling of sleeper on his head.'	--	N. P. C. C. Labour.

Left Main Canal

———

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४१८ का उत्तर देखिये)

म से हैं	सहकारी विभाग में ये उप रजिस्ट्रार कब किस किस पद पर नियुक्त हुये और इससे पहले किस किस विभाग में कब कब से थे	सहकारी विभाग में इनकी नियुक्ति की विधि (Procedure)	प्रशैक्षणिक योग्यता	विशेष विवरण
	५	६	७	८
	पब्लिसिटी ऑफिसर, जोधपुर ११–१–४० से १५–५–४० तक। सहायक सुपरिन्टेन्डेन्ट १६–५–४० से ३१–७–४२ तक जन गणना विभाग। निरीक्षक सहकारी विभाग १–८–४२ से २२–१०–४३ तक। सहायक कमिश्नर, सिविल सप्लाइज विभाग ३०–१०–४३ से २०–२–४८। कार्यवाहक रजिस्ट्रार, जोधपुर २१–२–४८ से २–३–४८। निरीक्षक, सहकारी विभाग ३–३–४८ से २१–१२–४८। कार्यवाहक रजिस्ट्रार २२–१२–४८ से १२–४–४९। निरीक्षक, सहकारी विभाग १३–४–४९ से १२–३–५०। सहायक रजिस्ट्रार १३–३–५० से ११–५–५२। डिविजन पंचायत ऑफिसर १२–५–५२ से १३–४–५५। सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग १–५–५५ से १२–१–५८। उप रजिस्ट्रार दिनांक १३–१–५८ से अब तक।	उप रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति सिलेक्शन द्वारा नहीं होती बल्कि कोऑपरेटिव सर्विस रूल्स के अनुसार प्रमोशन से होती है।	सन् ४२ से ये सरकारी विभाग में कार्य कर रहे हैं अतएव विस्तृत और व्यापक अनुभव के कारण विभागीय ट्रेनिंग के लिये नहीं भेजे गये फिर भी कार्य विशेष की शिक्षा प्राप्त करने के लिये दो बार यू० पी० भेजे गये : (१) कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अध्ययन को। (२) सहकारी बीज भंडारों के कार्य का अध्ययन करने को।	प्रशासन हैड क्वार्टर
स्ट्रार	निरीक्षक, सहकारी विभाग २४–१–४५ से ९–२–४८। सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग १०–२–४८ से ९–३–४८। विशेषाधिकारी १०–३–४८ से २०–१–४९। निरीक्षक २१–१–४९ से २३–३–५१। सहायक रजिस्ट्रार २४–३–५१ से २४–६–५५। उप रजिस्ट्रार २५–६–५५ से अब तक।	”	सन् १९५१ में पूना से सीनियर ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स।	राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में डेपूटेशन पर हैं।
र पद	निरीक्षक, सहकारी विभाग ५–३–४४ से १५–३–५० तक। सहायक रजिस्ट्रार १६–३–५० से २४–४–५८ तक। उप रजिस्ट्रार २५–४–५८ से अब तक।	”	” ”	अजमेर जोन।
स्ट्रार	क्लर्क लोकल बॉडीज़ २१–४–४५ से ५–११–४५ तक। निरीक्षक, पंचायत ६–११–४५ से ३१–१२–४८ तक। नायब तहसीलदार १–१–४९ से २२–११–४९ तक। विशेषाधिकारी लोकल सेल्फ विभाग। सहायक रजिस्ट्रार सहकारी विभाग १९–१–५१ से ८–१२–५७ तक उप रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग ९–१२–५७ से अब तक।	”	” ”	कोटा जोन।
	[illegible] सहायक रजिस्ट्रार [illegible]			

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२२ का उत्तर देखिए)

विवरण सिंचाई हेतु बने बान्ध तहसील कोलायत–जिला बीकानेर

नाम बान्ध मय स्थान	सिंचाई क्षमता से सेलाब हो तो व रकबा एकड़ों में।	रकबा जो २०१३ सेलाब हुआ एकड़ों में।	रकबा जो २०१६ में सेलाब हुआ।
१. भाटिया बान्ध	६५	६३	–
२. पंडाल बन्धा	४१६	३२४	–
३. कन्या बन्धा	११८	२५	–
४. गंगासरोवर बन्धा	३४	–	–
(मिलाप बन्धा चक नं० ८)	–	–	–
५. मठ बन्धा	५००	२७४	–
६. माधोगढ़ बन्धा	१८०	८६	–
७. बन्धा नं० १ (लाडलों की बस्ती)	१५८	८३६	–
८. बन्धा नं० २	१६८	१६०	–
९. बन्धा नं० ३ (मढ़)	११०	१३	–
१०. बन्धा नं० ४ (मढ़)	३३४	१३०	–
११. खुड़ी बन्धा	४०	२४	–
योग	२१२३	११३५	
१. उनाव चुरू मालिया	१६५	१४०	
२. उनाव चुरू लाडर	२१०	१८०	
३. उनाव चुरू धानी	२६७	१००	
	६४२	४२०	

———

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४२५ का उत्तर देखिये)

ग्राम पंचायत कांसली, तहसील कोटपुतली के द्वारा जो भूमि बेची गई उसकी सूची

क्रमांक	दिनांक	नाम जमीन खरीददार मय पिता व गांव	दर	पट्टा फीस	नजराना
१.	१०-७-५५	सूंडाराम पुत्र डूंगाराम हरिजन मोहनपुरा	।–)	१)	७६।।–)
२.	२८-८-५५	बिड़दानाथ वल्द गंगानाथ कूजोता	,,	,,	१४–)
३.	१५-८-५५	चिरंजी गूजर पुत्र मोहन गूजर कल्याणपुरा खुर्द	,,	,,	३६–७आने
४.	३०-१०-५५	झावर पुत्र सुगना धाणक, अजीतपुरा	,,	,,	१४२।।।–)
५.	१८-१२-५५	प्रभु पुत्र रामधन अहीर प्रभूवाली तन कूजोता	,,	,,	१०१।)
६.	२५-१२-५५	सुल्ताना पुत्र रामधन नई कोठी का	,,	,,	,,
७.	२७-११-५५	किसनसिंह पुत्र स्योनाथसिंह कूजोता	,,	,,	१२५)
८.	२७-११-५५	ओंकार पुत्र घड़सी चमार फतहपुर	,,	,,	४३।।।)
९.	११-१२-५५	सूरजमल खाती कल्याणपुरा	,,	,,	७।।)
१०.	३०-१०-५५	लठूरमोहन दर्जी कांसली	,,	,,	३८।।।)
११.	१-४-५६	नारायणशंकर धाणका जोधपुरा	,,	,,	८-२ आने
१२.	२५-३-५६	प्यारेलाल जोशी जोधपुरा	,,	,,	५६-११ आने
१३.	१-४-५६	धन्ना पुत्र ठंडू अहीर जोधपुरा	,,	,,	३६।)
१४.	३-४-५६	चिरंजीलाल पुत्र चेनसुख जोधपुरा	,,	,,	६४-६-३ पा.
१५.	,,	रामदेव पुत्र अर्जुन चमार कांसली	,,	,,	४०-१०-३ पा.
१६.ए	२७-५-५६	बनवारीलाल महाजन कांसली	,,	,,	२६-११-६ ,,
१६.बी	३-६-५६	जगदीशचन्द्र जोधपुरा	,,	,,	१२१) रु.
१७.	१७-६-५६	महादेव अहीर कांसली	,,	,,	५०।।।)

१	२	३	४	५	६
१८.	५–८–५६	उमराव जोशी कांसली	।–)	१)	२४-७-६ पा०
१९.	५–८–५६	रेखा दर्जी कांसली	,,	,,	७-१३ आ०
२०.	१६–८–५६	प्रभु अहीर कांसली	,,	,,	३०-५ ,,
२१.	६–६–५६	सूंडा अहीर फतहपुरा	,,	,,	४२-३ आ०
२२.	२३–६–५६	भूरा पुत्र मला जोधपुरा	,,	,,	३३-१३ ,,
२३.	४–११–५६	चन्द्र पुत्र दियाल धाणका कांसली	,,	,,	११–४ ,,
२४.	११–११–५६	नेनराम पुत्र प्रहलाद वैश्य कांसली	,,	,,	४) रु.
२५.	२०–१२–५६	चन्द्र जैला अहीर कांसली	,,	,,	५४-१३-९पा०
२६.	६–१–५७	रुघनाथ पुत्र किरपा अहीर कांसली	,,	,,	४६-१०-३पा०
२७.	१४–३–५७	प्यारेलाल पुत्र सुखंदेव जोशी कांसली	,,	,,	३२-६ आना०
२८.	३०–६–५७	जयराम पुत्र हणुता फतेहपुरा	,,	,,	१५-७-६ पा०
२९.	१२–५–५७	उमदा पुत्र हरदेव कांसली	,,	,,	४५-२ आ०
३०.	२६–५–५७	नेवाराम मूलचन्द	,,	,,	,,
३१.	१६–१–५७	प्रहलाद कुम्हार कूजोता	,,	,,	३०-१३ आ०
३२.	२८–८–५७	मंगलदत्त पुत्र बलदेव ज़ोशी कांसली	,,	,,	३०-१३ ,,
३३.	२७–११–५७	उमराव पुत्र घीसानाथ जोधपुरा	,,	,,	८-१५ आ०
३४.	३–४–५८	कन्हैयालाल देवकरण जोधपुरा	।–)	१)	६७–८ आ०
३५.	१४–४–५८	नारायण पुत्र मीखा अहीर कांसली	,,	,,	१६-१०-३ पा०
३६.	१६–४–५८	गुलाबचन्द जोशी कांसली	,,	,,	२१-६ आ०
३७.	,,	भूला मामराज विजाली	,,	,,	३८-६-६ पा०
३८.	६–७–५८	जम्मन जोशी जोधपुरा	,,	,,	२१-०-६ पा०
३९.	२०–७–५८	ओंकार अहीर कांसली	,,	,,	२७-१५-३ पा०
४०.	३–८–५८	भामराज गूजराली कूजोता	,,	,,	८९-०-६ पा०

१	२	४	५	६	७
४१.	३–८–५८	रामसहाय कूजोता	।–)	१)	८६-०-६ पा०
४२.	२४–८–५८	नाथा पुत्र खींवा जाट अजीतपुरा	,,	,,	१०६-६ आ०
४३.	,,	बंशीधर महाजन कूजोता	,,	,,	१२५) रु.
४४.	,,	प्रहलाद कुम्हार कूजोता	,,	,,	२८-६-६ पा०
४५.	३१–८–५८	उमराव महाजन कांसली	,,	,,	१६-६ आ०
४६.	२–६–५८	मनोहर जोशी जोधपुरा	,,	,,	६२–३–६ पा०
४७.	६–११–५८	जीवण जाट अजीतपुरा	,,	,,	६७-१३-६ पा०
४८.	५–२–५६	रामनाथ जोशी कांसली	,,	,,	११-२-३ पा०
४६.	१५–२–५६	गाडाराम अहीर जोधपुरा	,,	,,	६०-१५ आ०
५०.	१५–३–५६	चन्दा पुत्र पोमा कांसली	,,	,,	२०-५ आ०
५१.	२२–३–५६	हरदेव पुत्र शगरा चमार अजीतपुरा	,,	,,	६६-६- ६ पा०
५२.	२०–४–५६	प्रहलाद पुत्र गोरधन नाई फतेहपुरा	,,	,,	१५-१३-६ पा०
५३.	१–५–५६	रामनाथ जोशी कांसली	,,	,,	४०-१३-६ पा०
५४.	२४–५–५६	प्रहलाद खाती फतेतपुरा	,,	,,	५०-१०-आ०
५५.	३१–५–५६	लछमण जाट अजीतपुरा	,,	,,	३२-१३ पा०
५६.	१४–६–५६	सांवलिया सामीवाली ढाणी	,,	,,	८०-१३-६ पा०
५७.	,,	लादू अहीर सामीवाली ढाणी	,,	,,	,,
५८.	२१–६–५६	बीड़दा धाणका कूजोता	,,	,,	१४-१ आ०
५६.	,,	मनोहर जोशी भोजावास	,,	,,	६-१-६ पा०
६०.	२–८–५६	नारायण पुत्र शंकर अहीर भोमासिंहवाली (महम्मदपुर)	,,	,,	८०-१३-६ पा०

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ का उत्तर देखिये)

सन् १९५०-५१ से सन् १९५८-५९ तक शराब की बिक्री से निम्न-लिखित धन राशि प्राप्त हुई है

वर्ष	धनराशि
१९५०–५१	१,५३,४७,१४१
१९५१–५२	१,८०,१८,१९५
१९५२–५३	१,४२,६३,३४४
१९५३–५४	१,४५,९३,१५३
१९५४–५५	१,५५,२४,५०४
१९५५–५६	१,५४,६८,९६५
१९५६–५७	२,०३,७१,८२४
१९५७–५८	२,७०,१९,७८१
१९५८–५९	३,०१,२४,८३०

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक १६ मार्च, १९६०)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२८६१	शीर्ष	तरांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
२८६४	१७	इलीट्रेट होते	इल्लिटरेट होते
२९०५	४	जिस प्रकार	इस प्रकार
२९०७	शीर्ष	तांराकित	तारांकित
२९२२	शीर्ष	—	२९२२
२९२२		० चन्द्रकला	डॉ० चन्द्रकला
२९२४	२०	इकानामीकली	इकोनोमीकल
२९२९	२	तो उन्हां	तो उन्हीं
२९३७	२५	गप्ता	गुप्ता
,,	अन्तिम से ३	been nade	been made
२९३८	५	की पबन्दी	की पाबन्दी
२९४०	२	Departmeut	Department.
,,	४	shoul be	should be
		the exeanion	the execution.
२९४२	६	देना राडा	देना पड़ा
२९४३	अन्तिमसं २	मजदरों की	मजदूरों की
२९५५	,, ,, ५	आवास्मिक	आकस्मिक
२९५८	अन्तिम	दसरा कारण	दूसरा कारण
२९५९	प्रथम	श्री जनादनराय	श्री जनार्दनराय
२९६०	८	डिस्ट्रिक्टस हैं	डिस्ट्रिक्टस हैं
२९७२	१२	हार्मे लैस होन	हार्मलैस होने
२९७३	२०	विश्वासनीय	विश्वासनीय
२९७४	७	रेशत लाइजेशन	रेशनलाइज़ेशन
२९८३	२३	वगरह को	वगैरह को
२९८६	१५	व्यायस डेम	व्यास डेम
२९९८	६	कट मोशस हैं, ९९ कट मोशस	कटमोशन्स हैं, ९९ कटमोशन
३००१	११	शीषर्क	शीर्षक
३००८	प्रथम	व्यवस्था पूर्णतिया	व्यवस्था पूर्णतया
,,	१७	साहानुभूतिपूर्ण	सहानुभूतिपूर्ण
३०१५	१०	पक्षपातपूण	पक्षपातपूर्ण
३०१६	३	जाते है।	जाते हैं।
३०१८	१९	सिद्धान्त क	सिद्धान्त के
३०२७	१२		

(२)

१	२	३	४
३०२८	अन्तिम से ४	हु है	हुई है
३०३७	,, ,, ,, ५	Mr. satishchandra	Mr. Satish Chandra
३०३८	प्रथम	लया उसके	लियाउ सके
,,	२०	थेट ऑफ	थैट ऑफ
३०३६	८	थरैत ऑफ	थैट ऑफ
३०४२	२४	टोसपूर्ण	दोषपूर्ण
,,	३०	काम करते	काम करने
,,	३२	चाहिये ?	चाहिये ।
३०६०	अन्तिम से ७	स्टेटस पे	स्टेटस, पे
,,	,, ,, ६	Wholey	wholly
,,	,, ,, ,, ३	इकोनोकिम	इकोनोमिक
३०७२	८	the porpose	the purpose
३०७३	६	स्कूले हैं	स्कूलें हैं
,,	८	होते मैं	होते । मैं
३०७५	१३	मेनकाइज्ड देखिए	मैकेनाइज्ड देखिये
३०७६	अन्तिम से २	in practie	in practice
३०७७	८	(आवथक राजस्व	(आबकारी
३०७७	२२	टाइपिग	टाइपिंग,
,,	अन्तिम से ५	की है	की हैं
,,	,, ,, ४	उठा सके	उठा सकें
३०८०	,, ,, २	एम० ए० बी० ए०	एम० ए०, बी० ए०
,,	अन्तिम	इनका,	इनका
३०८१	३	हूँ 'मेरे	हूं कि मेरे
,,	६	नहीं चाहिये	नहीं चाहिये
३०८४	२	टैकिनक्ल	टैकिनकल
३०८५	१३	Library' is	Librar is
,,	१४	Arabic liteturare	Arabic literature
३०८६	अन्तिम से ३	o thersubject	Other subject
३०६२	प्रथम	औरअमल	और अमल
,,	१४	रहे है	रहे हैं
३१०१	११	से नहीं,	से नहीं करते,
,,	१२	दृष्टि नहीं	दृष्टि से नहीं
,,	१३	—	डॉ० चन्द्रकला
३१०२	शीर्ष		
,,	२४	कहां स्कूले	कहां स्कूलें

(३)

१	२	३	४
३१०३	२७	उस काय	उस कार्य
३१०५	६	स्कूले न	स्कूलें न
३१११	२५	पढ़ाई जाने	पढ़ाई जावें
३११२	६	गई, है	गई है
,,	७	पाठय	पाठ्य
३११३	१	कितब में	किताब में
,,	२७	रहना चाहिये	रहनी चाहिये
३१२४	२	प्रश्न सख्या	प्रश्न संख्या
,,	सीरियल २	Wants Siugh	Want Singh
३१२५	,, १४	Chowkr	Chowkri
३१२८	,, ४७	Kothi chowkri	Kothi, Chowkri,
३१२८	सीरियल ४८	W. S. Ps	W. S. P.
३१४६	सीरियल ५५	३२–१३ पा०	३२–१३ श्रा